केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन

हेतु

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

2025

राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश आर्म्सडेल,
शिमला-171 002

विषय सूची

भाग-1

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नामांकन पत्र दाखिल करना और उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना	1—5
2.	नामांकन पत्र प्रस्तुत करना एवं जमानत राशि जमा करना	5—9
3.	नामांकन की सूचना	9
4.	नामांकन पत्रों की जांच	9—12
5.	उम्मीदवारी वापस लेना	12—13
6.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	13
7.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13
8.	मतपत्र तैयार करना	14
9.	मतदान से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु	15
10.	निर्विरोध निर्वाचन	15
11.	पोल ड्यूटी मतपत्र	15—19
	भाग-2	
12.	मतदान की व्यवस्था करना	20—24
	भाग-3	
13.	मतगणना एवं चुनाव परिणामों कि घोषणा	25—37
	भाग-4	
14.	अभ्यर्थियों की जमा राशि वापस करना या जब्त करना	38—45
	अनुलग्नक-1	
15.	मतदान दल के लिए मतदान सामग्री की सूची	46—47
	अनुलग्नक-2	
16.	राज्य चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन का उद्धरण "हिमाचल प्रदेश पंचायत और नगर पालिकाएँ चुनाव (उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट जानकारी का खुलासा) विनियमन, 1994"	48—58
	अनुलग्नक-3	
17.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उद्धरण (संसद का भाग-2 अधिनियम)	59—62
	अनुलग्नक-4	
18.	हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 180 का उद्धरण भ्रष्ट आचरण	63—67
	अनुलग्नक-5	
19.	हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-क से 158-ध का उद्धरण निर्वाचन अपराध	68—81
	अनुलग्नक-6	
20.	दिनांक 08-09-2000 को पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति	82
	अनुलग्नक-7	
21.	दिनांक 08-09-2000 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामाकन पत्रों को रद्द करने के दिशा-निर्देशों की छायाप्रति	83—84

	अनुलग्नक-8	
22.	**चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची बनाने हेतु दिशा-निर्देश**	85—91
	अनुलग्नक-9	
23.	**पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कार्यालय-वार चुनाव चिन्हों और सामान्य चुनाव चिन्हों की जानकारी चुनाव चिन्हों को जारी करने के लिए मार्ग-दर्शन**	92—96
	अनुलग्नक-10	
24.	**नोटा** (NOTA) **के विकल्प का प्रावधान दिनांक** 18.11.2014	97—98
	अनुलग्नक-11	
25.	**नोटा** (NOTA) **का सचित्र स्टाम्प**	99
	अनुलग्नक-12	
26.	**चुनाव ड्यूटी अनुदेश पत्र पर मतदाताओं के लिए पोल ड्यूटी मतपत्र का उपयोग**	100—109
	अनुलग्नक-13	
27.	**पंचायत समिति व् जिला परिषद् के मतपत्रों की गणना के उपरान्त इनके रखरखाव बारे दिशा-निर्देश**	110—113
	अनुलग्नक-14	
28.	**वैध और अवैध मतों के उदाहरण**	114—117
	अनुलग्नक-15	
29.	**मतदान दलों को यात्रा भत्ता के एवज में एकमुश्त अदायगी** (Lump-sum)	118—119
	अनुलग्नक-16	
30.	**मतपत्रों की गणना एवं पुनःगणना बारे दिशा-निर्देश**	120—123

प्रस्तावना

चुनाव में, रिटर्निंग अधिकारी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । नामांकन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी होने से लेकर परिणामों की घोषणा और उसके बाद निर्वाचन अभिलेखों को सुरक्षित रखने तक चुनाव का सुचारू संचालन मुख्य रूप से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा किए गए काम पर निर्भर करता है। इसलिए, उन्हें चुनाव से संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से परिचित होना आवश्यक है। कानून की कोई भी गलत व्याख्या और उसका गलत प्रयोग चुनाव को रद्द कर सकता है। जहां कोई चुनाव रद्द कर दिया जाता है, वहां उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर मतदान और परिणाम की घोषणा तक की पूरी चुनाव प्रक्रिया को पुन: आरम्भ करना पड़ता है और इससे पैसा, समय और मानवीय प्रयास व्यर्थ हो जाता है ।

सामान्यत:, आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों से परिचित हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 और इसके तहत बनाए गए निर्वाचन नियम में निहित कुछ प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को इस पुस्तिका में संकलित किया गया है । पंचायत चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने के लिए आपको इस पुस्तिका में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

मुझे आशा है कि यह पुस्तिका चुनाव संचालन प्रक्रिया में शामिल आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। हालाँकि, किसी भी शंका की स्थिति में मूल अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों का सन्दर्भ देखा जाना चाहिए।

....., 2025

(अनिल कुमार खाची),
राज्य चुनाव आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश शिमला-2.

भाग-I

परिचय

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उन द्वारा प्राधिकृत रिटर्निंग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31 के प्रावधानानुसार पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे । इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कानून और प्रक्रिया के अनुसार मतदान केंद्र पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। आपको चुनावों के संबंध में कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि आप नियमों के तहत निर्धारित कानून और प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हों।

आप मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए मतदान दल को पहले से सूचित करेंगे, जिसकी एक सूची अनुबंध-I में दी गई है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान दल को संबंधित सामग्री पूरी मात्रा में एवं निर्धारित पैमाने के अनुसार उपलब्ध कराई जाए । चुनाव सामग्री की कुछ वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिनके अभाव में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कराया जा सकता है। मतदान दलों को प्रदान की गई सामग्री में से कुछ सामग्री पुन: प्रयोग में ली जा सकती है। इन वस्तुओं का उल्लेख अनुलग्नक-1 के नीचे नोट-2 के अंतर्गत किया गया है। अत: आप मतदान के बाद इन वस्तुओं को मतदान दलों से वापस प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

1. नामांकन पत्र दाखिल करना और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेना:

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी नियम के तहत, आपको पंचायत (पंचायत का अर्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) चुनाव के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना आवश्यक होगा। यह स्पष्ट रूप से एक बड़ी ज़िम्मेदारी का कार्य है जिसके लिए आपको इस विषय पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से परिचित होना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये चुनाव कार्यक्रम एवं निर्देश आपको जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आपको जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार उस स्थान पर उपलब्ध रहना चाहिए जहां नामांकन प्राप्त किए जाने हैं। किसी भी परिस्थिति में नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए अधिसूचित समय, तिथि और स्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा । निर्धारित कार्यक्रम का क्रियानव्यन कड़ाई एवं जिम्मेदारी की भावना के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जब किसी संभावित उम्मीदवार को नामांकन पत्र का फॉर्म प्रदान किया जाता है, तो आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा अधिसूचित "हिमाचल प्रदेश पंचायत और नगर पालिका चुनाव (उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट जानकारी का प्रकटीकरण) विनियम, 2004" अधिसूचना संख्या SEC.16-21/97-123 दिनांक 17.2.04 के तहत निर्धारित अनुबंध की एक प्रति भी दी जाए । ये विनियम आपके मार्गदर्शन के लिए अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं। पंचायत के पद के लिए चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ अतीत में आपराधिक मामलों, यदि कोई हो, में उसकी सजा या दोषमुक्ति या मुक्ति के संबंध में उक्त अनुबंध प्रस्तुत करना होगा । प्रत्येक उम्मीदवार को मार्गदर्शिका की भी एक पृष्ठ उपलब्ध करवाया जाए ।

सदस्य, उप-प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर निर्वाचन क्षेत्र-वार दाखिल किए जाने हैं। नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय से पूर्व निम्नलिखित वस्तुएं/दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए:-

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा विधिवत प्रमाणित पंचायत की मतदाता सूची की एक पूर्ण प्रति;

(ii) नामांकन के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म प्ररूप 18, प्रतिज्ञान की शपथ प्ररूप 19, न देय प्रमाण पत्र प्ररूप 18 क, प्रमाण पत्र प्ररूप 18 ख और प्रत्येक कार्यालय के लिए निर्दिष्ट जानकारी का खुलासा;

(iii) नामांकन की सूचना प्ररूप 20

(iv) विधिमान्य नामांकित अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 21

(v) उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी की सूचना के प्रपत्र 22

(vi) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वापसी की सूचना के प्रपत्र 23;

(vii) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए प्रपत्र 24;

(viii) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप 25

(xix) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आबंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह पोस्टर;

(xx) प्रतिभूति राशि जमा करने की रसीद के लिए रसीद बुक;

(xi) हिमाचल प्रदेश नियमावली के नियम 33 के अंतर्गत प्रपत्र-17 में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचयत) द्वारा जारी नोटिस की एक प्रति।

(xii) निर्विरोध चुनाव के लिए फॉर्म 28;

(xiii) डेटा प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाने वाली निर्दिष्ट जानकारी के लिए फॉर्म

(xiv) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए मार्गदर्शिका

यह फॉर्म आपको संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करना और जमानत राशि जमा करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, उस पंचायत के पदाधिकारी के चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य होगा । प्रत्येक उम्मीदवार प्ररूप-17 पर जारी नोटिस के अनुसार निर्धारित समय और निर्दिष्ट स्थान पर या तो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन पत्र दाखिल करेगा। नामांकन पत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार एवं प्रस्तावक जो निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए I कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के तहत मतदाता बनने के लिए अयोग्य है, प्रस्तावक के रूप में किसी भी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य नहीं होगा। हालाँकि, आपके मार्गदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 35, 36 और 37 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं :-

- **122.** ***निरर्हताएं.***—कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगाः—

  - (क) यदि उसे तत्सयम प्रवृत किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है : परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;

  - (ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ; या

  - {(खख) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है या}

  - {(ग) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

    - {स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति—पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं;}या

  - (घ) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन 1 {इस अधिनियम के अध्याय 10—क} के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

  - ङ) यदि उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 110 के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है; या

  - (च) यदि उसे लोक सेवा से हटाया गया है या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के; या

  - (छ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में हैः या

    - {स्पष्टीकरणः—इस खण्ड के प्रयोजनो ं के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी) कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।}

  - (ज) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (Himachal Pradesh Habitual Offenders Act, 1969) (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या

  - (झ) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है; या

- (ञ़) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति है या जिला परिषद् निधि का भाग है; या

- ट) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है; या

- (ठ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Right Act, 1955) (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छः वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो; या

- (ड) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है; या

- {(ढ़) यदि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित कोई मिथ्या घोषणा की हैः {परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 विद्यमान पंचायतों के पदाधिकारियों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।}

- (2) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगाः–

  - (i) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

    (पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या दिनांक 08–09–2000 के अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है । आदेश की प्रति इस पुस्तिका के अनुलग्नक-VI पर उपलब्ध है ।)

  - (ii) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा।

35. अभ्यर्थियों का नामांकन.–(1) किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान/पद के लिए अभ्यर्थियों के रूप में नामांकित करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकेगा यदि वह अधिनियम की धारा 122 के उपबधों के अधीन उस स्थान/पद के लिए निर्वाचित होने के लिए निर्हरित नहीं हो।

(2) उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक नामांकन पत्र प्ररूप–18 में होगा 1 {प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, सम्बद्ध पंचायत द्वारा प्ररूप–18 क में जारी अदेय प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा।} तथा यह घोषित करते हुए कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में संचालित किसी सहकारी सोसाइटी का व्यतिक्रमी नहीं है का शपथ–पत्र प्ररूप–18 ख (शपथ पत्र/घोषणा) पर देगा।

(3) नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी मतदाता को मांगने पर दिया जाएगा।

(4) प्रस्तावक एक पद के लिए केवल एक ही अभ्यर्थी का प्रस्ताव कर सकेगा । एक बार किया गया प्रस्ताव प्रत्याहत या रद्द नहीं किया जाएगा ।

(5) किसी वार्ड, वार्ड जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, के लिए नामांकन पत्र तब तक विधिमान्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसमें अभ्यर्थी द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग जिसका वह सदस्य है, की घोषणा समाविष्ट न हो और अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसा प्रणाम पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि अभ्यर्थी, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है ।

36. नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण.–प्रत्येक अभ्यर्थी नियम 33 के अधीन नामांकन पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत तारीख को उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में या अपने प्रस्तावक के माध्यम से, पंचायत क्षेत्र के अभ्यर्थी और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा प्रस्थापक के रूप में सम्यक् रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी को या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को परीदत्त करेगाः

परन्तु यह कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या स्वीकार नहीं किए जाएंगेः

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है किसी नामांकन पत्र को प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित करने का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अपना नामांकन पत्र दायर करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष भारत के संविधान के प्रति प्ररूप–19 में प्रतिज्ञान और निष्ठा की शपथ लेगा और इसे अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

स्पष्टीकरण.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है लिखित या अन्य कोई कागज़ात पत्र हस्ताक्षरित समझा जाएगा यदि उसने रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी लिखित या कागज़ पत्र पर अपना निशान अंगूठा लगाया है। ऐसा अधिकारी उसकी पहचान के बारे में समाधान करके, निशान–अंगूठा को अनुप्रमाणित करेगा।

37. प्रतिभूति निक्षेप.–अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए तब तक नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह रिटर्निंग अधिकारी के पास निम्न लिखित के लिए निक्षेप के रूप में नकद रसीद के विरूद्ध जमा नहीं करता या करवाता है.–

(क) किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत के सदस्य की दशा में सौ रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचास रूपये;

(ख) ग्राम पंचायत के प्रधान या उप–प्रधान की दशा में एक सौ पचास रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचहत्तर रूपये;

(ग) पंचायत समिति के सदस्य की दशा में एक सौ पचास रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, पचहत्तर रूपये ;

(घ) जिला परिषद् के सदस्य की दशा में दो सौ रूपये और जहां अभ्यर्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, एक सौ रूपये :

परन्तु जहां अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी एक स्थान/पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा प्रस्तावित की गई है, तो इस नियम के अधीन एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

"Section 122 (1).— A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, an office bearer, of a Panchayat:—

(a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of the election to the State Legislature:

(See extract of disqualification for State legislature defined in chapter III of Part II of Representation of People Act, 1951 at Annexure-II of this Hand Book).

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years, if he has attained the age of 21 years:

(b) if he has been convicted of any offence involving moral turpitude unless a period of six years has elapsed since his conviction; or

(bb) if he has been found to have been guilty of any corrupt practices under Section 180 of this Act (See Annexure-III of this Hand Book).

(c) if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-Operative Society unless a period of six years has elapsed since the date on which he or any of his family members, as the case may be is ejected there from or he ceased to be the encroacher; or

Explanation.—for the purpose of this clause the expression "**family members**" shall mean grand-father ,grand-mother, father, Mother, Spouse, Son(s),un-married daughter(s) or"

(d) if he has been convicted of an electoral offences under Chapter X-A of the Act or under any law for the time being in force; (See Annexure-IV of this Hand Book)

(e) if he has been ordered to give security for good behavior under Section 110 of the Code of Criminal Procedure; 1973 or

(f) if he has been disqualified for appointment in public service, except on medical grounds; or

(g) if he is in the employment or service under any Panchayat or of any other local authority or co-operative Society or the State Government or Central Government or any Public Sector Undertaking under the Control of the Central or the State Government.

Explanation.—For the purposes of this clause the expression "service" or "employment" shall include persons appointed, engaged or employed on whole time, part time, casual, daily or contract basis.

Provided that an office bearer shall not be disqualified for being an office bearer of the Panchayat if he is directly or indirectly engaged in any work being executed by another Panchayat of which he is not the office bearer; and

(h) if he is registered as a habitual offender under the Himachal Habitual Offenders Act, 1969; or

(i) if, save as hereinafter provided, he has directly or indirectly any share or interest in any work done by an order of a Panchayat, or in any contract or employment with, or under, or by, or on behalf of, the Panchayat; or

(j) if he has not paid the arrears of any tax imposed by a Panchayat or had not paid the arrears of any kind due from him to the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund; or has retained any amount which forms part of, the Sabha, Samiti or Zila Parishad Fund;

(k) if, he is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under a Panchayat is in arrears or rent of lease or tenancy held under the Panchayat;

(l) if he has been convicted of an offence punishable under the Protection of Civil Rights Act, 1955, unless a period of six years has elapsed since his conviction;

(m) if he is so disqualified by or under any other law made by the State legislature;

(n) if he has made any false declaration as required under this Act or the rules made there under; and

(o) **deleted vide Act No. 17 of 2005.**

(2) The question whether a person is or has become subject to any of the disqualification under sub-section (1), shall after giving an opportunity to the person concerned of being heard, be decided;

(i) if such question arises during the process of an election by an officer as may be authorized in this behalf by the State Government, in consultation with the State Election Commission; and

(The Department of Panchayati Raj Nide Notification Dated 08.09.2000 has authorized Returning Officer/Assistant Returning Officer to decide the question whether a person is or has become subject to any disqualification. Copy of the Notification is annexed as Annexure-VI of this Hand Book)

(ii) if such question arises after the election process is over, by the Deputy Commissioner.

"Rule 35. Nomination of Candidates.—(1) Any person may be proposed to be nominated as a candidate for election to fill a seat/office, if he is not disqualified to be elected to fill that seat/office under the provisions of section 122 of the Act.

(2) Every nomination paper presented under sub-rule (1) shall be in Form-18.

Provided that every nomination paper shall be accompanied by No Due Certificate issued by the concerned Panchayat in Form-18-A. and shall furnish an affidavit declaring that he/she is not the defaulter of any co-operative society operating in the State of Himachal Pradesh on Form-18B.

(3) A nomination paper form shall be supplied by the Returning Officer or any other person authorised by him in this behalf to any voter on demand.

"(4) A proposer may propose only one candidate for one post. Proposal once made shall not be withdrawn or cancelled.

(5) In a ward which is reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, the nomination paper shall not be treated as valid, unless it contains a declaration by the candidate specifying particular caste or tribe or backward class of which he is a member and the candidate submits a certificate issued by the competent authority authorized by the State Government, certifying that the candidate belongs to such Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class, as the case may be"

"Rule 36. Presentation of nomination paper.—On the date fixed for filing of nomination papers under rule 33, each candidate during the time and at a place, specified in this behalf shall either in person or through his proposer, deliver to the Returning Officer or any other person so authorised by him in this behalf the nomination paper, duly filled-up and signed by the candidate of the Panchayat area and by a voter of the constituency as a proposer:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted for an election in the same constituency:

Provided further that any person who is subject to any disqualification as a voter under the Act shall not be eligible to sign any nomination paper as a proposer:

Provided further that every candidate filing his nomination paper shall take an oath of affirmation and allegiance to the Constitution of India in writing in Form-19 before the Returning Officer or any other officer authorized by the State Election Commission and shall attach the same with his nomination paper.

Explanation.—For the purpose of these rules a person who is unable to write his name shall be deemed to have signed an instrument or any other papers if he has placed his thumb impression on such instrument or paper in the presence of the Returning Officer. Such an officer on being satisfied as to his identity shall attest the thumb impression."

"37. Security deposits.—A candidate shall not be deemed to be nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited as security with the Returning Officer in cash against receipt:-

(a) in case of a member of a Gram Panchayat from any constituency a sum of rupees one hundred and where a candidate is woman or a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward classes a sum of fifty rupees.

(b) in case of Pradhan & Up-Pradhan of a Gram Panchayat a sum of one hundred and fifty rupees and where a candidate is a woman or member of Scheduled Castes or Scheduled Tribe or Backward Classes a sum of seventy five rupees;

(c) In case of a member of Panchayat Samiti a sum of one hundred fifty rupees and where a candidate is a woman or member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes a sum of Seventy five rupees;

(d) in case of member of Zila Parishad a sum of two hundred rupees and where a candidate is a woman or a member of Schedule Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes a sum of one hundred rupees;

Provided that where the candidature of a candidate has been proposed by more than one nomination paper for election to any single seat or office not more than one security deposit shall be required under this rule".

नामांकन पत्र प्राप्त करते समय, प्रारंभिक जाँच में यह देखा जाए कि नामांकन पत्र में सभी कॉलम विधिवत भरे हुए हैं और नामांकन पत्र पर प्रस्तावक और उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रपत्र-18क तथा **शपथ पत्र/घोषणा 18ख संलग्न है तथा आयोग द्वारा निर्देशित निर्दिष्ट जानकारी का अनुबंध भी संलग्न है । आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन पत्र जमा करते समय प्रार्थी ने प्रतिभूति राशी नियमों के अनुसार जमा की है तथा उसे इस आशय की रसीद भी जारी की गयी है ।**

यदि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान यह पाया जाता है कि फॉर्म किसी भी तरह से अधूरा है, तो उसे दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा आपके सामने पूरा करवाया जा सकता है और मामले में उसे हर उचित मदद दी जानी चाहिए ।

2. नामांकन की सूचना:

RO/ARO **के रूप में आपको एक से अधिक कार्यालयों के लिए नामांकन पत्र प्राप्त करना पड़ सकता है। इसलिए, नामांकन पत्रों के मिश्रण एवं असमंजस से बचने के लिए आप यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पद के सभी नामांकन पत्रों को एक पत्रावली में एक साथ रखा जाए। नियम 35 के तहत नामांकन पत्र प्राप्त होने पर आप उस नामांकन पत्र को क्रम संख्या आवंटित करेंगे तथा इस आशय की सूचना भी दर्ज करेंगें की आपको नामांकन पत्र अभ्यर्थी से प्राप्त हुआ है या प्रस्तावक से । इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि प्रत्येक पद के लिए क्रम संख्या एक से आरम्भ होगी तथा नामांकन के अगले दिन तथा तीसरे दिन यह क्रम संख्या लगातार जारी रहेगी अर्थात यदि प्रधान पद के लिए प्रथम दिवस को 4 नामांकन प्राप्त हुए थे तो दूसरे दिन प्रधान पद को नामांकन प्राप्त होगा उसे क्रम संख्या 5 दी जाएगी । नियम 38 अनुसार प्रपत्र 20 पर निर्धारित दिनांक को सांय 3 बजे तक प्राप्त होने वाले नामांकन पत्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ।**

3. नामांकन पत्रों की जांच:

फॉर्म-17 में दी गई सूचना के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि और समय पर, आपको सभी उम्मीदवारों के सभी नामांकन पत्रों की जांच करनी है । नामांकन पत्र तीन दिनों में प्रस्तुत किए जाते है, इसलिए, समय बचाने के लिए आप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की पात्रता की जांच करने के लिए खाली समय के दौरान यानी कार्यालय समय के बाद जमा किए गए नामांकन पत्रों पर एक नजर डाल सकते हैं। यदि आपके पास किसी विशेष नामांकन पत्र के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप इन्हें तैयार कर रख सकते हैं। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की पात्रता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इस अधिनियम के प्रावधान के मद्देनजर विचार-विमर्श के बाद आपके द्वारा

निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की पात्रता पर आपका निर्णय अंतिम होता है इसलिए तार्किक आधार पर एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए । उम्मीदवार की पात्रता, नियम 39(2)(ए) के तहत जांच की तारीख पर देखी जानी चाहिए न कि नामांकन दाखिल करने की तारीख पर । एक नामांकन पत्र की जाँच में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है अत: आप नामांकन पत्रों की जाँच के लिए उम्मीदवारों को इस तरह से बुलाए कि आप अनावश्यक भीड़ से बच सकें । नामांकन पत्रों की जांच करते समय उम्मीदवार और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से अधिकृत एक अन्य व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को जांच की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के लिए अभ्यर्थी एवं अधिकृत व्यक्ति को सभी उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। सभी नामांकन पत्रों की जांच करने और नियमों के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उन्हें स्वीकार करने और अस्वीकार करने का निर्णय लेने के तुरंत बाद, वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की एक सूची फॉर्म -21 पर तैयार की जानी चाहिए और निर्धारित स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

यदि नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है, तो आरओ अस्वीकृति के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। केवल "अस्वीकृत" लिखने से नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा क्योंकि यह जांच के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 (अनुलग्नक/Annexure -VII में संलग्न) के माध्यम से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, उचित जांच की सुविधा के लिए, चुनाव नियम के नियम 39 का प्रावधान नीचे दिया गया है:

39. नामांकन पत्रों की संवीक्षा.—(1) नियम 33 के अधीन नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं परन्तु कोई अन्य व्यक्ति नहीं और रिटर्निंग अधिकारी उन्हें सभी अभ्यर्थियों के उन नामांकन पत्रों का परीक्षण करने के लिए जो नियम 35 और 36 में अधिकथित रीति और समय के भीतर परिदत्त किये गए हो, युक्ति—युक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नामांकन पर किए गये सभी आरोपों को विनिश्चित करेगा और या तो ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे किसी नामांकन पत्र को निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर रद्द कर सकेगा, अर्थात.—

(क) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी अर्हित नहीं है या इन नियमों या अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबन्धों के अधीन स्थान के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए निरर्हित; या

(ख) नियम 35 या नियम 36 के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना न की गई हो; या

(ग) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्थापक के हस्ताक्षर असली नहीं है।

(3) उप—नियम (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट कोई बात नामांकन पत्र की किसी अनियमितता के आधार पर किसी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र को रद्द करने का अधिकार देने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि अभ्यर्थी, दूसरे नामांकन पत्र, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, द्वारा नामांकित हो गया हो।

(4) रिटर्निंग अधिकारी किसी नामांकन पत्र को ऐसी त्रुटि के आधार पर रद्द नहीं करेगा जो कि सारवान स्वरूप की नहीं है।

(5) रिटर्निंग अधिकारी नियम 33 के खण्ड (घ) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख और समय पर संवीक्षा करेगा, कार्यवाहियों के स्थगन की अनुमति नहीं देगा सिवाये इसके ऐसी कार्यवाहियों दंगों, खुली हिंसा या नियन्त्रण से बाहर कारणों के कारण वान्छित या वांछित हुई हों:

परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी या अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से समय–समय में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए आरोपों की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी को इसका खण्डन करने के लिए समय दिया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी उस तारीख को अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जिसकी कार्यवाहियां स्थगित की गई हों।

(6) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसकी स्वीकृति और रद्द करने का अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और यदि नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है तो वह ऐसे रद्दकरण के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय प्रवृत निर्वाचक नामावली में परिशिष्ट को ही इस तथ्य के लिए निश्चायक साक्ष्य माना जायेगा कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उसके निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है।

(8) रिटर्निंग अधिकारी सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा होने और उन्हें स्वीकृत और रद्द करने वाले विनिश्चय के अभिलिखित होने के तुरन्त पश्चात् प्ररूप–21 में विधिमान्य रूप में नामांकित अभ्यर्थियों अर्थात् अभ्यर्थी जिनके नामांकन विधिमान्य पाए गए हैं, की एक सूची तैयार करेगा और रिटर्निंग अधिकारी पंचायतों के कार्यालयों में सूचनापट पर चिपकाएगा।

"Rule 39. Scrutiny of nomination papers.—(1) On the date fixed for the scrutiny of nomination papers under rule 33, the candidate and one other person duly authorised in writing by each candidate but no other person, may attend and the Returning Officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination paper of all the candidates, which have been delivered within the time and in the manner laid down in rule 35 and 36.

(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers, and decide all objections, which may be made to any nomination, and may-either on such objection or on his own motion after such summary inquiry if any, as he thinks necessary reject any nomination on any of the following grounds, namely:—

(a) That on the date fixed for the scrutiny of nomination the candidate either is not qualified or is disqualified for being chosen to fill in the seat under the provisions of these Rules or the Act or any other law for the time being in force; or

(b) that there has been any failure to comply with any of the provisions of rule 35 or rule 36; or

(c) that the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.

(3) Nothing contained in clause (b) or clause (c) of sub-rule (2) shall be deemed to authorize the rejection of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(4) The Returning Officer, shall not reject any nomination paper on the ground of any defect, which is not of a substantial character.

(5) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date and time appointed in this behalf under clause (d) of rule 33 and shall not allow any adjournment of the proceeding except

when such proceedings are interrupted or obstructed by riot, open violence or by causes beyond his control:

Provided that in case an objection is raised by the Returning Officer or is made by the candidate or the person duly authorized in writing by the candidate, the candidate concerned may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date for scrutiny; and the Returning Officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

(6) The Returning Officer shall record on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected shall record; in writing, a brief statement of reasons for such rejection.

(7) For the purpose of this rule an entry in the electoral roll for the time being in force of a constituency shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an voter for the constituency.

(8) Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decision accepting or rejecting the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare in Form-21 a list of validly nominated candidates, that is to say, candidates whose nominations have been found valid and affix it on the notice board at the offices of the Returning Officer and the Panchayats."

5. नामांकन वापस लेना:

कोई भी वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 के तहत अपना नामांकन वापस ले सकता है। इस नियम के अनुसार कोई भी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक या चुनाव एजेंट को लिखित रूप में उम्मीदवारी वापस लेने के लिए प्राधिकृत करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। इसलिए, इस नियम के तहत केवल तीन व्यक्ति यानि उम्मीदवार, उसका प्रस्तावक और उसका चुनाव एजेंट ही अधिकृत हैं। जब आपको उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से नाम वापस लेने का नोटिस मिलता है, तो यह जांचना आपका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह व्यक्ति उसका प्रस्तावक या चुनाव एजेंट है या नहीं। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि यदि नामांकन पत्र की वापसी की सूचना उम्मीदवार का प्रस्तावक या चुनाव एजेंट दे रहा है तो उम्मीदवार का प्राधिकृत पत्र (Authority Letter) भी सलंग्न है ।इसका सत्यापन आप, नामांकन वापसी के दिनांक को आपके कार्यालय में मौजूद व्यक्तियों से भी करवा सकते हैं या आप सम्बंधित व्यक्ति से दूरभाष पर भी नामांकन वापिस लेने की पुष्टि कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति गलत रूप से किसी अभ्यर्थी का नामांकन वापिस न ले सके । नियम 40 का प्रावधान यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

40. अभ्यर्थिता वापिस लेना.—(1) कोई भी अभ्यर्थी प्ररूप—22 में लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित हो और रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 33 के खण्ड (ङ) के अधीन इस निमित्त अवधारित प्राधिकारी को परिदत्त किया गया हो, नियम 32 (2) के खण्ड 3 के अधीन अन्तिम तारीख को 3 बजे अपराह्न से पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा और किसी भी व्यक्ति को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली हो वापसी की सूचना को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) सूचना, अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके प्रस्तावक द्वारा या अभ्यर्थी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, दी जा सकेगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या विनिर्दिष्ट अधिकारी, अभ्यर्थिता वापिस लेने के ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्ररूप–23 में सूचना अपने कार्यालय या सम्बन्धित पंचायत के कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर लगवायेगा।

"Rule 40. Withdrawal of candidature.—(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in Form-22 subscribed by him and delivered to the Returning Officer or the authority determined in this behalf under clause (e) of rule 33, before 3 O' Clock of the afternoon on the **Last Date** under clause (iii) of rule 32, and no person who has thus withdrawn his candidature shall be allowed to cancel notice of withdrawal.

(2) The notice may be given either by the candidate in person or by his proposer or election agent duly authorized in this behalf in writing by the candidate.

(3) Upon receiving such a notice of withdrawal of candidature the Returning Officer or the specified authority shall cause a notice, Form-23, to this effect to be affixed in some conspicuous place in his office and at the office of the Panchayat concerned.

6. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची:

नामांकन पत्रों की संवीक्षा सम्पूर्ण होने के पश्चात् तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद जिसके भीतर नियम 40 के तहत उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, आपको तुरंत नियम 41 के तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची हिंदी में देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम में फॉर्म -24 में पते के साथ तैयार करनी चाहिए और किसी विशिष्ट स्थान पर एवं संबंधित पंचायत के कार्यालय पर चस्पान करनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची बनाने हेतु आयोग द्वारा पत्र दिनांक 04.08.2023 के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जो अनुलग्नक/Annexure-VIII पर उपलब्ध हैं। अत: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने से पूर्व आपको इन दिशा-निर्देशों से परिचित होना है नियम-41 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:-

41. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची.–(1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा सम्पूर्ण होने के पश्चात और उस अवधि के अवसान के पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थी नियम 40 के अधीन अभ्यर्थिता वापिस ले सकेगा रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–24 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी में तैयार करेगा और इसे अपने कार्यालय या सम्बन्धित पंचायत के कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवायेगा।

(2) तथाकथित सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और पते हिन्दी देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम में होंगे जैसे की नामांकन पत्रों में दिये गए हैं।

41. List of contesting candidates.—(1) On completion of the scrutiny of nomination papers and after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under rule 40, the Returning Officer shall forthwith prepare a list of contesting candidates in Hindi in Form-24 and cause it to be affixed at some conspicuous place in his office and at the office of the Panchayat concerned.

(2) The said list shall contain in Hindi in Devnagri script the names in alphabetical order and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers.

7. चुनाव चिन्हों का आवंटन :

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक होने के बाद, आपको प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या SEC.16-22/99-1800-46 दिनांक 30.06.2015 के तहत अनुमोदित चुनाव चिन्ह अधिसूचना में निर्दिष्ट कार्यालयवार प्रतीकों की क्रम संख्या के अनुसार आवंटित करने होगे । इसके अतिरिक्त, राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव में उम्मीदवारों को आवंटन के लिए कुछ सामान्य चुनाव चिन्ह (COMMON ELECTION SYMBOLS) भी निर्दिष्ट किए हैं, परन्तु ये चुनाव चिन्ह तभी आबंटित किए जाते है जब किसी पद के लिए अधिसूचित सभी चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद समाप्त हो जाएं। उम्मीदवार के पास चुनाव चिन्ह का कोई विकल्प नहीं होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित चुनाव चिन्ह का एक नमूना तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित चुनाव चिन्ह शामिल होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्ह व् आयोग का मार्गदर्शन की प्रति अनुलग्नक/Annexure -IX पर उपलब्ध हैं।

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के बाद उसकी एक प्रति तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजनी होगी।

8. मतपत्रों को तैयार करना :

सभी पदों सदस्य, उप-प्रधान और प्रधान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने के तुरंत बाद, चुनाव में उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों की तैयारी शुरू करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जाकर रिकॉर्ड सौंप दें। सदस्य, उप-प्रधान और प्रधान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए अलग-अलग रंगों में मुद्रित मतपत्र आपके व्यक्तिगत निरीक्षण में तैयार किए जाने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सभी पांच पदों के लिए अलग-अलग रंगों में मतपत्र उपलब्ध कराए गए हैं । जिन पर 10 चुनाव चिन्ह पहले से ही मुद्रित हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में केवल बॉल प्वाइंट पेन से मोटे और स्पष्ट सुपाठ्य अक्षरों में लिखवाना होगा। मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में लिखे जाएँगे जिस क्रम में वे प्रपत्र -24 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में प्रदर्शित किए गये हैं ।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना संख्या SEC-16-1/2011-I-5042-5176 दिनांक 10.11.2015 के माध्यम से मतपत्र पर "NOTA" "उपरोक्त में से कोई नहीं" का विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक/Annexure-X के रूप में संलग्न है। इसलिए, आपको "नोटा" की मोहर लगाने के लिए मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या से एक ब्लॉक अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। मतपत्र पर मोहर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह मतपत्र के अंतिम ब्लॉक की सीमा के भीतर लगाई जाए, मतपत्र का नमूना जिस पर नोटा की मोहर उपरोक्त अनुलग्नक/Annexure-XI पर संलग्न है ।

उदाहरण के लिए यदि किसी पद के लिए पांच अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहें हैं तो तो उस मतपत्र पर आपको पांचो अभ्यर्थियों के नाम लिखने के पश्चात् छठा ब्लाक "NOTA" "उपरोक्त में से कोई नहीं" के लिए रखना होगा तथा इस ब्लाक में "NOTA" "उपरोक्त में से कोई नहीं" की मोहर लगानी होगी । तत्पश्चात मेटल रूल की सहायता से छायांकित भाग को छोड़कर नीचे से मतपत्र को फाड़ दे ।

कृपया ध्यान रखें कि मतपत्र पर दस चुनाव चिन्ह मुद्रित होते हैं। इसलिए, यदि किसी पद के लिए दस उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको ग्यारह ब्लॉक वाले मतपत्र की आवश्यकता होगी । क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग 10 चुनाव चिन्ह मुद्रित किए हुए मतपत्र प्रिंट करवाता है इसलिए, यदि किसी भी पद के लिए, दस या दस से अधिक उम्मीदवार हैं, तो आप तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय को सूचित करेंगे । सूचना भेजते समय पद का नाम और मतदाताओं की संख्या भी अंकित की जाए ताकि आयोग द्वारा आपको पर्याप्त संख्या में मतपत्र उपलब्ध कराये जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तुरंत इस आशय की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे ताकि अविलम्ब मतपत्रों को प्रिंट किया जा सकें ।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपत्र की निम्नलिखित रंग निर्धारित किए गये है :-

1. **सदस्य** **सफेद** (White)
2. **उपप्रधान** **पीला** (Yellow)
3. **प्रधान** **हल्का हरा** (Light Green)
4. **सदस्य पंचायत समिति** **गुलाबी** (Pink)
5. **सदस्य जिला परिषद्हल्का नीला** (Light Blue)

मतपत्रों की तैयारी में कोई भी चूक पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर सकती है । इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि मतपत्र तैयार करने का काम पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करें और यह भी सुनिश्चित करें कि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं । मतपत्रों की तैयारी में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर आपके विरुद्ध आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती हैं ।

9. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पहले मृत्यु:

यदि कोई उम्मीदवार जिसका नामांकन जांच में वैध पाया गया है और जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट मतदान शुरू होने से पहले प्राप्त हो जाती है और शेष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मैदान में केवल एक ही उम्मीदवार रहता है तो राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा तथा पहले से नामांकित उम्मीदवार को कोई नया नामांकन पत्र भरना आवश्यक नहीं होगा इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाये।

10. निर्विरोध निर्वाचन:

यदि किसी सीट के लिए, केवल एक ही उम्मीदवार है जिसका नामांकन पत्र नामांकन वापस लेने के लिए निर्धारित तिथि और समय के बाद वैध पाया गया है, तो उम्मीदवार को फॉर्म -28 पर सीट भरने के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेजी जाए ।

यदि किसी सीट के लिए कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है या यदि किसी सीट के लिए कोई उम्मीदवार विधिवत नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय की एक रिपोर्ट नियम 49 (2) के तहत आगे की कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी भेजी जानी चाहिए।

11. पोल ड्यूटी मतपत्र:

कोई भी मतदाता जो चुनाव ड्यूटी पर उसी विकास खंड में तैनात है जंहा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता को मतदान की तारीख से सात दिन पहले फॉर्म-28-ए में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा। रिटर्निंग अधिकारी उसे प्रत्येक सदस्य, उप-प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के चुनाव के लिए उपयोग किए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्र जारी करेगा। मतपत्र जारी करने के पश्चात मतदाता सूची की चिन्हित प्रति पर उस मतदाता के नाम और क्रम संख्या को चिन्हित करते हुए उल्लेख करेगा कि पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है । मतदान ड्यूटी पर तैनात किसी मतदाता को मतदान ड्यूटी मतपत्र जारी करते समय रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र आयोग द्वारा उल्लिखित निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं और मतदान ड्यूटी मतपत्र पर "NOTA" "उपरोक्त में से कोई नहीं" का विकल्प भी उपलब्ध है। पोल ड्यूटी बैलेट पेपर उन्हीं बंडलों से जारी किया जाएगा जो संबंधित ग्राम सभा के लिए पीठासीन अधिकारी को जारी किए जाने हैं। वह जारी किए गए मतपत्रों की क्रम संख्या अपने पास नोट करेगा और मतपत्र जारी करने के लिए बनाए गए रजिस्टर पर उसका रिकॉर्ड रखेगा। अधिक स्पष्टीकरण के लिए आप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित पत्र संख्या SEC.16-49/2009-4221-33 **दिनांक 04.12. 2010 अनुलग्नक/Annexure-XII को देखें । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 49-ए से एफ के तहत किए गए प्रावधान आपके संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: -**

पोल ड्यूटी मतपत्र

49–क. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना.–इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने के अध्यधीन, निर्वाचक, जो उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ हैं, पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

49–ख. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं द्वारा सूचना.–उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर कोई निर्वाचक, जो किसी निर्वाचन में मतदान करने का इच्छुक हो, उस पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप–28क में इस प्रकार आवेदन करेगा ताकि वह, मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी कमतर अवधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उसके पास पहुंचे; और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक निर्वाचक है, तो वह उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्रों को जारी करेगा।

49–ग. मतपत्र का प्ररूप.–उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले मतपत्र वैसे ही होंगे, जैसे संबंधित पंचायत के अन्य निर्वाचकों को जारी किए जाते हैं।

49–घ. मतपत्र जारी करना.–(1) ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा, ऐसे मतदाता को पोल ड्यूटी मतपत्र, निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत रूप से, परिदत्त किए जाएंगे,–

(क) प्ररूप–28ख में दो घोषणा प्ररूप (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु);

(ख) प्ररूप–28ग में पांच लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक);

(ग) प्ररूप–28घ में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित दो बड़े लिफाफे (एक ग्राम पंचायत के लिए और अन्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु); और

(घ) प्ररूप–28ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश।

(2) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर उसी समय पर,–

(क) निर्वाचन नामावली की चिह्नांकित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्या को, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अभिलिखित करेगा;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में, मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र जारी किया गया है तथापि उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान करना अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(3) किसी निर्वाचन में, निर्वाचन ड्यूटी पर आरूढ़ किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र जारी करने से पूर्व, उस मतपत्र की क्रम संख्या को ऐसी रीति में प्रभावी रूप से गुप्त रखा जाएगा जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दें।

(4) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ समस्त मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति को एक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

(5) ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटीपर आरूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को भी, पृथक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

49–ङ. मत देना/वोट रिकार्ड करना.–(1) कोई मतदाता, जिसने पोल ड्यूटीमतपत्र प्राप्त किया है और मत देना चाहता है वह, प्ररूप–28ङ में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत दर्ज (रिकार्ड) करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र को प्ररूप–28ग में पृथक लिफाफे में बंद करेगा।

(2) मतदाता, पंचायत के रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, की उपस्थिति में प्ररूप–28–ख में घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

49–च. मतपत्र की वापसी.–(1) मतदाता अपना मत देने और नियम 49–ङ के अधीन घोषणा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त अधिसूचित करे, को ऐसे समय के भीतर जैसा नियत किया जाए तथा प्ररूप–28ङ में उसे संसूचित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र और घोषणा को वापस करेगा।

(2) यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त कोई लिफाफा, उप–नियम (1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो वह उस पर उस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफों को इक्कठा पृथक पैकेट में रखेगा।

(3) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उस द्वारा प्राप्त किए गए पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त समस्त लिफाफे–

(क) ग्राम पंचायत के निर्वाचन की दशा में, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर को दे दिए गए हैं;

(ख) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में, सम्बद्ध पंचायत समिति निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं; और

(ग) जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में सम्बद्ध जिला परिषद् निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को, मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं।}

Poll Duty Ballot :

49-A. Electors on poll duty entitled to vote.—Subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified, the electors who are on poll duty within the same block shall be entitled to vote at an election of Panchayat.

49-B. Intimation by voters on Poll Duty.—An elector on poll duty within the same Block, who wishes to vote at an election shall apply in Form-28A to the Returning Officer for the Panchayat so as to reach him at least seven days or such shorter period as the State Election Commission may allow before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is an elector on poll duty, he shall issue him Poll Duty Ballots, each to be used for the election of member, Up-Pradhan, Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad.

49-C. Form of ballot paper.—The ballot papers to be issued to the electors on Poll Duty within the same Block shall be same as are issued to other electors of the concerned Panchayat.

49-D. Issue of ballot paper.— (1) The Poll Duty Ballot Papers shall be delivered to such voter by the Returning Officer for the Gram Panchayat personally together with,-

(a) two Declaration forms in Form-28B (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad);

(b) five covers in Form-28C (one for each ballot paper);

(c) two large cover addressed to the Returning Officer in Form-28D (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad); and

(d) instructions for the guidance of the elector in Form 28-E.

(2) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall at the same time-

(a) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;

(b) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector; and

(c) ensure that the elector is not allowed to vote at a polling station.

(3) Before any ballot paper is issued to an elector on election duty at an election, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed in such a manner as the State Election Commission may direct.

(4) After ballot papers have been issued to all the electors on poll duty, the Returning

Officer for the Gram Panchayat shall seal in a packet the marked copy of the electoral roll and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it is sealed.

(5) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall also seal in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors on poll duty and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it has been sealed.

49-E. Recording of Vote.—(1) An elector who has received Poll Duty Ballot Papers and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the directions contained in Form-28-E and then enclose each ballot paper in separate cover in Form-28C.

(2) The elector shall sign the declaration in Form-28B in the presence of Returning Officer of the Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission.

49-F. Return of ballot paper.—(1) After an elector has recorded his vote and made his declaration under rule 49-E, he shall return the ballot paper and declaration to the Returning Officer for the Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission within such time as may be fixed and in accordance with the instructions communicated to him in Form-28E.

(2) If any cover containing a poll duty ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in sub-rule (1) he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(3) The Returning Officer for Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission shall ensure that all covers containing poll duty ballot papers received by him are delivered to—

(a) the Assistant Returning Officer for Gram Panchayat of the concerned Gram Panchayat in the case of election of Gram Panchayat;

(b) the Returning Officer of the concerned Panchayat Samiti in the case of election of members of Panchayat Samiti at the time of counting of votes; and

(c) the Returning Officer of the concerned Zila Parishad in the case of election of members of Zila Parishad at the time of counting of votes.".

भाग-II

मतदान के लिए व्यवस्थाएँ

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत रिटर्निंग अधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31 के प्रावधानानुसार चुनाव के संचालन के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और कम से कम तीन मतदान अधिकारी नियुक्त करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देशों की एक पुस्तिका अलग से प्रकाशित की है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए :

(i) पीठासीन अधिकारी:- पीठासीन अधिकारी को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। अत: जहां तक संभव हो किसी अधीक्षण का कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारी को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए तथा उसे पंचायत अथवा विधानसभा/लोकसभा के किसी भी चुनाव में इस तरह काम करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में मतदान केंद्र से पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में नियुक्त वरिष्ठतम मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(ii) मतदान अधिकारी:- प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम तीन मतदान अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान दल के लिए निर्धारित गमनागमन कार्यक्रम (Movement Programme) के अनुसार सभी मतदान अधिकारी मतदान केंद्र पर उपलब्ध हों । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में मतदान केंद्र से कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे स्थानीय स्तर के कर्मचारी को मतदान अधिकारी नियुक्त करके की व्यवस्था करेगा जो सरकार या सरकारी उपक्रम का कर्मचारी हो ।

(iii) मतदान सामग्री.- यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केंद्र पर प्रस्थान करने से पहले समस्त मतदान सामग्री प्रत्येक मतदान दल को सौंप दी गयी है और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान दल चुनाव की पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित है।

(iv) नकद अग्रिम- पीठासीन अधिकारी को मतदान के दौरान उत्पन्न होने वाले मजदूरी आदि अथवा अन्य आकस्मिक शुल्कों को पूरा करने के लिए प्रत्येक चरण के मतदान के लिए 100/- नकद अग्रिम दिया जाएगा। यदि मतदान दल को चुनाव सामग्री के साथ काफी दूरी तक पैदल जाना पड़ता है तो आप सड़क से मतदान केंद्र की दूरी को ध्यान में रखते हुए नकद अग्रिम राशि बढ़ा सकते हैं। मतदान दल कार्यमुक्ति के समय आकस्मिक व्यय का लेखा-जोखा रसीद/वाउचर के साथ प्रस्तुत करेगा।

(v) मतपत्र.- प्रत्येक मतदान केंद्र/मतदान बूथ के लिए मतपत्र अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची व् अनुपूरक सूची में मतदाताओं की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए अगले दस क्रम तक के लिए मतदाताओं की संख्या के अनुसार जारी किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि मतदाताओं की संख्या

381 है तो जारी किए जाने वाले मतपत्रों की कुल संख्या 390 होगी। इसे जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतपत्र की क्रम संख्या फ़ॉइल और काउंटरफ़ॉइल पर समान है और यह भी सुनिश्चित करें कि निर्विरोध निर्वाचित पदों के अतिरिक्त, सभी कार्यालयों के लिए मतपत्र जारी किए गये हैं। मतपत्र जारी करने के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह के अनुरूप ही मतपत्र सही ढंग से लिखे गए हैं और प्रत्येक मतपत्र के अंतिम ब्लॉक पर नोटा का निशान लगाया गया है ।

(vi) मतपेटियां:-नियमों के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो मतपेटियां रखी जाएंगी, एक सदस्य, उप-प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए और दूसरी सदस्य पंचायत समिति और सदस्य जिला परिषद के कार्यालय के लिए । एक मतदान दल जो तीन चरणों में मतदान करवाएगा उस मतदान दल को कुल 4 बैलट बॉक्स प्रदान किए जाएंगें । इसके साथ ही आप भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत 8 से 10 ग्राम पंचायतों के लिए एक सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति करें तथा सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी में कुछ मतपेटियां रखी जाएँ । मार्गदर्शन के लिए नियम 60 के प्रावधान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

60. मतदान प्रक्रिया.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक समय में दो मत पेटियों का उपयोग किया जाएगा, एक ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान और उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए तथा दूसरी पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए।

(2) मतदान अधिकारी प्रथम ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान और उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए पृथकतः मत पत्र जारी करेगा और मतपेटी संख्या 1 में मतों को डालने के पश्चात् वह पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतपत्र जारी करेगा जिसके लिए मत पेटी संख्या 2 का उपयोग किया जाएगा।

(3) मतदाता, मतपत्र प्राप्त करने पर तत्काल कक्ष की ओर जाएगा और मतपत्र पर मुद्रित अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और चिन्ह पर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं (नोटा) के सामने इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मुहर की छाप मतपत्र पर लगाएगा और वह मतपत्र को, मतदान अधिकारी के सामने रखी सुसंगत सीलबन्द मतपेटी में डालेगा।,

(4) प्रत्येक मतदाता, अपना मत डालने के यथाशीघ्र मतदान केन्द्र को बिना असम्यक् विलम्ब छोड़ेगा।

"60. Voting procedure.—(1) At each polling station two ballot boxes shall be used at a time, one for casting votes for the election of members Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat and the other for the election of the members of Panchayat Samiti and Zila Parishad.

(2) The Polling Officer shall first issue the ballot paper separately for election of the members Pradhan and Up- Pradhan of Gram Panchayat and after having cast the votes in ballot box No. 1 and thereafter he shall issue the ballot papers for the election of the members of Panchayat Samiti and Zila Parishad separately for which a ballot box No. 2 shall be used.

(3) On receiving the ballot papers, the voter shall forthwith proceed to the compartment and mark the ballot paper by putting the seal provided for the purpose on or before the name and symbol of the candidate to whom elector wants to vote, printed on the ballot paper. He shall insert it in the relevant sealed ballot box kept before the Polling Officer.

(4) Every voter shall without undue delay quit the Polling Station as soon as he has cast his vote.

(vii) मतदाता सूची की कार्य प्रतियां:- प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची की तीन कार्य प्रतियां जारी की जानी चाहिए।

(viii) प्रयुक्त मतपेटियों की सुरक्षित अभिरक्षा.- मतदान केंद्रों से मतगणना स्थल तक मतपेटियों की सुरक्षित परिवहन और अभिरक्षा के लिए पहले से व्यवस्था की जा सकती है । विशेष रूप से सदस्य पंचायत समिति और जिला परिषद की मतदान वाली मतपेटियों के परिवहन और अभिरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध किए जाने की आवश्यकता होती है । इन मतपेटियों के उच्च सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा जैसा कि उपरोक्त नियमों के नियम 68 में दिया गया है:

68. रिटर्निंग अधिकारी को मत पेटियों, पैक्टों आदि का प्रेषण.—पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित ऐसे स्थान पर जैसे कि रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी निर्देश देगा या दिलवायेगा .—

(क) मत पेटियां ;

(ख) मत पत्र लेखा ;

(ग) नियम–67, में निर्दिष्ट मोहर बन्द पैकेट ; और

(घ) सभी अन्य पत्र/मतदान पर प्रयोग होने वाली सामग्री ;

(2) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के सम्पूर्ण निदेशाधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निर्वाचन प्रोग्राम के अनुसार ग्राम पंचायत से सम्बद्ध मत पेटियों का ग्राम पंचायत मुख्यालय को, और पंचायत समिति तथा जिला परिषद् से सम्बद्व मत पेटियों को पंचायत समिति मुख्यालय को, सुरक्षित वहन करने के लिए पर्याप्त इन्तजाम करेगा। भवन जिसमें मत पेटियां रखी जाती हैं, सशस्त्र–पुलिस/होम गार्ड बल द्वारा पर्याप्त रूप से पहरे में रखी जाएगी।

"68. Transmission of ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer.—(1) The Presiding Officer shall deliver or cause to be delivered to the Returning Officer at such place as the Returning Officer, or such other Officer authorised by him in this behalf, may direct:-

(a) The ballot boxes;

(b) the sealed papers account;

(c) the sealed packets referred to in rule 67; and

(d) all other papers/material used at the poll.

(2) The Returning Officer or any other officer authorised by him in this behalf under the over all directions of the District Election Officer (Panchayats) shall make adequate arrangements for the safe transport of ballot boxes pertaining to the Gram Panchayat to the Gram Panchayat Headquarters and ballot boxes pertaining to Panchayat Samiti and Zila Parishad to Panchayat Samiti Headquarter as per election programme. The building in which the ballot boxes are kept shall be adequately guarded by armed Police/Home guard forces".

(vii) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नियमों के अनुसार चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के वह प्रावधान जिनके अनुसार इन एजेंटों कि नियुक्तियां होगी आपके मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए हैं:-

43. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.—यदि कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करने की ईच्छा रखता है तो ऐसी नियुक्ति या तो नामांकन पत्र या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय प्ररूप–25 में की जाएगी।

44. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) किसी निर्वाचन में जहां मतदान होना है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी व्यक्ति को जो अभ्यर्थी होने या अधिनियम के अधीन पंचायत का सदस्य बनने के लिए निरर्हित नहीं है, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–26 में दो प्रतियों में लिखित प्रपत्र द्वारा की जाएगी जो, यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, यथास्थिति, नियुक्ति–पत्र की दूसरी प्रति को मतदान अधिकारी अभिकर्ता को देगा जो मतदान के लिए नियत तारीख को इसे प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को तब तक मतदान केन्द्र में कोई भी कर्तव्य की पालना करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसने इस उप–नियम के उपबधों की अनुपालन न कर ली हो।

45. मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति.—निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन अभ्यर्थी या मतदाता निरर्हित नहीं है, प्ररूप–27 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जो, यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता भी नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति को मतगणना अभिकर्ता को देगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को इसे प्रस्तुत करेगा और इसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर रिटर्निंग अधिकारी को या उसके द्वारा नियम 75 के अधीन प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी उसको प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना के लिए नियत स्थान पर किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक उसने इस उप–नियम के उपबन्धों का अनुपालन न कर लिया हो।

46. नियुक्ति का प्रतिसंहरण या निर्वाचन मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं की मृत्यु.—यथास्थिति, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय मतदान आरम्भ होने से पूर्व या मतदान के दौरान लिखित और हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी और अभ्यर्थी द्वारा उसकी एक प्रति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। उपरोक्त अभिकर्ताओं की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी द्वारा नए अभिकर्ता की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करते हुए की जा सकेगी।

47. अभिकर्ता की अनुपस्थिति.—जहां इन नियमों के अधीन अभिकर्ता की उपस्थिति में किसी कार्य या बात का होना अपेक्षित या प्राधिकृत है तो उस प्रयोजन के लिए नियत तारीख, समय या स्थान पर किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में किया गया कार्य व बात विधिमान्य नहीं होगी यदि कार्य या बात अन्यथा सम्यक् रूप से की गई हो।

"Rule 43. Appointment of election agent.—If a candidate desires to appoint an election agent, such appointment shall be made in Form-25 either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election".

"Rule 44. Appointment of polling agent.—(1) At any election in which poll is to take place, any contesting candidate, or his election agent, may appoint a person who is not disqualified to be a candidate or member to Panchayats under the Act to act as polling agent of such candidate at each polling station. Such appointment shall be made by a letter in writing in duplicate in Form-26 signed by the candidate or his election agent, as the case may be.

(2) The candidate or his election agent, as the case may be, shall deliver the duplicate copy of the letter or appointment to the polling officer who shall on the date fixed for the poll present and sign the declaration contained therein, before the Presiding Officer. The Presiding Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No polling agent shall be allowed to perform any duty at the polling station unless he has complied with the provisions of this sub-rule".

"45. Appointment of counting agent.—(1) Each contesting candidate or his election agent may appoint a person who is not disqualified to be a candidate or a voter under the Act to act as counting agent by a letter in writing, duplicate in Form-27 signed by the Candidate or his election agent, as the case may be.

(2) The candidate or his election agent shall also deliver the duplicate copy of the letter or appointment to the counting agent who shall on the date fixed for counting of votes, present it to, and sign the declaration contained therein before, the Returning Officer or such other officer authorised by him under rule 75 and such officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No counting agent shall be allowed to perform any duty at the place fixed for the counting of votes, unless he has complied with the provisions of this sub-rule."

"46. Revocation of the appointment or death of election, polling and counting agent.— The appointment of the election agent polling agent and counting agent, as the case may be, may be revoked by the candidate at any time before the commencement of or during the poll by a declaration in writing signed by him and copy of the same shall be submitted by the candidate to concerned Returning Officer. In case of death of the above agents new agents may be appointed by the candidate under intimation to the Returning Officer."

"47. Non-attendance of agent.—Where any act or thing is required or authorised by these rules to be done in the presence of agents, the non attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, if the act or thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done."

भाग-III

वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा

1. मतगणना की तिथि, स्थान और समय:

वोटों की गिनती चुनाव कार्यक्रम में निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर या राज्य चुनाव आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुरू की जाएगी।

2. गणना हेतु निर्धारित स्थान पर प्रवेश:

आप नियम 73 के अनुसार अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतगणना के स्थान पर अनुमति नहीं देंगे, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

73. गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश.—(1) रिटर्निंग अधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित के सिवाए अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा .—

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हे वह गणना में अपनी सहायता करने को नियुक्त कर सके;

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) निर्वाचन से सम्बद्ध लोक सेवक जो ड्यूटी पर तैनात है ; और

(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो निर्वाचन में या उसके बारे में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा कार्य करता रहा है।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी यह विनिश्चित करेंगे कि कौन सा गणन अभिकर्ता या अभिकर्ता किसी विशिष्ट गणन टैबल या गणन टेबलों पर गणना की निगरानी रखेगा।

(4) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं अवचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारियों के विधि पूर्ण निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है तो मतों की गणना के स्थान से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ड्युटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

"73. Admission to the place fixed for counting.—(1) The Returning Officer or such other Officer authorised by him in this behalf, shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except:—

(a) such persons as he may appoint to assist him in the counting ;

(b) person authorised by the State Election Commission or the District Election Officer (Panchayats).

(c) public servant on duty in connection with the election; and

(d) candidates, their election agents and counting agents.

(2) No person who has been employed by or on behalf of or has been other wise working for a candidate in or about the election shall be appointed under clause (a) of sub-rule(1).

(3) The Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf, shall decide which counting agent or agents shall watch the counting at any particular counting table or group of counting tables.

(4) Any person, who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful direction of the Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf may be removed from the place where the votes are being counted, by the Returning Officer, or by any Police Officer on duty or by any person authorised in this behalf by the Returning Officer".

3. मतगणना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मतगणना व्यवस्था:

प्रत्येक मतगणना दल में एक टेबल पर इस उद्देश्य के लिए विधिवत प्रशिक्षित मतगणना अधिकारी शामिल होंगे। एक मतगणना हॉल में एक से अधिक मतगणना टेबल हो सकती हैं, बशर्ते रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक मतगणना टेबल पर कड़ी निगरानी रखेगा। उम्मीदवारों या उनके एजेंटों को मतगणना टेबल से उचित दूरी पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है, उन्हें किसी भी स्थिति में मतपत्रों को छूने या मतगणना कर्मचारियों के साथ वोटों को छांटने या गिनती करने में सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी निर्वाचन क्षेत्र की गिनती समाप्त होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जा सकते हैं और अगले निर्वाचन क्षेत्र की गिनती शुरू की जा सकती है, उसके बाद उम्मीदवार और उसके एजेंट को उस निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम की घोषणा के बाद मतगणना हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतगणना स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारी अपना कर्तव्य/कार्य ठीक से करें।

4. मतगणना की प्रक्रिया

नियम 32 के तहत निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिन निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना आपको करनी है, वहां की मतपेटियां प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी को या उनके काउंटिंग एजेंट को सील आदि दिखाने के बाद मतपेटियां खोली जाएंगी । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 74 के प्रावधान निम्नानुसार है :-

74. मतपेटियों की संवीक्षा करना और खोलना.–(1) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी, उसी पद के लिए एक से अधिक मतदान केन्द्र में प्रयोग हुई मतपेटियों को खोलेंगे और सम सामयिक रूप से उसमें मतदान किए गए मतों का स्टेज करेंगे।

(2) गणना टेबल पर किसी मत पेटी को खोलने से पूर्व टेबल पर उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को कागज पत्र की या ऐसी अन्य मोहरें जो उन पर लगाई गई हों, की जांच करने दी जाएगी ताकि उनका समाधान हो सके कि वे अक्षत हैं।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी अपना समाधान करेगा कि किसी भी मत पेटी से वास्तव में हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

(4) यदि रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मत पेटी में हस्तक्षेप हुआ है, तो वह उस पेटी में अन्तर्विष्ट मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र में नियम 71 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

74. Scrutiny and opening of ballot boxes.—(1) The Returning Officer or such other Officers authorised by him in this behalf may have the ballot boxes used at more than one polling station for the election of same office, opened and votes polled therein counted simultaneously.

(2) Before any ballot boxes opened at a counting table, the counting agents present at the table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seals as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that it is intact.

(3) The Returning Officer or such other officer authorised by him, shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(4) If the Returning Officer or such other Officer authorised by him, is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in rule 71 in respect of that polling station.

वोटों की गिनती का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का कार्य आपके द्वारा या आपके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है। इसलिए, आपको मतगणना की प्रक्रिया से सावधानीपूर्वक परिचित होना आवश्यक है। वोटों की गिनती के दौरान तैनात कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है, खासकर जब दो उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर तुलनात्मक रूप से कम हो। यदि मतगणना ठीक से और सावधानी से की जाती है तो पुनर्गणना के लिए अनुरोध प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं होगी। कृपया याद रखें कि गलत, अनियमित या लापरवाही से की गई गिनती से पूरे चुनाव का परिणाम रद्द हो सकता है। बैलट बॉक्स खुलने के बाद मतपत्रों को कार्यालयवार/रंग के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक मतपेटियाँ हैं तो सभी बैलट बॉक्स के मतपत्रों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए और उसके बाद नियम 75 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यालयवार/रंगवार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतों की गणना वार्डो के क्रम अनुसार की जाएगी । प्रत्येक वार्ड की मतपेटी नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए खोली जाएगी । जिसमें से प्रधान व् उप-प्रधान के मतपत्र रंग के आधार पर छांट कर अलग अलग किसी टोकरी अथवा टब आदि में रखा जाए । ध्यान रहें कि यह मतपत्र बिना गिने व् बिना बण्डल बनाए खुले रखे जाएँगे ताकि इनकी गणना के समय सम्बंधित प्रत्याशी आवश्यकता पड़ने पर इसका अवलोकन कर सकें । इसी प्रकार पंचायत समिति व् जिला परिषद् के मतपत्र भी रंग के आधार पर छांटे जाएगे तथा इस प्रक्रिया में प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रत्याशी या उनके मतगणना अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं ।

गणना की विस्तृत प्रक्रिया नियम 73-ए और नियम 75 के तहत प्रदान की गई है जिसे आपके संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना एवं पुन:गणना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिसका अध्ययन अनुलग्नक/ Annexure-16 पर किया जा सकता हैं ।

73–क. पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना.–(1) रिटनिर्ंग आफिसर इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में प्रथमतः पोल ड्यटी मतपत्रों का निपटान करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप–28घ में प्राप्त किया गया कोई भी लिफाफा इस निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में रखे गए किसी भी मत की गणना नहीं की जाएगी।

(3) अन्य लिफाफे एक के बाद एक खोले जाएंगे और जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाता है, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप–28ख में अतंर्विष्ट घोषणा की प्रथमतः जाचं करेगा और यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित नहीं हुई है, या अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपुण है, या यदि मतपत्र की क्रम सख्या, (प्ररूप–28ख) में प्रविष्ट की गई क्रम सख्या से, प्ररूप–28ग में लिफाफे पर पृष्ठाकिंत क्रम सख्या से भिन्न है तो उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा और उसपर समुचित पृष्ठाकंन करने के पश्चात्, रिटनिर्गं आफिसर इसमें अतंर्विष्ट मतपत्र को रद्द करेगा।

(4) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा और इसके साथ प्राप्त घोषणा को प्ररूप–28घ में बनाए लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप–28घ में ऐसे समस्त लिफाफे अलग पैकेट में रखे जाएंगे जो मुहरबदं किए जाएंगे और उन पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम गणना की तारीख और इसकी संक्षिप्त अन्तर्वस्तु को अभिलिखित किया जाएगा।

(5) रिटर्निंग आफिसर तय प्ररूप–28ख की समस्त घोषणाओं जो उसे व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई हों, को अलग पैकेट में रखेगा और उन्हें प्ररूप–28ग में किसी लिफाफे को खोलने से पूर्व मुहरबदं करेगा और उस पर उप–नियम (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा ।

(6) प्ररूप–28घ में लिफाफे जो इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही व्यवहृत नहीं किए गए हैं तब एक के बाद एक खोले जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र की छानबीन करेगा और उस पर अभिलिखित (दर्ज) मतपत्र की वैधता विनिश्चित करेगा।

(7) पोल ड्यिटूी मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा यदि,–

(क) मत को अभिलिखित (दर्ज) करने के चिन्ह के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य चिन्ह अंकित किया गया हो या कोई लेखन किया गया हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है; या

(ख) यदि उस पर मत दर्ज नहीं हुआ हो; या

(ग) यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के लिए मत दर्ज किए गए हों ; या

(घ) यदि यह अप्रमाणित (जाली) मतपत्र है; या

(ङ) यदि यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विकृत हुआ है कि प्रामाणिक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजे गए लिफाफे के साथ वापिस नहीं भेजा गया है।

(8) पोल डियटूी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत अस्वीकृत किया जाएगा यदि मत के लिए दर्शाया गया चिन्ह मतपत्र पर इस रीति से लगाया जाता है कि यह संदेहजनक लगे कि किस प्रत्याशी को मतदान किया गया है।

(9) पोल डियटूी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत देने के लिए दर्शाया गया चिन्ह स्पष्ट नहीं है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र को चिह्नित करने के तरीके से आश्य सपष्टतः प्रतीत होता हो कि मत किस विशिष्ट अभ्यर्थी को डाला गया है।

(10) रिटनिर्गं आफिसर प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में अभिलिखित (डाले गए) समस्त विधिमान्य मतों की गणना करेगा और कुल मतों को निम्नलिखित रीति में परिणाम शीट पृष्ठ पर अभिलिखित करेगा, अर्थात्:–

(क) ग्राम पचांयत के सदस्य के मामले में प्ररूप–32 में ;

(ख) प्रधान/उपप्रधान के मामले में प्ररूप–34 में;

(ग) पंचायत समिति के सदस्य के मामले में प्ररूप–36 में;

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में प्ररूप–38 में, और इसकी घोषणा करेगा।

(11) समस्त वैध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्र अलग–अलग पुलिन्दे में पैकटे में रखे जाएंगे जो रिटनिर्ंग आफिसर और प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की मोहरों से सीलबदं किए जाएंगे, यदि वे उस पर अपनी सील लगाना चाहें, और उस प्रकार मोहरबदं पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और इसकी अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा।

75. मतगणना की प्रक्रिया.–रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियम 32 के अधीन नियत तारीख, समय और स्थान पर, निम्नलिखित रीति में मत की गणना आरम्भ करेगा, अर्थात्:–

(i) ग्राम पंचायत के पदों/स्थानों के लिए मतों की गणना ग्राम पंचायत मुख्यालय में और पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के लिए खण्ड मुख्यालय में निर्वाचन प्रोग्राम के अनुसार होगी।

(ii) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी क्रमांक संख्या के अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्र की मतपेटी को बाहर निकालेगा और अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतपेटी (पेटियों) और उस पर लगी मोहर का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा ताकि उनका समाधान हो जाए कि वे अक्षत हैं।

(iii) प्रत्येक मतपेटी को खोले जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, को मत पेटी, को निरीक्षण करने और उनका समाधान करने दिया जाएगा कि मत पेटी के भीतर सही लेवल लगे हुए है।

(iv) सभी मत पत्र प्रत्येक पेटी से बाहर निकाले जाएंगे और खाली पेटी अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं को उनके समाधान के लिए दिखाई जाएगी कि पेटी के भीतर कोई मत पत्र बाकी नहीं रह गया है।

(v) प्रत्येक पेटी से निकाले गए मत पत्रों को उसी पद से सम्बद्ध अन्य मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों के साथ मिलाया जाएगा और उसके पश्चात् हर सीट/पद के लिए पृथकतः उनकी छटाई की जाएगी। ग्राम पंचायत के सदस्य (सदस्यों) के मत पत्र उसी टेबल पर रहने दिए जाएंगे और प्रधान और उप–प्रधान के पद के मतपत्र गणना के बिना ही रिटर्निंग अधिकारी को बाद में गणना के लिए दे दिये जाएंगे। गणना के पश्चात् ग्राम पंचायत के सदस्यों का परिणाम प्ररूप–32 पर (रिज़ल्टशीट) तैयार करके प्ररूप–33 पर घोषित किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त उप–प्रधान/प्रधान के पदों के लिए परिणाम की घोषणा, गणना के पश्चात् प्ररूप–34 पर रिज़ल्ट शीट तैयार करके प्ररूप 35 पर की जाएगी।

(vi) खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हर–एक निर्वाचन से सम्बद्ध मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों को अन्य मत पेटियों से निकाले गए मत पत्रों के साथ मिलकर पृथकतः छंटाई की जाएगी। पंचायत समिति सदस्यों के स्थान के मत पत्रों को उसी टेबल पर रखा रहने दिया जाएगा और जिला परिषद् सदस्यों के स्थान के मत पत्रों को मतपत्र लेखा के साथ मिलान करके, बिना गणना के ही अन्य टेबल पर कर दिया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों के स्थानों के लिए गणना पहले की जाएगी और पंचायत समिति के सदस्यों का परिणाम प्ररूप–36 पर रिजल्ट शीट तैयार करके प्ररूप–37 पर घोषित किया जाएगा। इसके पश्चात् जिला परिषद् के सदस्य के लिए गणना की जाएगी और गणना के पश्चात् प्ररूप–38 भाग–1 पर रिजल्ट–शीट तैयार की जाएगी। मतपत्र लेखा प्ररूप–38 भाग–1 सहित और मोहर बन्द लिफाफे में मत पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजा जाएगा जो प्राप्त किए गए प्ररूप–38–। को संकलन करने के पश्चात् प्ररूप–37 भाग–।। में रिजल्ट शीट तैयार करेगा और प्ररूप–39 पर परिणाम घोषित करेगाः

परन्तु प्ररूप 33, 35, 37 और 39 में परिणाम की घोषणा केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता को नियम 79 के अधीन पुनः गिनती करने के अधिकार का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

73-A. Counting of votes received through poll duty ballot papers.—(1) The Returning Officer shall at the first instance deal with the poll duty ballot papers in the manner hereinafter provided.

(2) No cover in Form-28D received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in this behalf shall be opened and no vote contained in such a cover shall be counted.

(3) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the Returning Officer shall first scrutinize the declaration in Form-28B contained therein and if the said declaration is not found, or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective, or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the cover in Form-28C, that cover shall not be opened, and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper contained therein.

(4) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form-28D and all such covers in Form-28D shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its content.

(5) The Returning Officer shall then place all the declarations in Form-28B which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any cover in Form-28C is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (4).

(6) The covers in Form-28D not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after another and the Returning Officer shall scrutinize each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(7) A poll duty ballot paper shall be rejected-

if it bears any mark other than mark to record the vote or writing by which the elector can be identified; or

(a) if it bears any mark other than mark to record the vote or writing by which the elector can be identified; or

(b) if no vote is recorded thereon; or

(c) if votes are recorded in favour of more candidates than one; or

(d) if it is a spurious ballot paper; or

(e) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(f) if it is not returned in the cover sent along with it to the elector by the Returning Officer.

(8) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been recorded.

(9) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the ballot paper is marked.

(10) The Returning Officer shall count all the valid votes recorded in favour of each candidate and record the total thereof in the result sheet in—

Form-32 in the case of member of Gram Panchayats;

Form-34 in the case of Pradhan/Up Pradhan;

Form-36 in the case of member of Panchayat Samiti ; and

Form-38 in the case of member of Zila Parishad, and announce the same.

(11) All the valid ballot papers and the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed with the seals of the Returning Officer and the candidates or their election agents or counting agents, if they desire to affix their seals thereon, and on the packet so sealed the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its contents shall be recorded.".]

75. Procedure for counting of votes.—The Returning Officer or any officer authorised by him, on the date, time and place fixed under rule 32, shall start the counting of votes in the following manner, namely:—

(i) the counting of votes for the office/seats of Gram Panchayat shall take place at the headquarters of Gram Panchayat and for the members ofPanchayat Samiti and Zila Parishad at the Block headquarters as per election programme;

(ii) the Returning Officer or such other Officer as may be authorised by him in this behalf shal1 take out the ballot box constituency-wise according to serial number and allow opportunity to candidates or their election agent to inspect the ballot box(es) and the seals to satisfy themselves that they are intact;

(iii) after each ballot box is opened, the candidates or the election agents, who may be present, shall be allowed to inspect the ballot box and satisfy themselves that it bears the proper labels inside the ballot box;

(iv) all the ballot papers in each box shall be taken out and the empty box be shown to the candidates or the election agents for their satisfaction that no ballot paper has been left inside the box ;

(v) the ballot papers taken out of each box shall be mixed up with other ballot papers taken out of other ballot boxes concerning the same office and after that shall be sorted out separately for each seat/office. The ballot paper for the members of Gram Panchayat shall be retained on the same tables and ballot papers for the office of Pradhan and Up-Pradhan shall be passed on without counting them to the Returning Officer for their counting at later stage. After the counting the result of members of Gram Panchayat shall be declared on Form 33 after preparing the result sheet on Form 32. After the declaration of result of all the members of the Gram Panchayat, the counting for the offices of Up-Pradhan/Pradhan shall be taken and result declared on Form 35 after preparing result-sheet on Form 34;

(vi) the ballot papers taken out of boxes after mixing up with other ballot boxes concerning the election for each office shall be sorted out separately for members, Panchayat Samiti and Zila Parishad at Block level. The ballot papers for the seat of members of Panchayat Samiti shall be retained on the same table and the ballot papers for the seat of members, Zila Parishad shall be passed on the another tables without counting them after telling with the Ballot Paper account. Counting for the seat of members, Panchayat Samiti shall be taken up first and the result of the members Panchayat Samiti shall be declared on Form 37 after preparing result sheet on Form 36, After this counting for the member, Zila Parishad shall be taken up and result of counting of votes of members of Zila Parishad shall be prepared on Form 38 Part-I. The ballot paper account alongwith Form 38 Part-I and ballot paper in the sealed envelope shall be sent to the District Election Officer (Panchayats) who after compiling the Form 38 Part-I received from each block, prepare the result sheet in Form 38 part-II and then declare the result on Form 39:

[Provided that the declaration of results on Forms 33, 35, 37 and 39 shall be made only after a reasonable opportunity for exercise of right to recount has been given under rule 79 to the candidate or his election agent or his counting agent.]

जब किसी कार्यालय के संबंध में मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाती है, तो आप प्रासंगिक प्रपत्र पर परिणाम पत्र तैयार करेंगे और परिणाम पत्र के विवरण की घोषणा करेंगे । जैसा कि नियम-79 के अनुसार वांछित है उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा पुनर्गणना के आवेदन दाखिल करने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे । यदि उचित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं भरा जाता है तो आप परिणाम घोषित करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

5. मतपत्रों की जांच और अस्वीकृति

किसी भी मतपत्र की अस्वीकृत करते समय बहुत सावधानी से काम करना होता है। आपके मार्गदर्शन के लिए वैध और अवैध वोटों के उदाहरणात्मक मामले अनुबंध-XI के रूप में संलग्न किए गए हैं। मतपत्रों की जांच और अस्वीकृति नियम 76 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसे निम्नानुसार है:-

76. मत पत्रों की संवीक्षा और अस्वीकृति.—(1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्र अस्वीकार किए जाएंगे यदि.—

(क) इस पर कोई चिन्ह या लिखित हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो ;

(ख) यह जाली मत पत्र हो ;

(ग) यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विभिन्न रूप का हो गया हो जिससे उसकी पहचान कि यही वास्तविक मत पत्र है, नहीं की जा सकती हो ;

(घ) इस पर ऐसी क्रमांक संख्या हो या इसकी ऐसी शक्ल हो जो किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र पर प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र का क्रमांक संख्या या शक्ल से यथास्थित भिन्न हो;

(ङ) इस पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो निम्न नियम 59 के उप–नियम (3) के उपबन्धों के अधीन उस पर लगा होना चाहिए था ;

(च) यह पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित नहीं किया गया हो ;

(छ) यह एक से अधिक सदस्यों के स्तम्भों पर चिन्हित किया गया हो ;

(ज) यह ऐसा उपस्कर द्वारा और ऐसी रीति में चिन्हित किया गया हो जो इस प्रयोजन ने लिए विहित उपस्कर और रीति से भिन्न हो :

परन्तु जहां रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी ने अपने समाधान करने पर निर्देश दिया है कि खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित कोई ऐसी त्रुटि, मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाये गये किन्हीं मत पत्रों या सभी के बारे में, पीठासीन अधिकारी या सम्बद्ध मतदान अधिकारी की ओर से की गई गलती या असफलता के कारण हुई है, जिसको अनदेखा कर दिया जाए तो मत पत्र खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन ऐसी त्रुटि के मात्र आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा लगाया गया चिन्ह मत पत्र के दो स्तम्भों में फैल जाता है तब मत उस अभ्यर्थी के हक में गिना जाएगा जिसके स्तम्भ में चिन्ह का ज्यादा भाग आता हो।

(2) उप–नियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को अस्वीकार करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी प्रत्येक उपस्थित गणन अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्ति–युक्त अवसर देगा और उसे या किसी अन्य मत पत्र को छूने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी अस्वीकृत मत पत्र पर अक्षर (अस्वीकृत) और संक्षिप्त रूप में अस्वीकार के आधारों को अपने हाथ से या रबड़ की मोहर द्वारा अभिलिखित करेगा।

(4) इस नियम के अधीन सभी अस्वीकृत मतपत्रों को एक साथ बांधा जाएगा।

"76. Scrutiny and rejection of ballot papers.—(1) A ballot paper contained in a ballot box shall be rejected if:—

(a) it bears any mark or writing by which the voter can be identified;

(b) it is a spurious ballot paper;

(c) it has been so damaged or mutilated that its identification as a genuine ballot paper can not be established;

(d) it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers, or as the case may be, of design of the ballot paper, authorised for use at the particular polling station;

(e) it does not bear any mark which it should have borne under the provisions of sub-rule (3) of rule 59;

(f) it has not been marked by the Presiding Officer;

(g) it has been marked in the columns of more than one candidates; or

(h) it has been marked with an equipment and in the manner other than the equipment and the manner prescribed for that purpose.

Provided that where Returning Officer or such other officer authorized by him, on being satisfied that any such defect as is mentioned in clause (d) or clause (e) has in respect of all or any ballot papers used at a polling station been caused by the mistake or failure on the part of the Presiding Officer or Polling Officer concerned, and has directed that the defect should be overlooked, a ballot paper shall not be rejected only on the ground of such defect under clause (d) or clause (e);

Provided further that if the mark put by a voter has spread over two columns of the ballot paper then, the vote shall be counted in favour of the candidate in whose column the major portion of the mark fall.

(2) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (1) the Returning Officer or such other officers authorised by him shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(3) The Returning Officer or such other Officer authorised by him, shall record on every ballot paper which he rejects the letter 'R' and the grounds of rejection in abbreviated from whether in his own hand or by means of a rubber stamp.

(4) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together."

आपको मतगणना सहायक को निर्देश देने चाहिए कि केवल उन्हीं मतपत्रों को संदिग्ध समूह में रखा जाए जो वास्तव में संदिग्ध हैं या जिन्हें उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट संदिग्ध माना जाना चाहते हैं, ताकि संदिग्ध मतपत्रों की संख्या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय की जा सके। अनावश्यक रूप से संदिग्ध मतपत्रों की संख्या को अधिक न होने दें।

आपको प्रत्येक मतपत्र पर, जिसे आप अस्वीकार करते हैं, उस मतपत्र पर शब्द (रद्द) (Rejected) लिखना होगा और ऐसी प्रत्येक अस्वीकृत मतपत्र को रद्द करने का कारण भी संक्षिप्त रूप में अपने हाथ से या रबर स्टांप के माध्यम से करना चाहिए।

मतपत्रों की अस्वीकृति के विभिन्न कारणों को निर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रपत्र में एक रबर स्टाम्प का उपयोग किया जा सकता है। उस स्थिति में, आपको इस मोहर को लगाना होगा जिसमें सभी कारणों का उल्लेख होगा और उन विशेष कारणों के सामने का (√) निशान लगाना होगा जिनके लिए मतपत्र को अस्वीकार किया जाना है और फिर हस्ताक्षर करने होगे ।

(i) मतपत्र पर कोई चिह्न नहीं

(ii) रिक्त स्थान पर चिह्न

(iii) एक से अधिक मतदान

(iv) मतपत्र पर ऐसा निशान जिससे मतदाता की पहचान हो

(v) विकृत मतपत्र

(vi) असली मतपत्र नहीं होना

(vii) ----------

6. मतगणना निरंतर जारी रहेगी

जहां तक संभव हो, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 32 और नियम 75 के तहत जारी चुनाव कार्यक्रम या राज्य चुनाव आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किसी अन्य विशिष्ट निर्देशों के अनुसार आपको मतगणना निरंतर जारी रखनी होगी।

7. मतों की पुनर्गणना

मतगणना पूरी होने तथा परिणाम पत्र भरने एवं नियम 75 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिणाम घोषित करने के पश्चात, कोई भी उम्मीदवार या चुनाव अभिकर्ता लिखित रूप में पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है । पुनर्गणना के लिए आवेदन करते समय वह उन आधारों का उल्लेख भी करेगा, जिनके आधार पर वह पहले से गिने गए सभी या किसी भी मतपत्र की पुनर्गणना की मांग कर रहा है। ऐसे आवेदन नियम 79 के प्रावधानानुसार की जाएगी जो कि निम्नानुसार है :-

{**79. मतों की पुनःगणना.**—(1) नियम 75 के अधीन गणना पूरी होने और रिजल्टशीट तैयार करने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रिजल्टशीट की विशिष्टियों की घोषणा करेगा।

(2) ऐसी घोषणा किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई गणना अभिकर्ता, यथास्थिति, लिखित में या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, पहले से ही गणना किए गए समस्त मतपत्रों या किन्हीं मतपत्रों की पुनः गणना करने के लिए आधार दर्शाते हुए, आवेदन करेगाः

परंतु यदि पुनःगणना के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता हैं तो नियम 75 के खण्ड (V) और (VI) के उपबन्धों के अनुसार परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन पुनः गणना के लिए आवेदन पर, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी मामले का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्ण रूप से या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त लगे तो अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर (अधिकारी), या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चिय लिखित में होगा और जिसमें इस निमित्त कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप–नियम (3) के अधीन आवेदन को या तो पुर्णतः या भागतः स्वीकार (अनुज्ञात) करने का विनिश्चय करता है तो वहः–

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनःगणना करेगा;

(ख) ऐसी पुनःगणना के पश्चात् उस विस्तार तक जहां तक आवश्यक है परिणाम में संशोधन करेगा; और

(ग) उसके द्वारा किए गए ऐसे संशोधन की घोषणा करेगा।

(5) उप–नियम (4), के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में किए गए मतदान की कुल संख्या की घोषणा किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, रिजल्टशीट को पूर्ण करके उस पर हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् पुनःगणना के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।}

79. Recount of votes.—(1) After the completion of the counting and preparation of result sheet under rule 75, the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him shall announce the particulars of the result sheet.

(2) After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agent may apply in writing to the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him in this behalf for a recount of all or any of the ballot papers already counted stating the grounds on which he demands such recount:

Provided that if no application for recount is received within reasonable time the result shall be declared in accordance with the provisions of clauses (v) and (vi) of rule 75.

(3) On an application for recount under sub-rule(2), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or other officer authorised by him in this behalf shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it if it appears to him to be frivolous or unreasonable:

Provided that every decision of the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him shall be in writing and contain the reasons therefor.

(4) If the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other officer authorised by him in this behalf, decides under sub-rule (3) to allow an application either in whole or in part, then he shall—

(a) count the ballot papers again in accordance with his decision;
(b) amend the result sheet to the extent necessary after such recount; and
(c) announce the amendment so made by him.

(5) After the total number of votes polled in favour of each candidate has been announced under sub-rule (4), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or such other officer authorised by him, shall complete and sign the result sheet and no application for a recount shall be entertained thereafter.

8. वोटों की समानता

यदि वोटों की गिनती पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के बीच वोटों की समानता पाई जाती है और एक वोट जोड़ने पर इनमें से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में विजयी उम्मीदवारों का फैसला उन उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालकर किया जाएगा। जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉट

निकलेगा, यह माना जाएगा कि उसे अतिरिक्त वोट मिला है और उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। नियम 80 का प्रावधान निम्नानुसार है:

80. मतों की समानता.—यदि मतों की गणना के पूरा होने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों में समानता पाई जाती है और एक मत की बढ़ौतरी उसमें से किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार बनाती है तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और मानने के लिए अग्रसर होगा कि जिस अभ्यर्थी की ओर लाट जाता है उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त कर लिया है।

"80. Equality of Votes.—If, after the counting of votes is completed and equality of votes is found to exist between any candidates and an addition of one vote will entitle any of these candidates to be declared elected, the Returning Officer shall forthwith decide between those candidates by lot and proceed as if the candidate on whom the lot falls has received an additional vote."

9. मतगणना उपरांत मतपत्रों का रख रखाव

मतगणना के पश्चात मतपत्रों का उचित रखरखाव एक मत्वपूर्ण कार्य हैं । अत: आपको मतगणना के पश्चात मतपत्रों का उचित रखरखाव करना होता है जिसके लिए आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की प्रति अनुलग्नक/Annexure-XIII पर उपलब्ध हैं । अत: आपको इन दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा इस पर कड़ाई से पालन करें । मतगणना के उपरान्त मतपत्रों के रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही के कारण मतपत्रों में छेड़छाड़ की सम्भावना बनी रहती हैं तथा निर्वाचन संपन्न होने के बाद भी यदि यह तथ्य साबित होते हैं तो आपके विरुध कार्रवाई हो सकती हैं।

भाग-IV

अभ्यर्थियों की जमा राशि वापस करना या जब्त करना

नियम 36 के प्रावधानों के तहत नामांकन भरने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र जमा करते समय पंचायतों के विभिन्न कार्यालयों के लिए नियम 37 में निर्धारित प्रतिभूति राशी (Security) जमा करना होगी और किसी भी अभ्यर्थी को तब तक विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रतिभूति राशी जमा न की गयी हो हो। इस प्रकार जमा की गई राशि या तो उम्मीदवार या कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 81 के प्रावधानों के अनुसार जमा राशि राज्य सरकार को जब्त कर ली जाएगी। नियम 81 के प्रावधान निम्नानुसार है:-

81. अभ्यर्थियों की जमा राशियों का समपहरण या वापसी.–(1) नियम 37 के अधीन जमा राशियां या तो जमा करने वाले व्यक्तियों को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस किया जाएगा या इस नियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को समपहृत की जाएंगी।

(2) इस नियम में इसमें इसके पश्चात् जमा वर्णित मामलों के सिवाए, निर्वाचन के परिणाम घोषित करने के पश्चात् जमा यथाशक्य शीघ्रता से वापस किया जाएगा।

(3) यदि अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित नहीं किया गया हो या यदि मतदान के प्रारम्भ से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो जमा यथाशक्य शीघ्र सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् वापस किया जाएगा।

(4) उप–नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जमा समपहृत हो जाएगा, यदि निर्वाचन पर मतदान किया गया हो और अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ हो तथा उसको डाले गए वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों को डाले गए वैध मतों की पूर्ण संख्या के छठवें भाग से अधिक न हो।

"81. Return or forfeiture of candidates deposits.—(1) The deposit made under rule 37 shall either be returned to the persons making it or his legal representative or be forfeited to the State Government in accordance with the provisions of this rule.

(2) Except in cases herein after mentioned in this rule, deposit shall be returned as soon as practicable after the result of the election is declared.

(3) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3) the deposit shall be forfeited, if at an election where poll has been taken, the candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-sixth of the total number or valid votes polled by all the candidates."

चुनाव के दौरान विभिन्न प्राप्त राशियों को जमा करना :

रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते समय आपको विभिन्न राशियाँ प्राप्त होंगी जैसे मतदाता सूची की बिक्री के कारण राशि, प्रतिभूति जमा राशि और मतदाता की पहचान को चुनौती देने के कारण प्राप्त राशी आदि।

मतदाता सूची की बिक्री और मतदाता की पहचान को चुनौती देने आदि के कारण प्राप्त राशि निम्नलिखित रसीद शीर्ष में जमा की जाएगी:

0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

02- चुनाव

101- चुनाव फॉर्म और दस्तावेजों की बिक्री आय

02- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रपत्रों एवं दस्तावेजों की बिक्री की कार्यवाही

जब्त की गई सुरक्षा राशि निम्नलिखित रसीद शीर्ष के तहत सरकारी खजाने में जमा की जाएगी:-

0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

02- चुनाव

104- शुल्क जुर्माना जब्ती

02- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फीस जुर्माना जब्ती

चुनाव के दौरान प्राप्त कोई भी विविध राशि निम्नलिखित रसीद शीर्ष में जमा की जाएगी:-

0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

02- चुनाव

800- अन्य रसीद

03- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विविध रसीद।

DEPOSIT OF AMOUNT RECEIVED ON ACCOUNT OF VARIOUS RECEIPTS DURING THE ELECTIONS

While discharging duty as Returning Officer/Assistant Returning Officer you will receive various amounts such as amount on account of sale of voter list, security deposit and on account of challenge of identity of a voter etc.

The amount received on account of sale of voter list and challenge of identity of a voter etc. shall be deposited in the following receipt head:

0070- Other Administrative Services

02- Election

101- Sale proceeds of election form and documents

02- Sale proceed for election forms and documents by the State Election Commission

The forfeited Security money shall be deposited in the Government treasury under following receipt head:—

0070- Other Administrative Services

02- Election

104- Fees Fines Forfeitures

02- Fees Fines Forfeitures by the State Election Commission

Any Miscellaneous amount received during the election shall be deposited in the following receipt head:—

0070- Other Administrative Services

02- Election

800- Other Receipt

03- Miscellaneous Receipt by the State Election Commission.

क्योंकि सामान्यत: ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कोष (Treasury) उपलब्ध नहीं होता है इसलिए यह राशी रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गये सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त करेगा तथा यह राशी सरकारी खजाने में जमा की जाएगी ।सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि रिटर्निंग अधिकारी के पास रसीद बुकों के साथ जमा करेंगे । रिटर्निंग अधिकारी सभी चालानों की मूल प्रति, उन्हें जारी की गई उपयोग की गई और अप्रयुक्त रसीद पुस्तकों और प्राप्त राशि की रसीद बुक वार सारांश के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पी) को भेजेगे और उसकी एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगे । सारांश भेजने का प्रोफार्मा इस प्रकार है:

क्रम सं0	**रसीद बुकों की क्रम संख्या जो प्राप्त हुई**		**रसीद बुक से जारी की गयी कुल रसीदें**	**प्राप्त राशी**	**रसीद बुक में शेष रसीद**	**पूर्णतया अप्रयुक्त रसीद बुक**	**विवरण, यदि कोई हो**
	क्रम सं0 से	**क्रम सं0 तक**					

Sr. No.	**Sr. No. of Receipt Book**		**Total receipts issued from the book**	**Amount**	**Total blank receipts in a book**	**Full blank receipt books in total (Unused books)**	**Detail, if any**
	From	**To**					

2. चुनाव से संबंधित कागजात की सुरक्षा:

ग्राम पंचायत के सदस्यों, उपप्रधान, प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित कागजात खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव से संबंधित चुनाव कागजात, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे । शेष मतपत्रों को जिला निर्वाचन

अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त अधिकारी की सुरक्षा में उचित रूप से ताले में रखा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त अधिकारी प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग से रखे जाने वाले रजिस्टर में इन मतपत्रों का उचित हिसाब-किताब रखेगा।

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 158 (च) में कोई भी व्यक्ति जो जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, या रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या क्लर्क जिसे चुनाव के संबंध में किसी कार्य के संचालन या प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया है वह किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य नहीं (वोट देने के अलावा) करेगा। जो कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 158-एल में यह प्रावधान है कि यदि चुनाव के संबंध में किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति उचित कारण के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन में किसी भी कार्य या चूक का दोषी है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है। धारा 158-एफ और एल के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं । अत: ऐसे मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती हैं ।

इसके अलावा, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160-ई में प्रावधान है कि सभी चुनावों के संचालन के लिए मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी को राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। जिस अवधि के दौरान वे नियुक्त हैं उस अवधि के लिए चुनाव आयोग और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, उस अवधि के दौरान, राज्य चुनाव आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। आपके आवश्यक संदर्भ के लिए धारा 158-एफ, 158-एल और 160-ई के प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

158–च. निर्वाचन में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.–(1) कोई भी व्यक्ति, जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति में असर डालने का प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञय होगा।

158–ठ. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग.–(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(4) वे व्यक्ति जिन्हें यह धारा लागू है, ये है, जिला निर्वाचन आफिसर रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिर्टनिग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं हाथ लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्त्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदानुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

160–ङ. कर्मचारिवृन्द की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्त्तव्य के भंग पर दण्ड.–(1) राज्य सरकार, सरकारी या राज्य सरकार के अर्ध–सरकारी संगठनों से पंचायत निकायों के सभी निर्वाचन का संचालन करने के लिए कर्मचारीवृन्द प्रतिनियुक्त करेगी और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार तथा सभी निर्वाचनों के संचालन में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृन्द उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे इस प्रकार नियोजित किए जाते है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।

(2) यदि उक्त उप–धारा (1) के अधीन निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी के पालन से सम्बन्धित इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा करता है या जानबूझकर कर्त्तव्य से विमुख होता है अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।}

158-F. Officers etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.—(1) No person who is a district election officer or a returning officer, or an assistant returning officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the returning officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election to any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour—

(a) to persuade any person to give his vote at an election; or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election; or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

158-L. Breaches of official duty in connection with elections.—(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(4) The persons to whom this section applies are the district election officers, returning officers, assistant returning officers, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidatures or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.

"160-E. Deputation of staff and punishment on breach of official duty.—(1) The State Government shall depute staff from Government or Semi Government Organizations of the State Government for the conduct of all elections to the Panchayat bodies and the officers or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of all elections shall be deemed to have been on deputation with the State Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the State Election Commission.

(2) If any person deputed on election duty under sub-section (1) disobeys any orders issued by an officer appointed to conduct the election under this Act regarding the performance of an election duty or deliberately abstains himself from duty or contravenes any provisions of this Act and the rules made there under, he shall punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

1. मतदान दल (Polling Party) को यात्रा भत्ता के एवज में एकमुश्त अदायगी

जैसे कि आपको विदित हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को यात्रा व्यय के एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान सामान्य चुनाव 2020 में आरम्भ किया गया था। परन्तु इनके भुगतान में विलम्भ हुआ था। अत: इसकी पुनरावृति न हो इस के लिए आवश्यक है कि आप आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अग्रिम रूप से (Proactively) कार्य करें ताकि चुनाव उपरान्त यात्रा भत्ता के एवज में एकमुश्त अदायगी की जा सकें। आयोग के इन दिशा-निर्देशों की प्रति अनुलग्नक/Annexure-XV पर सलंग्न हैं।

गत चुनावों में की गयी कुछ बड़ी गलतियों के उदाहरण

गत चुनावों में आयोग के संज्ञान में कुछ मामले आये थे जिनमें रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की गयी थी जिन पर आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई भी की गयी थी। इन गलतियों की पुनरावृति न हों अत: आयोग ऐसी गलतियों के कुछ उदाहरण यंहा प्रस्तुत कर रहा हैं। आप इन तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तथा सुनिश्चित करें कि यह गलतियाँ न दोहराई जाए।

1. मतपत्र पर मतदाता का नाम लिख देना

पिछले सामान्य चुनाव में कुछ मतदान दलों द्वारा मतपत्र पर मतदाता का नाम लिख दिया गया था जिससे की मतदाता की मतदान गोपनीयता का उल्लघंन हो सकता था। मामला आयोग के संज्ञान में आते ही आयोग द्वारा उन मतपेटियों को सील करवा दिया गया तथा उन वार्डों में पुन: निर्वाचन करवाना पड़ा। अत: मतदान दल को यह स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता के हस्ताक्षर केवल प्रतिपर्ण (Counterfoil) पर ही करवाए जाने चाहिए न कि उस भाग पर जो कि मतदाता को जारी किया जाना हैं और मतदाता का नाम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अंकित नहीं किया जाना चाहिए।

2. मतपत्रों के गुम/चोरी होने के वृतान्त

गत चुनावों में कुछ मामले मतपत्रों के गुम/ चोरी होने के भी प्राप्त हुए थे। परिणामस्वरूप आयोग द्वारा मतदान दल को निलम्बित करना पड़ा व उनके स्थान पर नये मतदान दल नियुक्त किये गये। इन गलतियों की पुनरावृति न हों अत: आवश्यक हैं कि मतदान दल को सख्त निर्देश दिए जाए कि मतपत्रों को सावधानीपूर्वक रखा जाए।

3. मतपत्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा में रखे जाने का उदाहरण

एक अन्य मामले में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना के दौरान एक मतपत्र जिसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह था वो उसे अपने साथ ले गये। नियमानुसार ऐसे मतपत्रों को अवैध मतपत्र के लिए निर्धारित लिफाफे में रखा जाना होता हैं। अत: यदि भविष्य में इस तरह का कोई मामला आता है तो ऐसे मतपत्रों में अपना निर्णय दे कर उसे सील बंद कर दिया जाए। कोई भी रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतपत्र को व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं रख सकता।

4. मतदाता सूची में शामिल नहीं व्यक्ति का नामांकन स्वीकार किया जाना

पिछले सामान्य चुनाव में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया था जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल ही नहीं था। यह कृत्य इस बात का उदाहरण है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्य के प्रति सजग नहीं था। अतः नामांकन पत्रों की छंटनी के दौरान आप ऐसी गलतियों की पुनरावृति ना करें तथा निर्वाचन के कार्यों को पूर्ण संजीदगी के साथ करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

5. आरक्षण सूची से छेड़छाड़

पिछले सामान्य चुनाव में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्ड सदस्य के लिए निर्धारित आरक्षण सूची में छेड़छाड़ कर दी गयी थी। ग्राम पंचायत का एक वार्ड जो अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित था उसमें "महिला" शब्द काट कर केवल अनुसूचित जाति के लिए नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए। आयोग ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये व् इस वार्ड का निर्वाचन भी रद्द करना पड़ा।

6. मतपत्रों को तैयार करने में कोताही

आयोग 10 चुनाव चिन्हों वाले मतपत्र मुद्रित करवाता है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार मतपत्र पर सभी अभ्यर्थियों के नाम लिख कर उसके बाद NOTA की मोहर लगायें तथा शेष चुनाव चिन्ह को फाड़ दें।

के वृतान्त

परन्तु गत निर्वाचन में ऐसी घटनाएँ आयोग के संज्ञान में आई थी जिसमे मतपत्रों को गलत तरीके से फाड़ा गया था यहाँ तक की निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम भी मतपत्र से अलग कर दिये गए थे। अतः रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को चाहिए कि वे अपनी निगरानी में मतपत्र तैयार करवाएं ताकि गलती की कोई सम्भावना ना रहे।

7. चुनाव चिन्हों का गलत आबंटन

जैसा कि आपको विदित है कि आयोग प्रत्येक पद के लिए 20 चुनाव चिन्ह अधिसूचित करता है तथा इसके अतिरिक्त सभी पदों के लिए कुछ सामान्य चुनाव चिन्ह भी अधिसूचित किये जाते है। प्रत्येक वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को क्रम संख्या एक से चुनाव चिन्ह आबंटित किये जाते है। पिछले सामान्य चुनाव में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गलत तरीके से एक वार्ड से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को क्रम संख्या एक से तथा अन्य वार्डों के अभ्यर्थियों को उसी क्रम में जारी रखते हुए चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये गए तथा बीस चुनाव चिन्ह समाप्त होने के बाद क्रम को पुन: शुरू कर दिया गया। जब मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम लिखे गए तो आबंटित चुनाव चिन्ह मतपत्र पर मुद्रित ही नहीं था। अतः आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक वार्ड के लिए चुनाव चिन्ह सदैव ही क्रम संख्या एक से शुरू किये जाएँ।

8. मतगणना एवं पुन:मतगणना

आयोग के ध्यान में आया है कि जिन चुनावों में मतगणना के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच मतों का अंतर बहुत कम होता हैं ऐसी स्थिति में उम्मीदवार/अथवा उसके एजेंट सहायक रिटर्निंग अधिकारी पर परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए बार बार पुन:मतगणना का दबाब डालते हैं। गत चुनाव में ऐसा एक उदाहरण आयोग के संज्ञान में आया था जिसमें कि एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी कई बार मतपत्रों की पुन: गणना करता रहा। जिससे की मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न हो गया और उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतगणना की प्रक्रिया को बाधित किया गया। अत: आप ध्यान रखें कि मतगणना असीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपको आरम्भ में ही मतगणना इस प्रकार से करनी है कि पुन:गणना की आवश्यकता ना रहे यदि अभ्यर्थी के लिखित निवेदन पर पुन: गणना करनी पड़े तो इस पुस्तिका के अनुलग्नक 16 पर दिये गए दिशानिर्देशों की अनुपालना करें।

अनुलग्नक/Annexure-I

मतदान दल के लिए तीन चरणों के लिए मतदान सामग्री की सूची

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
1.	**बैलेट बॉक्स**	4
2 .	**साधारण पेंसिल**	2
3.	**सेल्फ इंकिंग पैड नीला व् काला** (Black and Blue)	2 Blue+1 Black
4.	**बॉल पॉइंट पैन**	3
5.	**पीठासीन अधिकारी की मोहर**	1
6.	**मतपत्र को चिन्हित करने के लिए मोहर (Arrow Cross)**	2
7.	**सुभेदक चिन्ह मोहर (Distingushed Mark Seal)**	1
8.	**वोटिंग कम्पार्टमेंट**	1
9.	**अमिट स्याही** 5cc **(Indelible Ink)**	3
10.	**ब्लेड**	1
11.	**मतपत्र को पृथक करने के लिए मेटल रूल एवं मेटल पुशर बैलट पेपर् को बैलट बॉक्स में धकेलने हेतु**	1+1
12.	**सुआ** (Needle)	1
13.	**पिन** (Small Packet)	1
14.	**अमिट स्याही की शीशी रखने के लिए कप**	1
15.	**सुतली (धागा)**	1 **बंडल**
16.	**सीलिंग मोम** (Sealing wax)	6 sticks
17.	Gum paste Small (**गोंद**)	1
18.	**माचिस**	1
19.	**मतपत्र काउंटरफॉइल सहित**	**वार्ड में कुल मतदाता की संख्या अनुसार**
20.	**कार्ड बोर्ड के टुकड़े**	12
21.	**मतदाता सूची की कार्य प्रतियाँ**	3 **प्रत्येक वार्ड के लिए**
22.	**लेबल बैलट बॉक्स व् कैनवास बैग के लिए**	16
23.	**मोमबती बड़े साइज़ की**	2
24.	Flexible Wire **के टुकड़े** 8 **इंच के** (Binding Wire)	20 **टुकड़े**
25.	Gunny bag/**कैनवस बैग**	4
26.	**अप्रयुक्त मतपत्रों के लिए कवर** (एसई-7)-	18
27.	**प्रयुक्त मतपत्र के काउंटरफ़ोइल के लिए कवर** (एसई-7)	18
28.	**निविदत्त (Tendered) मतपत्रों के लिए और सूची के लिए मतपत्र** (एसई-6)	10

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
29.	लौटाए गए और रद्द किए गए मतपत्रों के लिए कवर (एसई-6)	10
30.	पोलिंग एजेंट की नियुक्ति हेतु कवर (एसई-7)-	18
31.	मतपत्र लेखा हेतु कवर (एसई-6)-	4
32.	मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के लिए कवर (एसई-7)	4
33.	चुनौती दिए गए वोट की सूची के लिए कवर (एसई-6)	4
34.	मतदाता सूची की अन्य प्रतियों के लिए कवर (एसई-7)	4
35.	पीठासीन अधिकारी डायरी के लिए कवर (एसई-6)	5
36.	लिफाफा (clothed) (एसई-8)	6
37.	विविध डाक के लिए कवर (एसई-6)	15
38.	संक्षिप्त रिकॉर्ड और अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के संबंध में साथी की घोषणा के लिए कवर (एसई-6)	5
39.	चुनौती (Challenged) दिये गये मतों की सूची का प्रपत्र	10
40.	निविदत्त (Tendered) मतों की सूची का प्रपत्र	15
41.	पीठासीन अधिकारी डायरी	5
42.	मतपत्र लेखा प्रपत्र (Ballot Papers Account)	80
43.	मतदान एजेंट (Polling Agent) की नियुक्ति का प्रपत्र	80
44.	सेल्फ इंकिंग पैड ब्लैक	1

नोट.-(1) कोई भी आवश्यक वस्तु जो शुरू में आपूर्ति नहीं की गई या बाद में किसी आपात स्थिति में आवश्यक हो, उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रिम राशि से स्थानीय स्तर पर खरीदा जा सकता है।

(2) निम्नलिखित सामग्री स्थायी (Non-Consumable) है और इसे प्राप्तकर्ता केंद्र के अधिकारियों को लौटाया जाना आवश्यक है: -

1. मतपेटियाँ
2. सेल्फ इंकिंग पैड नीला व् काला ब्लू एंड ब्लैक
3. पीठासीन अधिकारी की मुहर
4. मतपत्र को चिन्हित करने के लिए मोहर (Arrow Cross)
5. सुभेदक चिन्ह मोहर (Distingushid Mark Seal)
6. फाइबर का वोटिंग कंपार्टमेंट।
7. मतपत्र को पृथक करने के लिए मेटल रूल एवं मेटल पुशर बैलट पेपर् को बैलट बॉक्स में धकेलने हेतु
8. सुई (सुआ)
9. अमिट स्याही जमाने के लिए कप
10. Gunny bag/कैनवस बैग
11. पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका.
12. नोटा की मोहर

अनुलग्नक/Annexure-II

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

शिमला–2, 17 फरवरी, 2004

संख्या रा0 नि0 आ0– 16–/21/97–I.—यतः सर्वोचय न्यायलय ने मतदाता द्वारा प्रत्याशी की पृष्ठभूमि तथा कुछ अन्य सूचना को जानने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना है ;

यतः यह धारणा है कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद तथा नगरपाारिका के निर्वाचन के प्रत्याशियों द्वारा इस सूचना को प्रकट करना निर्वाचन प्रकिया की शुचिता बनाए रखने मे सहायक सिद्ध होगा और निष्पक्ष तथा स्वतंन्त्र निर्वाचन के सुचारू निषपादन के हित मे होगा ।

यतः इस सूचना के उपलब्धता होने पर मतदाता उचित रूप से,सम्यक ज्ञानपूर्वक तथा सोच – समझ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा ;

यतः एसी सूचना की उपलब्धता रिटर्निंग अधिकारी को नांमाकन – पत्र की छानबीन में सहायक होगी।

यतः र्वतमान कानून में आपराधिक पृष्ठभूमि,परिसम्पतियों तथा देनदारियों आदि के सम्बध में सूचना प्रकट करने के विष्य में कोई प्रावधान नहीं हैं,

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा–य क, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 160 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसे प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निम्मलिखित विनियमावली नामतः हिमाचल प्रदेश पंचायत तथा नगरपालिक निर्वाचन (उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट सूचना का प्रकटीकरण) विनियमावली,2004 निर्मित करता हैं :–

1. **नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.**–(1) यह विनियमावली हिमाचल प्रदेश पंचायत तथा नगरपालिक निर्वाचन (उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट सूचना का प्रकटीकरण) विनियम, 2004 पंचायत नाम सें अभिहित होगी ।

(2) यह विनियमवली समस्त राज्य में प्रवृत होंगी ।

(3) यह विनियमावली 1 मार्च, 2004 से प्रभावी होगी तथा पंचायत व नगरपालिक के उन सभी निर्वाचनों पर लागू होगी जिनका निर्वाचन–कार्यक्रम इस तिथि को अथवा पश्चात बनाया जाएगा ।

2. **परिभाषाएं.**–यदि संदर्भ से कोई विपरीत अर्थ अभिप्रेत न हो तो इस विनियमावली में शब्द :–

(क) "अधिनियम" सें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर नियम अधिनियम, 1994 जैसी भी स्थिति हो ,अभिप्रेत है;

(ख) "अनुबन्ध"से इस विनियमवली का अनुबन्ध अभिप्रेत है।

(ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से नामांकन पत्र प्राप्त करनें के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "निर्वाचन क्षेत्र" से ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद् प्रदेषिक निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके प्रतिनिधित्व के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित किया जाना है या निर्वाचित किया गया है और ग्राम पंचायत प्रधान या उप–प्रधान के विषय में समस्त ग्राम सभा क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) "निर्वाचन क्षेत्र" सें पंचायतो तथा नगरपालिका के समस्त निर्वाचन तथा उप–निर्वाचन अभिप्रेत है;

(छ) "दण्डाधिकारी" से जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या न्यायिक दण्डयाधिकारी, उप–दण्डाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी या न्यायिक दण्डाधिकारी अभिप्रेत है ।

(ज) "नगरपालिका" से जिला दण्डाधिकारी, उपमण्डल दण्डाधिकारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "नामांकन–पत्र" से किसी पंचायत या किसी पद हेतु सीधे चुनाव के लिए खडे होने वाले किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये गए नामांकन –पत्र अभिप्रेत है ।

(त्र) पंचायत"से यथा स्थिति,ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद् अभिप्रेत है ;

(ट) "भाग"से अनुबन्ध का भाग अभिप्रेत है ।

(ठ) "रिटर्निंग अधिकारी" से निर्वाचन के निष्पादन हेतु नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है । तथा इसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ड) "निर्दिष्ट सूचना" से अधोलिखित विनियम 3 तथा 4 और अनुबन्ध में निर्दिष्ट पूर्ववृत्त आदि सम्बन्धी सूचना अभिप्रेत है ;

(ढ) "राज्य"से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

(ण) "वार्ड" से ऐसा वार्ड अभिप्रेत है जिसके प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य निर्वाचित किया जाना है ।

3. ग्राम पंचायत के उम्मीदवार द्वारा सूचना का प्रकटीकरण.–ग्राम पंचायत के सदस्य, उप–प्रधान या प्रधान पद के उम्मीदवार को अपने नामांकन–पत्र के साथ अनुबन्ध–1 में उसके विगत में आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने, दोष मुक्त होने या बरी होने,जैसा भी कानून में जिन अपराधों का दण्ड दो वर्ष या उससे अधिक कारावास विहित हो तथा जिनमें आरोप लगाए जा चुके हों तथा न्यायालय नें जिनका संज्ञान लें लिया हो, अपनी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों तथा बच्चो का विवरण अनुरूप देना होगा या दिलवाना होगा ।

स्पष्टीकरण.–ऐसे उम्मीदवार अनुबन्ध के भाग–ट में निर्धारित शैक्षणित योग्यता सम्बन्धी सूचना देने को बाध्य नहीं होगे।

4. नगरपालिका, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार द्वारा सूचना का प्रकटीकरण. –किसी पंचायत समिति, जिला परिषद या नगरपालिक के हेतु चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन– पत्र के साथ इस विनियमावली के अनुबन्ध में निर्दिष्ट सूचना अर्थात अपनें विगत के आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जानें बारे, आरोप मुक्त होने या बरी होने, जैसा भी हो, कानून में जिन अपराधों का दण्ड दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास का हो तथा जिनका संज्ञान लें लिया हो अपनी परिसम्पत्तियों तथा अपनें बच्चो का विवरण अनुबन्ध के अनूरूप देना होगा या दिलवाना होगा ।

4. [1](क) आधार संख्या का अंकन.–निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अनुबन्ध 1 के भाग–2 (ख) में निर्धारित कोष्ठक में अपना आधार संख्या अंकित करना अनिवाय। होगा।

5. अनुबन्ध का शपथ –पत्र अथवा घोषणा–पत्र के रूप में होना.–(1) ग्राम पंचायत के सदस्य उप–प्रधान अथवा प्रधान पद हेतु किसी उम्मीदवार को निर्दिशट सूचना अनुबन्ध में आगामी उप–विनियम (2) में वर्णित रीति अनुसार शपथ –पत्र के रूप में प्रस्तुत करनी होगी अथवा उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या नांमाकन–पत्र को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, जिन्हें एतद्द्वारा घोषणा को सत्यापित करने के लिए जाता हे, के सम्मुख घोषणा–पत्र के रूप में देनी होगी ।

(2) विनियम 4 मे वर्णित सूचना अनुबन्ध में शपथ–पत्र के रूप में देनी होगी जो कि किसी दण्डाधिकारी या ओथ कमीशनर या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो ।

(3) उम्मीदवार तथा सत्यापन अधिकारी अनुबन्ध के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हत्ताक्षर करेंगे ।

6. अुनबन्ध के फार्म को प्राप्त करना.–रिटर्निंग अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के कार्यलय से नांमाकन –पत्र के फार्मो को प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति नामांकन –पत्र के फार्मों के साथ अनुबन्ध के फार्म की प्रति भी लेगा ।

7. अनुबन्ध की अतिरिक्त प्रतियां देना.–(1) किसी पंचायत तथा नगरपालिक के किसी पद पर निर्वाचन के प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन–पत्रों के अनुबन्ध की मूल प्रति तथा इसकी दो अतिरिक्त छाया–प्रतियां या सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी ।

(2) यदि काई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र अथवा वार्ड से एक हेतु एक से अधिक नामांकन –पत्र किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करता है तो उसे इस विनियमावली के प्रावधानो के बावजूद उसी प्राधिकृत अधिकारी को, उसी पद तथा उसी निर्वाचन –क्षेत्र या वार्ड के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य नामांकन–पत्रो के साथ अनुबन्ध की मूल प्रति तथा अन्य दो प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

8. निर्दिष्ट जानकारी का प्रकाशन.–नामांकन–पत्रों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अनुबन्ध में दी गई सूचना का प्रकाशन नाकांकन –पत्र प्राप्त करने के स्थान के बाहर अनुबन्ध की एक फोटो नकल या सत्यापित नकल चिपका कर करेगा। दूसरी प्रति को नामांकन–पत्र को नामांकन प्राप्त करनें के दिन से नामांकन –पत्र वापिस लेने के दिन तक प्रत्येक कार्य–दिवस को जन–समान्य तथा प्रैस (इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सहित) के सदस्यों के निरिक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा तथा तत्पश्चात् ऐसी सूचना मतदान के दो दिन पूर्व तक रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यलय में निरीक्षण हेतु रखी जाएगी ;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग को इन स्थानों या इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी यह सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अधिकार होगा ।

9. निर्दिष्ट जानकारी को सुरक्षित रखना.–अनुबन्ध की मूल प्रति, जो विधिवत् सत्यापित की गई हो, को नामांकन–पत्र तथा प्रत्येक अनुबन्ध को चुनाव –परिणाम घोषित होने की तिथि से छः वर्षो तक सुरक्षित रखा जाएगा यदि किसी न्यायालय या चुनाव याचिका से सम्बन्धित प्राधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हे इससे ज्यादा अवधि के लिये सुरक्षित रखने के आदेश दिये हों तो इन्हें तब तक सुरक्षित रखा जाएगा ।

10. अनुबन्ध की प्रमाणित प्रतिलिपि देना.–रिटर्निंग अधिकारी 10 रूपये का प्रतिलिपि–शुल्क लेकर किसी उम्मीदवार द्वारा दिये गए अनुबन्ध की प्रमाणित प्रतिलिपि उसी निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड के अन्य उम्मीदवार को या फिर इलैक्ट्रनिक या प्रिट मीटिया के सदस्यों को लिखित आवेदन तथा उपर्युक्त शुल्क देने पर दे सकता है।

11. अनुबन्ध प्रस्तुत न करने का परिणाम.–यदि काई उम्मीदवार इस विनियमावली में निर्धारित विधि अनुसार निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा चूक करता है तो सम्बन्धित उम्मीदवार का नामांकन –पत्र सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी अथवा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकेगा ।

12. रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियों की व्यावृत्ति.–सम्बधित अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा अथवा अधीन किसी नामांकन –पत्र की वैधता की जांच –पडताल, परीक्षण, या निर्णय की दृष्टि से छानबीन तथा परीक्षण के विषय में प्रदत्त शक्तियों का इस विनियमवली के किसी भी प्रावधान के बावजूद निरसन अथवा ह्रास नहीं होगा ।

हस्ता0/–
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

———————

(English Text)

(DISCLOSURE OF SPECIFIED INFORMATION)

THE HIMACHAL PRADESH

STATE ELECTION COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th February, 2004

No. SEC. 16-21/97-123.—Whereas the voter's right to know the antecedents and some other information about the candidates for an election has been held by the Supreme Court of India to be a fundamental right;

Whereas it is considered that the disclosure of specified information by the candidates for election to a Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad and Municipality shall contribute to the purity of the electoral process and shall be in the interest of smooth conduct of free and fair elections;

Whereas the availability of such information is of use to an elector to make a proper informed and well considered choice about the manner in which he has to exercise his right of franchise;

Whereas the availability of such information would be of use to the Returning Officer by facilitating the scrutiny of nomination papers; and

Whereas the disclosure of information by a candidate about his antecedents in regard to criminal background, assets and liabilities, etc. is not provided for in the extant law.

Now, therefore, in exercise of the powers vesting in it under Article 243-K and 243-Z A of the Constitution of India, Section 9 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission of Himachal Pradesh hereby makes the following regulations namely the Himachal Pradesh Panchayats and Municipalities Elections (Disclosure of Specified Information by the Candidate) Regulations, 2004:-

1. Name, Extent and Commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Panchayats and Municipalities Elections (Disclosure of Specified Information by the Candidates) Regulations, 2004.

2. These regulations shall extend to the whole of the State.

3. The regulations shall come into force on the first day of March, 2004 and shall apply to all elections to Panchayats and Municipalities the election programme in regard to which is framed on or after this date.

2. Definitions.—In these Regulations, unless a contrary intention appears from the context, the expression:-

(a) **"Act"** means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, as the case may be;

(b) **"Annexure"** means the annexure to these Regulations;

(c) **"Authorised Officer"** means the officer authorized to receive the nomination papers and includes the Returning Officer and the Assistant Returning Officer;

(d) **"Commission'** means the State Election Commission of the State;

(e) **"Constituency"** means a territorial constituency of a Gram Sabha, Panchayat Samiti, or Zila Parishad, as the case may be, for the representation of which a member is to be elected and in relation to Pradhan or of a Gram Panchayat, "Constituency" means the whole of a Gram Sabha area;

(f) **"Election"** means all elections including bye-elections to Panchayats and Municipalities;

(g) **"Magistrate"** means a District Magistrate, an Additional District Magistrate, a Sub-Divisional Magistrate, an Executive Magistrate or a Judicial Magistrate;

(h) **"Municipality"** means a Nagar Panchayat or a Municipal Council or a Municipal Corporation, as the case may be;

(i) **"Nomination Paper"** means the nomination paper to be filed by candidate seeking direct election to an office in a Panchayat or a Municipality;

(j) **"Panchayat"** means a Gram Panchayat or a Panchayat Samiti or a Zila Parishad, as the case may be;

(k) **"Part"** means a part of the Annexure;

(l) **"Returning Officer"** means an officer appointed for the conduct of election and includes an Assistant Returning Officer;

(m) **"Specified Information"** means the information about the antecedents, etc., as indicated in Regulations 3 and 4 below and in the Annexure;

(n) **"State"** means the State of Himachal Pradesh;

(o) **"Ward"** means a ward of a Municipality for the representation of which a member is to be elected.

3. Disclosure of Information by Candidates for election to Gram Panchayat.—Every candidate for election to the office of a Member or Pradhan of a Gram Panchayat shall furnish or cause to furnish along-with his nomination paper the specified information indicated in Annexure to these Regulations pertaining to his conviction or acquittal or discharge in criminal cases, if any, in the past, the criminal cases pending

against him for which the maximum punishment provided in the relevant law is imprisonment for two years or more and in which charge has been framed or cognizance has been taken by a court, his assets and liabilities and the particulars of his children on the lines given in the Annexure.

Explanation.—Such a candidate shall not be bound to submit details about his educational qualifications, as envisaged in part-V of the Annexure.

4. Disclosure of Information by Candidates for Election to Municipality, Panchayat Samiti and Zila Parishad.—Every person seeking election to the office of a Member of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad or a Municipality shall furnish or cause to furnish alongwith his nomination paper the specified information indicated in the Annexure to these Regulation pertaining to his conviction or acquittal or discharge in criminal cases, if any, in the past, the criminal cases pending against him for which the maximum punishment provided in the relevant law is imprisonment for two years or more and in which charge has been framed or cognizance has been taken by a court, his assets and liabilities and the particulars of his children and his educational qualifications on the lines given in the Annexure.

5. Annexure to be in the Form Affidavit or Declaration.—(1) A person seeking election to the office of Member or Pradhan of a Gram Panchayat shall submit the specified information in the Annexure in the form of an affidavit in the manner described in clause (2) next following or a declaration to be made and signed by him in the presence of a Gazetted Officer of the Government of India or of the Government of the State or the official authorized to receive the nomination papers, who is hereby authorized to attest the same.

(2) A person seeking election to an office mentioned in Regulation 4 above shall submit the specified information in the Annexure in the form of an affidavit duly made and signed by him in the presence of a Magistrate or a Notary Public or an Oath Commissioner.

(3) The Candidate and attesting officer shall sign on each page of the Annexure.

6. Securing of Form of Annexure.—Every person wishing to obtain from the office of the Returning Officer or other authorized officer a set of the relevant nomination paper forms shall also obtain with it a copy of the form of the Annexure.

7. Supply of Additional Copies of the Annexure.—(1) Each candidate for election to an office in a Panchayat or a municipality shall supply two additional photo-copies or attested copies of the Annexure alongwith his nomination papers in addition to the original copy.

(2) Nothing in these Regulations shall be deemed to require a candidate, who has furnished the original annexure and two copies as required above to an authorized officer, to furnish more sets of copies to the same authorized officer along with his nomination paper in case he files more than one nomination paper for election to the same office and the same constituency or ward.

8. Publication of the Specified Information.—The Officer authorized to receive the nomination paper shall publish the information contained in the Annexure furnished by each candidate by displaying a photocopy thereof outside the place where he is receiving the nomination papers and making another copy available on each working day from the date of receipt thereof to the date of withdrawal of nomination papers for inspection, by the general public including the members of Press (including electronic media) thereafter it will be kept open for such inspection in office of Returning Officer or Assistant Returning Officer up-to two days before the date fixed for poll:

Provided that it will be open for the State Election Commissioner to order the display of the specified information at a place in addition to or in substitution of the places mentioned in this Regulation.

9. Preservation of Specified Information.—The original copy of the Annexure, which is duly attested, shall be annexed to the nomination paper and the nomination paper together with each Annexure shall be preserved in the Office of the Returning Officer for a period of six years from the declaration of the result unless ordered by a court or by an authority dealing with an election petition pertaining to the election involving that particular candidate or by the Commission to be preserved for a longer time.

10. Supply of Certified copies of the Annexure.—Certified copies of the Annexure filed by a candidate may be supplied by the Returning Officer on payment against receipt of copying fee amounting to Res. 10/- for each Annexure on an application made to him in writing by another candidate for the same office and from the same constituency or ward or from a member of Press (including electronic media).

Explanation.—No fee will be charged for inspection of an annexure.

11. Effect of Non-furnishing of Annexure.—The failure or omission of a candidate to furnish the specified information in the manner laid down in these Regulations shall render the nomination paper of the candidate concerned liable to be rejected by the Returning Officer/Assistant Returning Officer concerned.

12. Saving of Powers of Returning Officer.—Nothing contained in these Regulations shall have the effect of annulling or curtailing the powers of the Returning Officer authorized to scrutinize and examine the validity of a nomination paper in regard to such scrutiny, examination or decision given by or under the relevant Act and the rules made thereunder.

(Sd/-)
Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh.

अनुबन्ध–1

(उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन –पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र)

तहसील.....विकास खण्ड.....जिला.....की..... .....नगरपालिका/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र ..... .से निर्वाचन हेतु ।

भाग–1

मैं.....(नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/धर्म–पत्नी श्री..... निवासी.....(गांव, तह0 और जिला) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा अथवा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ :–

(1) कि मैं विगत में आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हूं जिनका ब्यौरा निम्न है :–

(क) अभियोग संख्या .....

(ख) जिस अपराध मे दोषी पाया गया उसका विवरण तथा अधिनियम की धारा.....

(ग) दोषी पाये जाने की तिथि .....

(घ) न्यायालय जिस द्वारा दोषी करार दिया गया.....

(ङ) दी गई सजा/साधारण कारावास या कठोर कारावास, कारावास की अवधि तथा/या जुर्माने की राशि दर्शाएँ.....

(च) दोष सिद्ध होने के विरूद्ध यदि कोई अपील/पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई हो तो उसका ब्यौरा तथा उसका परिणाम.....

(2) कि मैं विगत में आपराधिक मामलों में दोष मुक्त या बरी हुआ हूँ । जिनका ब्यौरा निम्न हैः–

(क) अभियोग संख्या .....

(ख) जिस अपराध में दोषमुक्त या बरी हुआ उसका विवरण तथा अधिनियम की धारा ....

(ग) न्यायालय जिसने दोषमुक्त अथवा बरी किया हो .....

(घ) दोषमुक्त अथवा बरी होने का दिनांक .....

(ङ) दोषमुक्त अथवा बरी होने के विरूद्ध यदि कोई अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन याचिका दायर की हो तो उसका ब्यौरा तथा उसका परिणाम .....

(3) निम्नलिखित अभियोग,जिसमें नियमानुसार दो वर्ष या उससे अधिक कारावास का प्रावधान है तथा मेरे विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन है अथवा जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है ।

(क) अभियोग संख्या .....

(ख) जिस अपराध में संज्ञान लिया गया उसका विवरण तथा अधिनियम की धारा.....

(ग) न्यायालय जिस द्वारा संज्ञान लिया गया हो .....

(घ) न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने सम्बन्धी आदेश का दिनांक.....

(ङ) न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध यदि कोई अपील/पुनरीक्षण/पुनर्निलोकन/रिट याचिका दायर की हो तो उसका ब्यौरा .....

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना तभी समझा जाएगा जब न्यायालय ने आरोप तय कर दिये हों अथवा जहां न्यायालय द्वारा आरोप तय किया जाना आव''यक न हो, न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाने के प्रयोजन से आदे''ा जारी करने का निर्णय लिया गया हो।

भाग–2

(क) चल सम्पत्तियों का व्यौरा)

(4) मैं अपनी, अपने पति/पत्नी तथा आश्रितो* की सम्पति (चल, बैंक में जमा राशि आदि) का ब्यौरा नीचे दे रहा हूं :–

(यदि कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के साथ सांझी हो तो सांझे स्वामित्व में सम्बन्धित व्यक्ति का भाग दर्शाया जाए)

क0 सं0	सम्बन्ध	नकदी	बैकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर–बैंकिग वित्तीय संस्थाओं डाकघर, जीवन बीमा निगम आदि में जमा राशि	कम्पनियों कें शेयर–बॉण्ड तथा डिबैंचर्ज	मोटरवाहन (मेक आदि का ब्यौरा)	आभूषण आदि (लगभग भार तथा कीमत लिखें)
1	2	3	4	5	6	7
I.	स्वंय					
II.	पति/पत्नी (नाम)					
III.	आश्रित–I* (नाम तथा सम्बन्ध)					
IV.	आश्रित–II* (नाम तथा सम्बन्ध)					
V.	आश्रित–III* (नाम तथा सम्बन्ध)					

* यहां पर आश्रित से तात्पर्य उस पुत्र, पुत्री सें है जो वित्तिय रूप से उम्मीदवार पर काफी हद तक आश्रित हों।

* यदि आश्रित तीन से ज्यादा हो तो नीचे और खाने जोड लें ।

(ख) अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

नोट.–साझें स्वामित्व की सम्पत्तियों के ब्यौरा में सम्बन्धित व्यक्ति का भाग–दर्शाया जाए।

क्र0 सं0	सम्बन्ध	* भूमि (मकान की तह–जमीन, आंगन अथवा लॉन आदि के अतिरिक्त) भूमि के क्षेत्रफल सहित मोहाल/गांव/कस्बा तहसील व जिला का नाम	** भवन (मोहाल/गांव/मुहल्ला अथवा शहर की बस्ती) निर्मित भाग का क्षेत्रफल बाजारी कीमत–(रूपये हजारों में)	अन्य	आधार संख्या (वैकल्पिक)
I.	स्वंय				
II.	पति/पत्नी (नाम)				
III.	आश्रित–I (नाम तथा सम्बन्ध)				
IV.	आश्रित–II (नाम तथा सम्बन्ध)				
V.	आश्रित–III (नाम तथा सम्बन्ध)				

*भूमि में कृषि भूमि तथा गैर–कृषि भूमि सम्मिलित है ।

**भवन में घर, फ्लैट, कार्यालय अथवा व्यावसायिक परिसर सम्मिलित है ।

भाग–3

(5) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार के प्रति अपने दायित्यों का ब्यौरा नीचे दे रहा हूं : –

नोट .– (कृपया प्रत्येक मद का अलग से ब्यौरा दें)

क्र0 सं0	विवरण	बैंक/संस्था (ओं) विभाग (गों) का नाम तथा पता
I.	बैंक से ऋण	
II.	वित्तीय संस्थाओं सें ऋण	
III.	सरकारी देनदारियां (आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर आदि)	
IV.	नगर पालिका या पंचायत को देय कर	

भाग–4 विलोपित

भाग–5

(7) मेरी दसवीं कक्षा से आगे शैक्षणिक योग्यताएं निम्नानुसार है : –

(दसवीं कक्षा से आगे विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की शिक्षा का विवरण भी दें) ।

(स्कूल / विश्वविद्यालय का नाम तथा जिस वर्ष शिक्षा पूर्ण की, उसका विवरण भी दें) ।

शपथकर्ता / घोषणाकर्ता

मैं उपर्युक्त शपथकर्ता / घोषणाकर्ता एतद्द्वारा विधिवत् सत्यापित तथा घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र / घोषणापत्र में दिए गए सभी तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है। इनका कोई भी भाग झूठ नही है तथा इसमें से कुछ भी महत्त्वपूर्ण छुपाया नहीं गया है ।

*शपथकर्ता / घोषणाकर्ता

दिनाँक

** सत्यापन अधिकारी।

---

*नगरपालिका या जिला परिषद् या पंचायत समिति के अभ्यर्थी के लिए जानकारी अनुबन्ध में किसी दण्डाधिकारी या शपथ आयुक्त (Notary Public) के समक्ष विधिवत् रूप से अपने हस्ताक्षर सहित शपथ–पत्र के रूप प्रस्तुत करनी होगी । जबकि ग्राम पंचायत के किसी पद हेतु जानकारी अनुबन्ध में उपरोक्त अनुसार शपथ–पत्र अथवा नामांकन–पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रत्येक पृष्ठ में अपने हस्ताक्षरों सहित घोषणा–पत्र के रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।

** सत्यापन करने वाला अधिकारी शपथकर्ता / घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर सत्यापित स्वरूप अपने हस्ताक्षर करेगा तथा मोहर लगाएगा । वह प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये में भी अपनें हस्ताक्षर करेगा ।

EXTRACT OF REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951

(Part-II Acts of Parliament)

{CHAPTER-III.– Disqualifications for Members of Parliament and State Legislatures

7. **Definitions**.—In this Chapter

(a) "appropriate Government" means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or legislative Council of a State The State Government;

(b) "disqualified" means disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.

8. Disqualification on conviction for certain offences.—3[(1) A person convicted of an offence punishable under:—

(a) Section 153A(offence of promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony) or section 171E (offence of bribery) or section 171F(offence of undue influence or personation at an election) or sub-section (2) of section 376 or section 376A or section 376B or section 376C or section 376C or section 376D (offence relating to rape) or section 498A (offence of cruelty towards a woman by husband or relative of a husband) or sub-section (2)or sub-section(3) of section 505 (offence of making statement creating or promoting enmity, hatred or ill-between classes or offence relating to such statement in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies) of the Indian Penal Code (45 of 1860), or

(b) the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955), which provides for punishment for the preaching and practice of "untouchability" and for the enforcement of any disability arising there from ; or

(c) section 11 (offence of importing or exporting prohibited goods) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); or

(d) section 10 to 12 (offence of being a member of an association declared unlawful, offence relating to dealing with funds of an unlawful association or offence relating to contravention of an order made in respect of a notified place) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967); or

(e) the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1973 (46 of 1973); or

(f) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);or

(g) section 3 (offence of committing terrorist acts) or section 4 (offence of committing disruptive activities) of the Terrorist and Disruptive Activities, (prevention) Act, 1987 (28 of 1987); or

(h) section 7 (offence of contravention of the provisions of sections 3 to 6) of the Relation Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (42 of 1988); or

(i) Section 125(offence of promoting enmity between classes in connection with the election) or section 135 (offence of removal of ballot papers from polling stations) or section 135A(offence of booth capturing) or clause (a) of sub-section (2) of section 136 (offence of fraudulently defacing or fraudulently destroying any nomination paper) of this Act, (or)1

(j) section 6 (offence of conversion of a Place of worship) of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991,]4 or

(k) section 2 (offence of insulting the Indian National Flag or the Constitution of India) or section 3 (offence of preventing singing of National Anthem) of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 shall be disqualified for a period of six years from the date of such conviction.

(2) A person convicted for the contravention of –

(a) any law providing for the prevention of hoarding or profiteering; or

(b) any law relating to the adulteration of food or drugs; or

(c) any provisions of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961);or

(d) any provisions of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988). and sentenced to imprisonment for not less than six months, shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a period of six years since his release.

(3) A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment of not less than two years [other than any offence referred to in sub-section (1) or sub-section (2)] shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

(4) Notwithstanding any thing [in sub-section(1), sub section (2) or sub-section(3)] a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on the date of the conviction is a member of Parliament or the Legislature of a State, take effect until three months have elapsed from that date or, if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence, until that appeal or application is disposed of by the Court.

Explanation.—In this section-

(a) "law providing for the prevention of hoarding or profiteering" means any law, or any order, rule or notification having the force of law, providing for-

(i) the relation of production or manufacture of any essential commodity;

(ii) the control of price at which any essential commodity may be brought or sold;

(iii) the regulation of acquisition, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

(iv) the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(b) "drug" has the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940);

(c) "essential commodity" has the meaning assigned to it in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

(d) "food" has the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

[8A. disqualification on ground of corrupt practices.—(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be; after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period;

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes-effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion,]

9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty.—(1) A person who having held an office under the Government of Indian or under the Government of any State has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State Shall be disqualified for a period of five years from the date of such dismissal.

2. For the purposes of sub-section (1), a certificate issued by the Election Commission, to the effect that a person having held office under the Government of India or under the

Government of a State, has or has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State Shall be conclusive proof of that fact;

Provided that no certificate to the effect that a person has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be issued unless an opportunity of being heard has been given to the said person.

9A. Disqualification for Government contracts, etc.—A person shall be disqualified if , and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation.—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part.

10. Disqualification for office under Government company.—A person shall be disqualified if, and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty-five percent, share.

10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and has no good reason or justification "of the failure'the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

11. Removal or reduction of period of disqualification.—The Election Commission may, for reasons to be recorded, remove any disqualification under this Chapter [(except under section 8A)] or reduce the period of any such disqualification.

अनुलग्नक/Annexure-IV

हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 180 का उद्धरण

180. भ्रष्ट आचरण.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण समझे जाएगेः

(1) रिश्वत, अर्थात,—

(अ) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का दान, प्रस्थापना या बचन जिसका उद्देश्य प्रत्यक्षतः या परोक्षतः हैः—

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए, या उम्मीदवारी वापस लेने के लिए ; या

(ख) किसी निर्वाचन में पंचायत क्षेत्र के मतदाता को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए;

या निम्नलिखित को पुरस्कार के लिए उत्प्रेरित करना हैः—

(i) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़े होने या खड़े न होने या, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लेने के लिए; या

(ii) पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को इस बात के लिए कि उसने मत दिया है या वह मत देने से विरत रहा है;

(आ) निम्नलिखित द्वारा किसी परितोषण की प्राप्ति या प्राप्त करने का करार, चाहे पुरस्कार के रूप में या हेतुक के रूप में—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने, या उम्मीदवारी वापस लेने; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा जिस किसी को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को मत देने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना।

स्पष्टीकरणः—इस खण्ड के प्रयाजनों के लिए शब्द ''परितोषण'' धनीय परितोषण या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के सत्कार और पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के नियोजन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय नहीं है।

(2) अनुसूचि प्रभाव, अर्थात्, किसी निर्वाचन अधिकारी के अबाध प्रयोग में उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की ओर से या उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयत्नः

परन्तु——

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जो——

(i) किसी उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे उम्मीदवार या ऐसा सदस्य हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन भी है, पहुंचाने की धमकी देता है ; या

(ii) किसी उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जाएगा या बना दिया जाएगा;

इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के मतदाता के निर्वाचन अधिकार के अबाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता हुआ समझा जाएगा।

(ख) लोक निति की कोई घोषणा या, लोक कार्रवाई का वचन, अथवा किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना किसी विधिक अधिकार का प्रयोग इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या न देने से विरत रहने की उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुहाई या उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या दुहाई अथवा राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाएं संप्रवर्तित करना या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करना।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार के वैयक्तिक चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में, या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उम्मीदवारी वापस लेने के बारे उम्मीदवार की निर्वाचन सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन होते हुए किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसको या तो विश्वास है या सत्य होने का विश्वास नहीं है।

(6) उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे संदाय पर या अन्यथा, पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता, सभा सदस्य (स्वंय, उसके कुटुम्ब के सदस्य या एजेण्ट से भिन्न) को किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से ले जाने के लिए किसी यान को भाड़े पर लेना या उपाप्त करना।

स्पष्टीकरणः—इस खण्ड में शब्द "यान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित है या अन्यथा और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है या अन्यथा।

{(6—क) धारा 121—क के उल्लंघन में खर्च उपगत करना या प्राधिकृत करना। }

(7) उस उम्मीदवार का निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा, अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से जो सरकार, भारत सरकार, या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में है, कोई सहायता अभिप्राप्त करना या उपाप्त करना अथवा अभिप्राप्त या उपाप्त करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना।

(English Text)

Extract of Section 180 of the H.P. Panchayati Raj Act, 1994

CORRUPT PRACTICES

180. The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Chapter.—

(1) Bribery, that is to say-

(A) any gift, offer or promise by candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his agent of any gratification, to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly of inducing:—

a) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being a candidate at an election; or-

b) a elector of the Panchayat area to vote or refrain from voting at an election; or as a reward to-

(i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature; or

(ii) an elector of the Panchayat area for having voted or refrained from voting;

(B) the receipt of or agreement to receive any gratification, whether as a motive or a reward-

(a) by a person for standing or not standing as, or for withdrawing from being, a candidate ;or

(b) by any person whom so ever for himself or any other person for voting or refraining from voting, or inducing or attempting to induce an elector of the Panchayat area to vote or refrain from voting, or any candidate to withdraw his candidature.

Explanation.—For the purposes of this clause, the term "gratification" is not restricted to pecuniary gratification or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward but it does not include the payment of any expenses bonafide incurred at, or, for the purpose of, any election.

(2) Under influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person with the consent of the candidate or his agent, with the free exercise of any electoral right:

Provided that-

(a) without prejudice to the generality of the provisions of this clause, any such person as is referred to therein who-

(i) threatens any candidates or a member of the Sabha, or any person in whom a candidate or such member is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate of an elector of the Panchayat area to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure;

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or an elector of the Panchayat area within the meaning of this clause;

(b) a declaration of public policy, or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of his clause.

(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

(4) The promotion of or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

(5) The publication by a candidate or his agent or by any other person, with the consent of a candidate or his agent, of any statement of fact which is false and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate, or in relation to the candidature or, withdrawal, of any candidate, being a statement, reasonably, calculated to prejudice the prospects of the candidates election.

(6) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of any vehicle by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his agent, for the conveyance of an elector of the Panchayat area (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station or a place fixed for the poll.

Explanation.—In this clause, the expression 'vehicle' means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power for otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise.

(6) (a) The incurring or authorizing of expenditure in contravention of section 121-A.

(7) The obtaining of procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent, or by any other person with the consent of a candidate or his agent, any assistance (other that the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government, the Govt. of India, of India or the Government of any other state or a local authority.

अध्याय 10–क

निर्वाचन अपराध

158–क. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना.–जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करेगा या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिस की अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

158–ख. निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.–(1) उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र में कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उस में उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा या उसे संबोधित नहीं करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीवीजन या उसी प्रकार के अन्य यंत्र के द्वारा कोई निर्वाचन सामग्री जनसाधारण को प्रदर्शित नहीं करेगा; या

(ग) उसमें लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से कोई संगीत समारोह या कोई नाट्याभिनय अथवा कोई अन्य मनोरंजन या आमोद करके या उनको किए जाने का प्रबन्ध करने द्वारा लोगों को किसी निर्वाचन सामग्री का प्रचार नहीं करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना करेगा वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा में, पद "निर्वाचन सामग्री" से, किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर या प्रभाव डालने के लिए आशयित या प्रकल्पित कोई सामग्री अभिप्रेत है।

158–ग. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव.–(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संव्यवहार का निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिस के लिए यह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो, दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) यह धारा राजनैतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(4) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है उसने उप–धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारण्ट के बिना गिरफतार कर सकेगा।

158–घ. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निबन्धन.–(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को––

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अन्ययता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वंय जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतिक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है ; और

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा या न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित,–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त को; और

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है उपायुक्त को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा; और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–ङ. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.–(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति से निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–च. निर्वाचन में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.–(1) कोई भी व्यक्ति, जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अफिसर ने निर्वांचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वांचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति में असर डालने का प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञय होगा।

158–छ. मतदान केन्द्रों में या उन के निकट मत संयचना का प्रतिषेध.–(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिस को या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र में एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यो में से कोई कार्य न करेगा, अर्थातः–

(क) मतों के लिए संयचना ; या

(ख) किसी निर्वाचक से उस के मत की याचना करना ; या

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना ; या

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना ;या

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढ़ाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–ज. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति.– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिन को किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफान या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उस के पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता न कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यरूढ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझ कर सहायता देगा या उस का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफतार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उप–धारा (1) के उपलन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

158–झ. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति .– (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटो के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल

रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्त्तव्यरूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने तक निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–ञ मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.–यदि कोई निर्वाचक जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

158–ट. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति.– यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संवर्ग में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा जैसा धारा 180 के खण्ड (6) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

158–ठ. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग.–(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(4) वे व्यक्ति जिन्हें यह धारा लागू है, ये है, जिला निर्वाचन आफिसर रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिर्टनिग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं हाथ लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्त्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

158–ड. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.–यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–ढ. मतदान केन्द्र को या उसके समीप सशस्त्र होकर जाने का प्रतिषेध.–(1) कोई भी व्यक्ति, रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, कोई पुलिस आफिसर और मतदान केन्द्र पर परिशान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो मतदान केन्द्र में डियूटी पर है से भिन्न, मतदान के दिन, मतदान केन्द्र के पड़ोस के भीतर किसी प्रकार के आयुद्ध सहित, जैसा आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में यथापरिभाषित है, सशस्त्र होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुद्ध अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाता है, उक्त अधिनियम में यथावर्णित आयुद्ध उसके कब्जे में पाया जाता है अधिहरण का

दायी होगा और वहां ऐसे आयुद्ध के सम्बन्ध में दी गई अनुज्ञपित उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी।

(4) उप धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

158–ण. मतदान केन्द्र, से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा.–(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूवर्क बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफतार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तालाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब कभी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफतार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–त. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध.–जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए बूथ का बलात् ग्रहण के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मत के अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग से निवारित करना ;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रपीड़ित या अभित्रासित या धमकी देना या उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है ; और

(ड.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रिया–कलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया–कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

158–थ. मतदान के दिन कर्मचारियों को संदाय सहित अवकाश दिन प्रदान किया जाएगा.–(1) किसी कारबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित और पंचायती निकायों के निर्वाचन में मत देने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को, निर्वाचन के दिन, अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अनुसार दिए गए अवकाश के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में से कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आधार पर नियोजित है कि साधारणतया ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा, तो भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जिसको वह प्राप्त करता, यदि उस दिन के लिए उसे अवकाश न दिया होता।

(3) यदि कोई नियोजक उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन के बारे में, खतरा या सारवान हानि कारित हो, जिसमें कि वह लगा हुआ है।

158–द. मतदान के दिन शराब बेचना, देना या वितरित न करना.–(1) कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां उसके कब्जे में पाये गए स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ अधिहरण के दायी होंगे और उनका निपटारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

158–ध. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां.–(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नामनिर्देशन–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक–मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा ; अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति––

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ; और

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्त्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्त्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्त्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्त्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप–धारा (2) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा। }

"Chapter X-A"

ELECTORAL OFFENCES

158-A. Promoting enmity between classes in connection with the election.—Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

158-B. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.—(1) No person shall,-

(a) convene, hold , attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or

(b) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus; or

(c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public there to ; in an polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(3) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.

158.C. Disturbances at election meetings.—Any person who at a public meeting to which this section applies acts or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which election is held.

(4) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (1), he may. if requested so to do by the Chairman of the meeting, require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails so to

declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

158.-D. Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.—(1) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and address of the printer and the publisher thereof .

(2) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster-

(a) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(b) unless within reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document,-

(i) Where it is printed in the capital of the State, to the State Election Commissioner; and

(ii) in any other case, to the Deputy Commissioner of the District in which it is printed.

(3) For the purposes of this section,-

(a) Any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printed and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(b) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill placard or poster merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with the fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

158-E Maintenance of secrecy of voting.—(1) Every officer, clerk, agent or other person who performs, any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secretary of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

158-F Officers etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.—(1) No person who is a district election officers or a returning officer, or an assistant returning officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the returning officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election to any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour -

(a) to persuade any person to give his vote at an election; or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election; or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both.

(4) An offence punishable under sub-section be cognizable.

158-G Prohibition of canvassing in or near polling stations.—(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of one hundred meters of the polling station, namely:—

(a) canvassing for votes; or

(b) soliciting the vote of any elector; or

(c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or

(d) persuading any elector not to vote at the election; or

(e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(3) An offence punishable under this section shall be cognizable.

158-H. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.—(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station-

(a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighborhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loudspeaker; or

(b) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighborhood thereof, so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so

as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(2) Any person who contravenes, or willfully aids or abets the contravention of, the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both.

(3) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person, and thereupon the police officer shall arrest him.

(4) Any police officer may take such steps, and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (1), and may seize any apparatus used for such contravention.

158-I. Penalty for misconduct at the polling station.—(1) Any person during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the lawful direction of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any Police Officer on duty or by any person authorized in this behalf by such Presiding Officer.

(2) The powers conferred by sub-section (1) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.

(3) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the presiding officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

158-J. Penalty for failure to observe procedure for voting.—If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuse to observe the procedure prescribed for voting the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.

158-K. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyance at elections.—If any person is guilty of any such corrupt practice as is specified in clause (6) of section 180 of this Act, at or in connection with an election he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine.

158-L Breaches of official duty in connection with elections.—(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(4) The persons to whom this section applies are the District Election Officer (Panchayat) Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers, Polling Officers and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidatures or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.

158-M Penalty for Government Servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.—If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

158-N. Prohibition of going to or near a polling station.—(1)No person, other than the returning officer, the Presiding Officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act, 1959, (54 of 1959) of any kind within the neighborhood of a polling station.

(2) If any person contravenes the provision of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(3) Notwithstanding any thing contained in the Arms Act, 1959, (54 of 1959) where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the license granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under section 17 of that Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.

158-O. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.—(1) Any person who at any election unauthorisedly takes, or attempts to take, a ballot paper out of a polling station, or willfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) If the Presiding Officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (1), such officer may, before such person leaves the polling station arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a Police Officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be handed over for safe custody to a police office by the Presiding Officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(4) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

158-P. Offence of both capturing.—Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years, and with fine.

Explanation.—For the purposes of this section "booth capturing" includes among other things, all or any of the following activities, namely:-

(a) seizure of a polling station of a place fixed for the poll by any person or persons making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines and doing of any other act which affects the orderly conduct of election:

(b) taking possession of a polling of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and prevent others from free exercise of their right to vote:

(c) coercing or intimidating or threatening directly or indirectly any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote:

(d) seizure of a place for counting of votes by any person of persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes; and

(e) doing by any person in the service of Government of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at, any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

158-Q. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.—(1) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the Panchayat bodies shall, on the day of poll be granted a holiday.

(2) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(3) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(4) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

158-R. Liquor not to be sold, given or distributed on Polling day.—(1) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, catering house, tavern, shop or any other place, public or private, within a

polling area during the period of forty eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed off in such manner as may be prescribed.

158-S Other offences and penalties therefore.—(1) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he-

(a) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper: or

(b) fraudulently defaces or fraudulently destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of Returning Officer; or

(c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper or any declaration of identity or official envelope used in connection with voting by postal ballot; or

(d) without due authority supplies any ballot paper to any person or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper; or

(e) fraudulently puts into any ballot box any thing other than the ballot paper which he is authorized by law to put in; or

(f) without due authority destroys, takes opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for purposes of the election; or

(g) fraudulently or without due authority as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or willfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall-

(a) if he is a returning officer or an assistant returning officer or a Presiding Officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and

(b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election on part of an election including the counting of votes or to be esponsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election, but the expression "official duty" shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.

अनुलग्नक/Annexure-VI

GOVERNMNET OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 8th September, 2000

No. PCH-HA (2)15/99.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under clause (i) to sub-section (2) of Section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), is pleased to authorize the Returning Officer or the Assistant Returning Officer, who is appointed by the District Election Officer (Panchayat) to decide the question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-Section (1) of Section 122 of the Act during the process of an election to the Panchayati Raj Bodies.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. PCH-HA (2)15/99- Shimla-171009, dated the 8th September, 2000.

Copy for information and necessary is forwarded to:

1. All the Deputy Commissioners {Distt. Election Officer (P)} in Himachal Pradesh
2. The Secretary, State Election Commission, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Controller, Printing and Stationary Department, Himachal Pradesh, Shimla-5, with the request that the above notification may please be published in the Himachal P radish Govt. Gazette (Extra ordinary).
4. Guard file.

Sd/-
Additional Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-

ELECTION URGENT

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला–171002,Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

No.SEC.16-70/2014-4045-4365 Dated, the 29 th Oct, 2015.

To

1. All the District Election Officers (Panchayat)-cum-Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

2. All the District Election Officers (Municipalities)-cum-Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

Subject: Copy of rejection orders passed on nomination papers.

Madam/Sir,

I am directed to invite your kind attention towards sub-rule (6) of Rule 39 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, and sub rule (5) of Rule 41 of H.P. Municipal Election Rules, 2015, which provide that the Returning Officer shall record on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination is rejected shall record in writing, a brief statement of reasons for such rejection.

In order to ensure transparency in the electoral process, smooth conduct of elections and to avoid litigation, the following directions are hereby issued:-

1. The Returning Officer shall record a brief statement of reasons in case of rejection of nomination paper(s) of contesting candidate. No nomination paper shall be rejected by simply writing a word "Rejected".

2. Where all nomination papers of a candidate are rejected he/she should be supplied the copy of orders stating the reasons for rejection immediately, even without receiving any request orally or in writing.

3. When, atleast one set of nomination paper is accepted and others are rejected, the candidate should be supplied copies of the rejection orders describing the reasons of rejection.

58

4. The copies of such orders be supplied to the candidates (whose nomination is rejected) free of cost.

5. In case, any other person applies for the copy of rejection orders of a particular contesting candidate, he shall be supplied copy of the orders on the payment of Rs. 10/- against receipt.

6. Copies of rejection orders will be supplied by the Returning Officers/Assistant Returning Officers concerned on the proforma prescribed by the State Election Commission.

7. All applications for copies will be entered in a register specified for the purpose in a chronological order, indicating the date on which copy prepared and copy supplied.

8. All cash receipts shall be entered in the relevant cash book and shall be credited to receipt head of the State Election Commission in treasury keeping original challan in office record.

Yours sincerely,

Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh.

Endst. No.SEC.16-70/2014- 4045-4365 Dated, the 29th Oct, 2015.

Copy for information & compliance is forwarded to:-

1. All the Sub-Divisional Officers (Civil)-cum-SDMs of Himachal Pradesh.
2. All the Assistant Distt. Election Officer (P)-cum-DPO, Himachal Pradesh.
3. All the Tehsildars of Himachal Pradesh.
4. All the Block Development Officers, Himachal Pradesh.
5. File No. SEC.13-90/2014 for record
6. Guard file.
7. Website.

Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh.

File/general election to PRI 2015/s/

59

Annexure-VIII

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल शिमला 171002 Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

No. SEC(F)1-16/2020-4439-4450 dated the 4th August, 2023

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन आधिकारी-एवं-
उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

विषय:- **चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची बनाने हेतु दिशा-निर्देश ।**

महोदया/महोदय,

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41, हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 42 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 43 में यह प्रावधान है कि चुनाव् लडने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार तैयार की जाएगी ।

हाल ही में सम्पन्न हुए नगर निगम शिमला के सामान्य चुनाव में चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में नामों के क्रम सम्बंधित कुछ विसंगतियां आयोग के ध्यान में लायी गयी है इसलिए भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं एवम् शहरी निकायों का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के नामों के क्रम की सूची तैयार करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जानी आवश्यक है जिससे इस विषय में एकरूपता सुनिश्चित हो सके ।

अत: राज्य चुनाव आयोग, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 अनुसार आयोग में निहित हैं, चुनाव् लड़ने वाले

उम्मीदवारों की सूची के निर्धारण के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी करता है :-

1. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। हिंदी शब्दकोश में शब्दों के क्रम के निम्नलिखित नियम है :-

हिन्दी शब्दकोश में शब्दों का क्रम•~

अं, अँ, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, क, क्ष, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह ।

2. इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम 'अं' तथा फिर 'अँ' से प्रारंभ होने वाले शब्द होते है और अन्त में 'ह' से प्रारंभ होने वाले शब्द। प्रत्येक शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द भी हजारों की संख्या में होते हैं, अतः शब्द–कोश में उनका क्रम–विन्यास विभिन्न स्वरों की मात्राओं के निम्न क्रम मे होता है–

ं ॅ ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ।

3. उदाहरण –

1. आधा वर्ण उस वर्ण की 'औ' की मात्रा के बाद आता है। जैसे– कटौती के बाद कट्टर, करौ के बाद कर्क, कसौ के बाद कस्त, कौस्तु के बाद क्य आदि ।

2. 'ृ ' की मात्रा 'ऊ' की मात्रा वाले वर्ण के बाद आती है। जैसे– कूक, कूल के बाद कृत।

3. 'क्ष' वर्ण आधे 'क्' के बाद आता है। जैसे– क्विँटल के बाद क्षण।

4. 'ज्ञ' अक्षर 'जौ' के अंतिम शब्द के बाद आता है। जैसे– जौहरी के बाद ज्ञात।

5. 'त्र' अक्षर 'त्यौ' के बाद आयेगा। जैसे– त्यौहार के बाद त्रय।

6. 'श्र' अक्षर 'श्यो' के बाद आयेगा क्योंकि श्र र है तथा•श्=र' शब्द–कोश में 'य' के बाद आता है।

7. 'द्य' अक्षर 'दौ' के बाद आएगा । जैसे– दौहित्री के बाद द्युति।

8. 'रेफ' (र की मात्रा) शब्द 'रौ' के बाद आते है। जैसे– सरौता के बाद सर्कस एवं करौना के बाद कर्क।

9. पदेन 'र' (^) किसी भी व्यंजन के 'य' के साथ संयुक्त अक्षर के अंतिम शब्द के बाद आता है। जैसे– प्योसार के बाद प्रकट, ग्यारह के बाद ग्रंथ, द्यौ के बाद द्रव एवं ब्यौरा के बाद ब्रश।

इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के सर्वप्रथम अनुस्वार (ं) फिर चंद्रबिंदु (ॅ) वाले शब्द आते है फिर उनका क्रम क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा के अनुसार होता है। 'औ' की मात्रा के बाद आधे अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द दिये होते है ।

4. आपके मार्गदर्शन के लिए कुछ उदाहरण अनुलग्नक **'क'** पर उद्धृत किये गए है ।

अतः भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के मतदान के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची उपरोक्त नियमानुसार तैयार की जाएगी तथा इस विषय में यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो सम्बंधित RO/ARO द्वारा महाविद्यालय/ भाषा विभाग में तैनात हिंदी विशेषज्ञों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

स. राठौर
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश

No. SEC(F)1-16/2020-4451 dated the 4th August, 2023

प्रतिलिपि:-

डिप्टी डायरेक्टर जनरल व राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), आर्म्सडेल भवन, शिमला -2, हि. प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु ।

स. राठौर
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश

उदाहरण -1 यदि निम्नलिखित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं :-

1. सुरेंदर सिंह
2. संजय कुमार
3. कमलजीत सिंह
4. अमर सिंह
5. स्वर्णा देवी
6. सुलक्षना देवी

चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न प्रकार तैयार होगी :-

1. अमर सिंह
2. कमलजीत
3. संजय कुमार
4. सुरेंदर सिंह
5. सुलक्षना देवी
6. स्वर्णा देवी

उदाहरण -2 यदि निम्नलिखित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं :-

1. पलक राना
2. प्यार चन्द
3. अंगद कुमार
4. पंकज कुमार
5. ज्ञान चन्द
6. क्षितिज कुमार
7. प्रीतम चन्द

चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न प्रकार तैयार होगी :-

1. अंगद कुमार
2. क्षितिज कुमार
3. ज्ञान चन्द
4. पंकज कुमार
5. पलक राना
6. प्यार चन्द
7. प्रीतम चन्द

उदाहरण 3 यदि निम्नलिखित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं :-

1. चंचल ठाकुर
2. कंचन देवी
3. धर्म चन्द
4. ध्यान चन्द
5. कमल कुमार

चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न प्रकार तैयार होगी :-

1. कंचन देवी
2. कमल कुमार
3. चंचल ठाकुर
4. ध्यान चन्द
5. धर्म चन्द

उदाहरण 4 यदि निम्नलिखित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं :-

1. क्षितिज
2. ज्ञान चन्द
3. त्रिनेत्र कुमार
4. कलम सिंह
5. नारायण सिंह

चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न प्रकार तैयार होगी :-

1. कलम सिंह
2. क्षितिज
3. ज्ञान चन्द
4. त्रिनेत्र कुमार
5. नारायण सिंह

उदाहरण 5 यदि निम्नलिखित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहें हैं :-

1. ऋषि कुमार
2. रीना देवी
3. रंजना चौहान
4. उमा देवी
5. प्रीतम सिंह
6. पृथ्वी सिंह

चुनाव् लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न प्रकार तैयार होगी :-

1. उमा देवी
2. ऋषि कुमार

3. पृथ्वी सिंह

4. प्रीतम सिंह

5. रंजना चौहान

6. रीना देवी

उपरोक्त उदाहरण केवल मार्गदर्शन के लिए दिए गये है, यह अपने आप में सम्पूर्ण नहीं है । रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन भरने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का इन्द्राज DPMIS सॉफ्टवेयर में वास्तविक समय पर अनिवार्य रूप से किया जाए ।

अनुलग्नक/Annexure-IX

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला–171002,Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152
E-mail secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated the 9th May, 2025

No.SEC.(F)1-16-2020-I-1634.—In exercise of the powers vested in it under Article 243-K of the Constitution of India, Section 160(1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 34 of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, State Election Commission H.P. hereby notifies Election Symbols for allotment to the candidates for election to Panchayats defined under Section 2(26) of Act *ibid*;

Further, if number of candidates exceeds than the number of symbols specified for a particular Panchayat, the symbol shall be allotted from the common symbols notified at Serial No. 4:—

Sr. No. 1. **GRAM PANCHAYAT**

(a) **Symbols to be used for the Election of Members**

Sr. No.	Symbols	Sr. No.	Symbols
1.	Mango	11.	Camera
2.	Letter Box	12.	Bench
3.	Sewing Machine	13.	Tabla (Two)
4.	Table	14.	Dancing Girl
5.	Tractor	15.	Wheel Barrow
6.	Pressure Cooker	16.	Basket Containing Vegetables
7.	Moon	17.	Violin
8.	Electric Bulb	18.	Black Board
9.	Baby Doll	19.	Cultivator Cutting Crop
10.	Almirah	20.	Torch

(b) **Symbols to be used for the Election of Up-Pradhan**

Sr. No.	Symbols	Sr. No.	Symbols
1.	Television	11.	Flute
2.	Star	12.	Kettle
3.	Bus	13.	Door
4.	Heat Piller	14.	Electric Pole
5.	Gas Cylinder	15.	Maize
6.	Boat	16.	Fork
7.	Book	17.	Frying Pan
8.	Hat	18.	Keyboard
9.	Glass Tumbler	19.	Cultivator Winnowing Grain
10.	Batsman	20.	Helmet

Sr. No. 2. **Symbols to be used for the Election of Member Panchayat Samiti**

Sr.No	Symbols	Sr.No.	Symbols
1.	Apple	11.	Drum
2.	Rising Sun	12.	Candle
3.	Radio	13.	Hockey & Ball
4.	Bat	14.	Glass jar
5.	Ladder	15.	Globe
6.	Car	16.	Spoon
7.	Chair	17.	Water Melon
8.	Kite	18.	Ballon
9.	Aeroplane	19.	Spade
10.	Ceiling Fan	20.	Match Box

(c) **Symbols to be used for the Election of Pradhan**

Sr. No.	Symbols	Sr. No.	Symbols
1.	Wrist warch	11.	Bridge
2.	Bow & Arrow	12.	Comb
3.	Gas Stove	13.	Fort
4.	Carrot	14.	Gum Bottle
5.	Jug	15.	Harmonium
6.	Ship	16.	Wall Clock
7.	Railway Engine	17.	Road Roller
8.	Coconut Tree	18.	Brick
9.	Table Lamp	19.	Envelope
10.	Truck	20.	Grapes

Sr.No. 3. Symbols to be used for the Election of Member, Zila Parishad

Sr. No.	Symbols	Sr. No.	Symbols
1.	Lock & Key	11.	Soldier
2.	Table Fan	12.	Ring
3.	Umbrella	13.	Motorcycle
4.	Jeep	14.	Whistle
5.	Cup & Saucer	15.	Bell
6.	Foot Ball	16.	Scissors
7.	Dholak	17.	Banana
8.	Hand Pump	18.	Pencil
9.	Pear	19.	Bucket
10.	Box	20.	Diamond

Sr.No. 4. **Common Symbols to be used for the Election of Gram Panchayats/ Panchayat Samiti/Zila Parishad if number of candidates exceeds than the number of symbols Specified vide Table No. 1, 2 and 3.**

Sr. No.	Symbols	Sr.No.	Symbols
1.	Cot	9.	Slate
2.	Fountain Pen	10.	Doli
3.	Walking stick	11.	Brief Case
4.	Flower Basket	12.	Lady Purse
5.	Spade and Stoker	13.	Frock
6.	Two Swords and Shield	14.	Brush
7.	Window	15.	Tap
8.	Wool		

Consequently the Notification No. SEC.16-22/99-1800- 46 dated 30-06-2015 issued by the State Election Commission, Himachal Pradesh is hereby superseded.

By order,
Sd/-
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

Endst.No.SEC(F)1-16/2020-I-1635-70 Dated, Shimla-2, 9th May, 2025

Copy to:

1. The Principal Secretary H/E the Governor of Himachal Pradesh.
2. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
3. All the Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries & Secretaries to the Govt. of H.P.
4. The Secretary, H.P Vidhan Sabha, Shimla-3.
5. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh.
6. The Director, Panchayati Raj Department SDA Complex, Kusumpati, Shimla-
6. All the Deputy Commissioner in Himachal Pradesh.
7. All the District Election Officer (P)-cum-Deputy Commissioner H.P. for necessary action please.
8. The Additional Deputy Commissioner, Kaza at Spiti Distt. L& Spiti H.P.
9. The Resident Commissioner, Pangi Distt. Chamba H.P.
10. The Controller Printing & Stationary Department, Shimla-5 through e-gazette.
12. Guard file/e-Gazette.

Sd/-
(SURJEET SINGH RATHOR),
Secretary,
State Election Commission,
Himachal Pradesh.

Annexure 7

Top Priority
Election Matter

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला–171002 , Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
e-mail: secysec-hp@nic.in

No.SEC(F)-2/2020 (ULB) - २२७ - २३८ **Dated** **05th January, 2021**

To

All the District Election Officers (P)-cum-
Deputy Commissioners
Himachal Pradesh.

Subject:- Clarification regarding allotment of symbols.

Madam/Sir,

In continuation to this Commission's letter No. State Election Commission-16-70/2014 -7585 dated 18.12.2015, I am directed to inform you that in cases where candidates have similar names, their father's/husband's/mother's names in addition to the candidates name may be considered. If in any case father's/husband's/mother's name also happens to be similar then the nick names of the contesting candidates may also be considered for allotment of symbols.

In such cases, the name of the father/ husband/ mother or nick name as the case may be should also be mentioned in the list of contesting candidates and in the ballot papers.

Yours faithfully,

(Surjeet Singh Rathore)
Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh

अनुलग्नक/Annexure-X

ELECTION MATTER
PERSONAL ATTENTION

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

मजीठा हाऊस, शिमला-171002, Majitha House Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152
Email –secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 10th November, 2015

No. SEC-16-1/2011-I- 5042-5176.—Whereas Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 161 of 2004 titled as People's Union for Civil Liberties & Another, has directed the Election Commission to provide necessary provisions in ballot papers and EVMs for displaying a separate button for "**None of the Above" (NOTA)** "**उपरोक्त में से कोई नहीं** "so that the voters, who decide not to vote for any of the candidates in the election, are able to exercise their right not to vote while maintaining their right of secrecy;

Therefore, the State Election Commission, Himachal Pradesh in compliance to the directions passed by the Hon'ble Apex Court and in exercise of the powers vested in it under Article 243-K and ZA of the Constitution of India, Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 Section 281 of H.P.Municipal Act, 1994 and Section 9 of the H.P.Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 52 (1) of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 Rule 58 (2) of the H.P.Municipal Election Rules, 2015 and Municipal Corporation Election Rules, 2012 and all other powers enabling it in this behalf, hereby orders that the option **"None of the Above" (NOTA) "उपरोक्त में से कोई नहीं** "shall be given in the ballot papers/EVMs, henceforth, in the last column/box after the names of all contesting candidates for the elections to PRIs/Municipalities. The number of votes polled to **"None of the Above" (NOTA), "उपरोक्त में से कोई नहीं"** shall be shown at the last in result sheet of counting and form of return along with the names of the candidates and number of votes polled in favour of each contesting candidate. However, the effect of **"None of the Above (NOTA)" "उपरोक्त में से कोई नहीं"** shall be same as not voting in favour of any candidate. Therefore, even if, **"None of the Above (NOTA)" "उपरोक्त में से कोई नहीं** " gets maximum number of votes, the contesting candidate securing/ highest number of votes next to **"None of the Above (NOTA)" "उपरोक्त में से**

कोई नहीं "shall be declared elected. Option of NOTA will be provided by affixing stamp **"उपरोक्त में से कोई नहीं** " on the last box of the ballot paper after the names of all contesting candidates, issued by the State Election Commission in respect of Panchayati Raj Institutions. However, in case of election in Municipalities the option "None of the above (NOTA)" will be printed in the last column/box of the ballot paper to be used in EVMs during Municipal Elections.

This is issued in supersession of earlier Notification No. SEC. 16-1/2011- 2513-2623 dated 18th November, 2014.

By order,
(T.G. Negi),
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

No. SEC-16-1/2011-I-5042-5176 dated the 10th November, 2015.

Copy to:

1. The Secretary to H/E the Governor of H.P for the information of his Excellency.
2. The Chief Secretary to the Govt. of H.P.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. All the Additional Chief Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
5. All Principal Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
6. The Secretary (Panchayati Raj) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
7. The Secretary, Vidhan Sabha Himachal Pradesh, Shimla-4.
8. The Director-cum-Special Secretary Panchayati Raj Department Shimla-9 (HP) for information and necessary action.
9. The Director, Urban Development Department, HP, Shimla-2.
10. All the Distt. Election Officer (Municipalities)-cum-Deputy Commissioner (except Tribal) Himachal Pradesh.
11. All the Distt. Election Officer (Panchayat)-cum-Deputy Commissioner, HP.
12. All the Assistant District Election Officers (Panchayat)-cum-District Panchayat Officers H.P. in order to ensure strict compliance of these directions.
13. All the Block Development Officers H.P. for information and strict compliance.
14. E-gazette.
15. Guard File.

Sd/-
(Dr. A. K. Sharma),
Secretary
State ElectionCommission,
Himachal Pradesh.

ILLUSTRATIVE STAMP OF NOTA

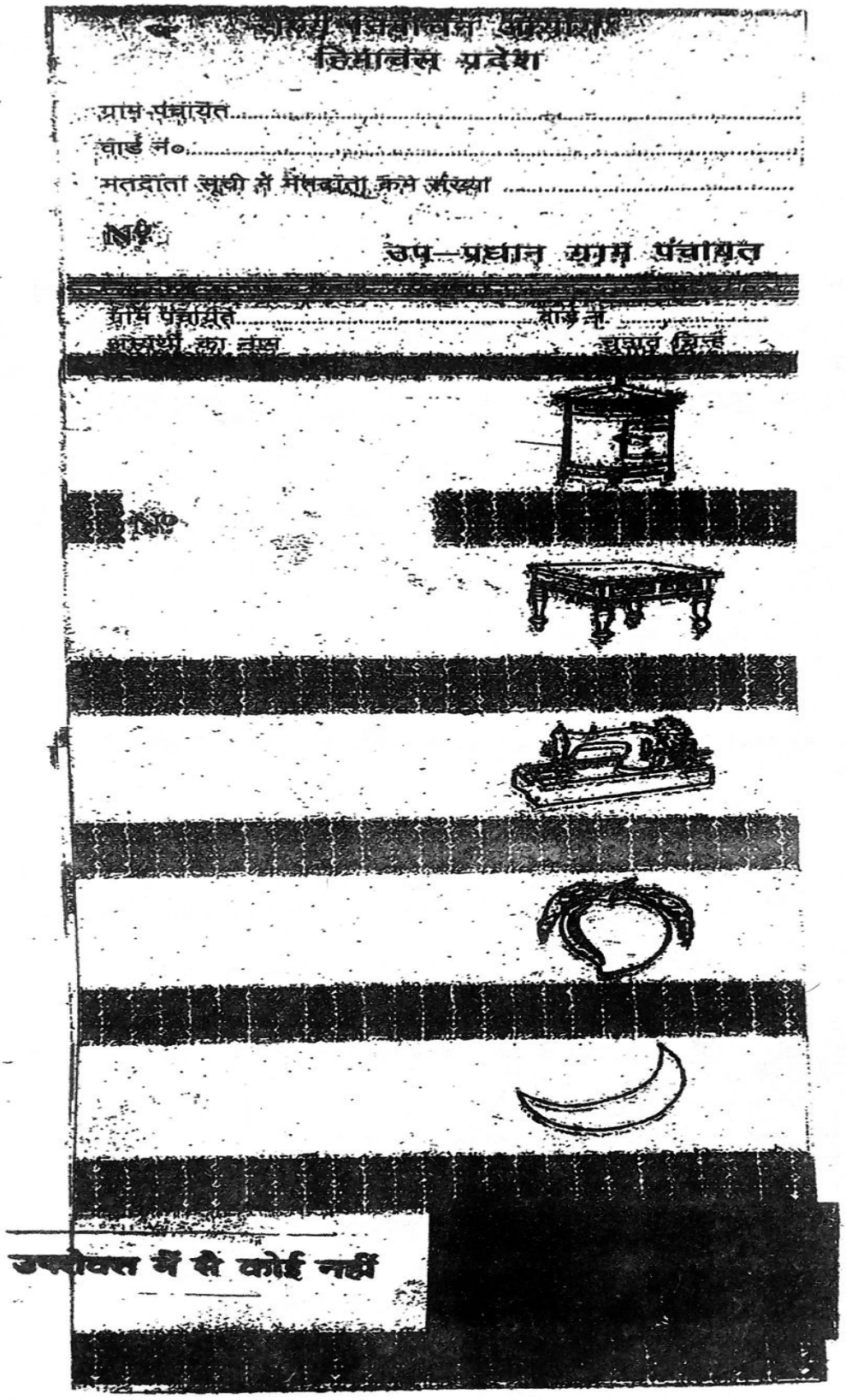

ANNEXURE-XII

Personal Attention
Election Matter
Urgent

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मस्डेल,शिमला-171002,Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154 Fax. 2620152

No.SEC. 16-49/2009-4821-33 Dated the 4 th December, 2010

To

All the District Election Officers (P)
(Deputy Commissioners)
Himachal Pradesh.

The Additional Dy. Commissioner,
Kaza Distt. L&Spiti H.P.

Subject: Use of Poll Duty ballot for voters on Election Duty in Panchayati Raj Institutions thereof.

Madam / Sir,

I am directed to say that the State Election Commission has formulated a scheme to streamline the poll duty ballot for voters on election Duty so that they are able to exercise their franchise.

Rule 49A of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) (Amendment) Rules, 2010 provides that, subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified, the electors who are on poll duty within the same Block shall be entitled to vote in the manner specified in rule 49-B of the ibid rule.

The Commission has decided that the following categories of persons, who are registered as voters in a ward of the Panchayat in the current electoral rolls are entitled to exercise their franchise under Rule 49A ibid:-

(1) Presiding Officers;
(2) Polling Officers;
(3) Police Officers/Officials on election duty;
(4) Any other officers/officials deployed on election duty specifically in a polling station.

1. INTIMATION BY ELECTORS ON POLL DUTY

Rule 49B provides that an elector on poll duty within the same Block who wishes to vote at an election shall apply in form-28A to the Returning Officer for the Gram Panchayat of the concerned Block so as **to reach him at least seven days before the date of poll**; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is an elector on poll duty, he shall issue to him Poll Duty Ballots, each to be used for the election of Member, Up-Pradhan and Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad. Further Rule 49-C of the Rules ibid provides that the ballot papers to be issued to the electors on poll duty shall be same as will be issued to other electors of the concerned Panchayat. The duty of the elector should be within the same Block.

2. ISSUE OF BALLOT PAPER

Rule 49 D provided for Issue of ballot paper to such electors, which lays down that the Returning Officer for the Gram Panchayat shall deliver the ballot paper to the elector personally alongwith following documents:

(a) Two declaration forms in Form-28B (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad.);

(b) Five covers in Form- 28C (one for each ballot paper);

(c) Two larger cover addressed to the Returning officer in Form-28D (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad); and

(d) Instructions for the guidance of the electors in Form-28 E.

While issuing Poll duty ballot papers to such electors, Retuning officer will inform the elector that the Poll duty ballot paper must be returned to him duly marked after completing all necessary formalities before the date and time fixed by him for the commencement of issue of election material to the polling party.

The Returning Officer for the Gram Panchayat shall at the same time make following entries:

(a) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll.

(b) Mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to the elector; and

(c) ensure that the elector is not allowed to vote at a polling station.

(3) Before any ballot paper is issued to an elector on election duty at an election, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed. In the manner as appended below:

(a) The Returning Officer should issue poll duty ballot papers to all the electors of poll duty in a ward/ Panchayat together.

(b) The Returning Officer will count the ballot papers required to be issued for each office.

(c) The number of required ballot papers will be detached from the relevant packet of ballot papers either from the beginning or from the last in reverse order.

(d) The ballot papers in respect of each office will be issued to the poll duty electors in random manners for example if there are four poll duty electors in a ward/ Panchayat say A, B, C and D, the Returning Officer will ensure that an elector "A" is supplied poll duty ballot papers bearing different serial numbers of different office. i.e. 00001 in case of Pradhan, 00004 in case of Up-Pradhan and 00002 in case of Member so that serial number of poll duty ballot papers issued could be concealed.

(e) The Returning Officer will maintain a record of all the ballot papers issued to the such electors and also apprise the Presiding Officer of the concerned polling station that he has issued such number of ballot papers to the electors on poll duty. The RO will not enter the name of the elector to whom particular serial numbers have been issued in order to maintain the secrecy.

(4) After ballot papers have been issued to all the electors on poll duty, the Returning Officer for the Gram Panchayat shall seal in a packet the marked copy of the electoral roll and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it is sealed.

(5) The Returning Officer for the Gram Panchayats shall also seal in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors on poll duty and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it has been sealed.

3. RECORDING OF VOTE

(1) An elector who has received Poll Duty Ballot Papers and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the directions contained in 28 E and then enclose each ballot paper in separate cover in Form-28C.

(2) The elector shall sign the declaration in Form-28B in the presence of Returning Officer of the Panchayat or any Gazetted Officer of the Government.

4. RETURN OF BALLOT PAPER

(1) After an elector has recorded his vote and made his declaration, under rule 49-E, he shall return the ballot paper and declaration to the Returning Officer for the Gram Panchayat of a Development Block duly marked after completing all necessary formalities before the date and time fixed by him for the commencement of issue of election material to the polling party.

(2) If any cover containing a poll duty ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in sub-rule (1) he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(3) The Returning Officer of Gram Panchayats of a Development Block shall ensure that all covers containing poll duty ballot papers received by him are delivered to-

(a) the Assistant Returning Officer for Gram Panchayat of the concerned Gram Panchayat in the case of election of Gram Panchayat

(b) the Returning Officer of the concerned Panchayat Samiti in the case of election of Members of Panchayat Samiti at the time of counting of votes; and

(c) the Returning Officer of the concerned Zila Parishad in the case election of members of Zila Parishad at the time of counting of votes.

COUNTING OF VOTES RECEIVED THROUGH POLL DUTY BALLOT PAPERS

(1) Rule 73-A of the Rules ibid provides that the Returning Officer shall at the first instance deal with the poll duty ballot papers at the time of counting, in the manner hereinafter provided.

(2) No cover in Form-28D received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in this behalf shall be opened and no vote contained in such a cover shall be counted.

(3) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the Returning Officer shall first scrutinize the declaration in Form-28B contained therein and if the said declaration is not found, or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective, or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the cover in Form-28C, that cover shall not be opened, and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper contained therein.

(4) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form-28D and all such covers in Form-28D shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its content.

(5) The Returning Officer shall then place all the declarations in Form-28B which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any cover in Form-28C is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (4).

(6) The covers in Form-28D not already dealt with under the foregoing provisions shall then be opened one after another and the Returning Officer shall scrutinise each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(7) A poll duty ballot paper shall be rejected-

(a) If it bears any mark other than mark to record the vote or writing by which the elector can be identified; or
(b) If no vote is recorded thereon; or
(c) If votes are recorded in favour of more candidates than one; or
(d) If it is spurious ballot paper; or
(e) If it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
(f) If it is not returned in the cover sent along with it to the elector by the Returning Officer; or

(8) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been recorded.

(9) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the ballot paper is marked.

(10) The Returning Officer shall count all the valid votes recorded in favour of each candidate and record the total thereof in the result sheet in-
a) Form- 32 in the case of member of Gram Panchayats;
b) Form- 34 in the case of Pradhan/Up-Pradhan;
c) Form- 36 in the case of member of Panchayat Samiti; and
d) Form- 38 in the case of member of Zila Parishad, and announce the same.

(11) All the valid ballot papers and the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed with the seals of the Returning Officer and the candidates or their election agents or counting agents, if they desire to affix their seals thereon, and on the packet so sealed the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its contents shall be recorded.

Yours faithfully

Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh

Encl: Forms 5 No.

(File/Poll Duty Panchayats)

प्ररूप–28क

{नियम 49–ख देखें}

रिटर्निंग आफिसर को सूचना का पत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

पंचायत.....

विकास खण्ड.....

जिला.....

(हिमाचल प्रदेश)

श्रीमान,

मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूं और मेरा नाम ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला परिषद्.....के वार्ड संख्या.....के लिए निर्वाचिक नामावली के .....क्रम संख्या पर प्रविष्ट (दर्ज) है।

मैं उक्त पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावों) में ग्राम पंचायत.....के वार्ड संख्या.....से अपना मत डालने हेतु आशयित हूं।

स्थान.....

तारीख..... भवदीय,

प्ररूप–28ख

{नियम 49–घ (1) (क), 49–ङ (2) और 73–क (3) एवं (6) देखें}

मतदाता द्वारा घोषणा

.....के लिए निर्वाचन (इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह मतदाता हूं जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या ..... वाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।

तारीख.....

पता.....

मतदाता के हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

.....मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/जिसकी.....(पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.....

पदनाम.....

पता.....

तारीख.....

प्ररूप–28ग

{नियम 49–घ (1) (ख) और 73–क (5) एवं (6) देखें}

(केवल एक मतपत्र डालें)

क

गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए

• .....निर्वाचन क्षेत्र से.....का निर्वाचन

(पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन होना या किया जाना है)

पोल ड्यूटी मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या.....

प्ररूप–28घ

{नियम 49–ङ (1) (ग) और 73–क (5) देखें}

पोल ड्यूटी मतपत्रों के लिए बड़ा लिफाफा

ख

निर्वाचन–तुरंत

पोल ड्यूटी मत पत्र

गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

•.....

.....निर्वाचन क्षेत्र से .....के लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।

प्रेषक के हस्ताक्षर .....

प्ररूप–28ङ

{नियम 49–ङ (1) (घ) और 49–छ (1) देखें}

मतदाताओं की जानकारी के लिए निर्देश
(पंचायतों के निर्वाचन में उपयोग किए जाएं)

.....से .....के लिए • निर्वाचन।

व्यक्ति, जिनके नाम एतद् द्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए है, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरूद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें।

चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहें हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या याद रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तद्नुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिन्ह चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्द्वारा भेजे गए 'क' '।' चिन्हित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।

तब आप प्ररूप–28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्,प्ररूप–28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'ठ' चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'ठ' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

• निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।

आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,.....को• .....से• पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी को दे दिया गया है। कृप्या नोट करें कि–

(i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और

(ii) यदि लिफाफा,.....को• .....के पश्चात्• रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.....

(•यहां मतों की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें)।}

Annexure-XIII

राज्य निर्वाचनआयोगहिमाचलप्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

रा0नि0आ0 (एफ)10-21/2020- 768-79 दिनांक 22 मार्च, 2022

सेवा में

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)–एवं–
उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– पंचायत समिति व जिला परिषद के मतपत्रों की गणना उपरान्त इनके रखरखाव बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि मतपत्रों की गणना उपरान्त इनके रखरखाव में कुछ कमियां पायी गयी है। वर्ष 2021 में सम्पन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के पश्चात जिला परिषद् के कुछ मतपत्रों का मतगणना केन्द्र के समक्ष कूड़े के ढेर में मिलना मतगणना उपरान्त इनके रखरखाव की कमियों को दर्शाता है । मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रपत्रो/कागजातों का यथोचित स्थान पर संग्रहण भी चुनाव प्रकिया का हिस्सा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अर्न्तगत आयोग में निहित है, मतगणना उपरान्त मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रपत्रो/कागजातों के रखरखाव हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करता हैः–

(क) ग्राम पंचायत के मतपत्रों की गणना

1. ग्राम पंचायत के मतगणना केन्द्रों को स्थापित करने से पूर्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी स्वयं मतगणना केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।
2. खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केन्द्र मतगणना के लिए सुरक्षित है तथा केन्द्र में मतगणना को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए सुविधाऐं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
3. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केन्द्र में बिजली की व्यवस्था सही है तथा बिजली की विफलता की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गयी है।
4. एक ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त सभी मतदान दल मतगणना के लिए मतगणना केन्द्र पर एकत्रित होंगे तथा सहायक रिर्टनिंग अधिकारी, जंहा तक सम्भव हो, केवल पीठासीन अधिकारियों को

ही मतगणना दल में शामिल करेगा। यदि केवल पीठासीन अधिकारियों से मतगणना सम्भव न हो तो सभी दलों में शामिल मतदान अधिकारी–1 को मतगणना दल में शामिल किया जाएगा।

5. सभी मतदान दलों के मतदान अधिकारी–2 व 3 को Sealing Section का दायित्व सौंपा जाएगा। सहायक रिर्टनिंग अधिकारी उपरोक्त में से किसी एक मतदान अधिकारी को प्रभारी Sealing Section नियुक्त करेंगे।

6. सभी मतदान दलों के साथ नियुक्त सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी मतगणना केन्द्र पर एकत्रित होंगे तथा सहायक रिर्टनिंग अधिकारी के दिशा–निर्देशों अनुसार सुरक्षा का दायित्व सम्भालेंगे।

7. सहायक रिर्टनिंग अधिकारी मतगणना प्रकिया सम्पन्न होने एवं परिणामों की घोषणा के पश्चात , मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रपत्रो /कागजातों का परिवहन एवं संग्रहण नियमों में निर्धारित प्राधिकारी एवं स्थान के पास सुनिश्चित करेंगे।

(ख) पंचायत समिति व जिला परिषद् के मतपत्रों की गणना

1. पंचायत समिति व जिला परिषद मतगणना केन्द्रों को स्थापित करने से पूर्व सम्बन्धित उप–मण्डलाधिकारी (ना0) स्वयं मतगणना केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।

2. उप–मण्डलाधिकारी (ना0) यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केन्द्र मतगणना के लिए सुरक्षित है तथा केन्द्र में मतगणना को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए सुविधाऐं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

3. वे यह भी सुनिश्चित करगें कि मतगणना केन्द्र में बिजली की व्यवस्था सही है तथा बिजली की विफलता की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाए।

4 मतगणना केन्द्र को तीन भागों में बांटा जाए। प्रथम भाग में मतपेटियों का भंडारण, दूसरे भाग में मतपत्रों की गणना तथा तीसरे भाग में मतगणना के पश्चात Sealing Section स्थापित किया जाए। इन तीनों भागों की गतिविधियों पर नजर रखने व रिर्काडिंग के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किएं जाएं।

5. सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिर्काडिंग को किसी स्टोरेज डिवाईस में तीन माह तक स्टोर किया जाए।

6. यदि मतगणना केन्द्र व Sealing Section को अलग–2 कमरों/हाल में स्थापित किया जाना है तो ऐसी स्थिति में मतगणना केन्द्र व Sealing Section के जोड़ने वाले मार्ग में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किएं जांए।

7. यह कि किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति ही Sealing Section के प्रभारी के रूप में की जाए।

8. यह कि प्रभारी Sealing Section यह सुनिश्चित करें कि गणना किए गये मतपत्र सही रूप से सील कर लिए गये हैं तथा कोई भी मतपत्र सील होने के लिए शेष नहीं है।

9. यह कि प्रभारी Sealing Section प्रत्येक पैकेट में स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि पैकेट में किस पद से सम्बन्धित कितने मतपत्र के बंडल सील किए गये है।

10. मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रारूपों/कागजातों का जब तक यथोचित स्थान पर संग्रहण नहीं हो जाता है तब तक चुनाव प्रकिया पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हो सकती है। रिर्टनिंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रारूपों/कागजातों का आयोग द्वारा चुनाव प्रकिया पूर्ण सम्पन्न करने के निर्धारित दिनांक से पूर्व इनका संग्रहण नियमों में निर्धारित स्थान एवं प्राधिकारी के पास हो जाए।

भवदीय,

सु. राठौर

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश।

रा0नि0आ0 (एफ)10-21/2020- 780-926 दिनांक 22 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. समस्त उप–मण्डलाधिकारी (ना0) हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी –एवं–जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

सु. राठौर

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
हिमाचल प्रदेश।

ILLUSTRATIVE CASES OF VALID AND INVALID

BALLOT PAPER

NOTE

The Commission has brought this pamphlet showing illustrative cases of valid and invalid ballot paper for your guidance. But it is not possible to visualise all kinds of valid & invalid markings, the specimen given in the pamphlet are not exhaustive, but only illustrative.

VALID CASES

VALID CASE-I

[VALID VOTE FOR CANDIDATE 1]

This will be put in the "Doubtful" bundle initially by the Counting Party and on scrutiny by the Returning Officer accepted.

RATTAN DEV

5-DMA-MC

MOHAN LAL

SUNITA RANI

1. Original mark (Anticlockwise manner) in column of candidate 1 and impression (Clockwise manner) due to wrong folding in column of candidate 3.

VALID CASE-II

[VALID VOTE FOR CANDIDATE 1]

This will be put in the "Doubtful" bundle initially by the Counting Party and on scrutiny by the Returning Officer will be accepted.

RATTAN DEV

5-DMA-MC

MOHAN LAL

SUNITA RANI

2. Mark in column of candidate 1 and 3 smudge elsewhere.

80

INVALID CASE-III

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and rejected by the Returning Officer.

RATTAN DEV

5-DA-MC

MOHAN LAL

SUNITA RANI

3. Mark not made with insstrument supplied.

INVALID CASE-IV

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and rejected by the Returning Officer.

RATTAN DEV

5-DMA-MC

MOHAN LAL

SUNITA RANI

4. Mark in blank area (Mark on back also will come under this category).

INVALID CASE-V

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and rejected by the Returning Officer.

RATTAN DEV

5-DMA-MC

MOHAN LAL

SUNITA RANI

5 Multiple voting.

INVALID CASE-VI

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and rejected by the Returning Officer.

RATTAN DEV

5-DMA-MC

MOHAN LAL

Mohan

SUNITA RANI

6. Voter identifiable (Signature or name).

INVALID CASE-IX

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and Rejected by the Returning Officer.

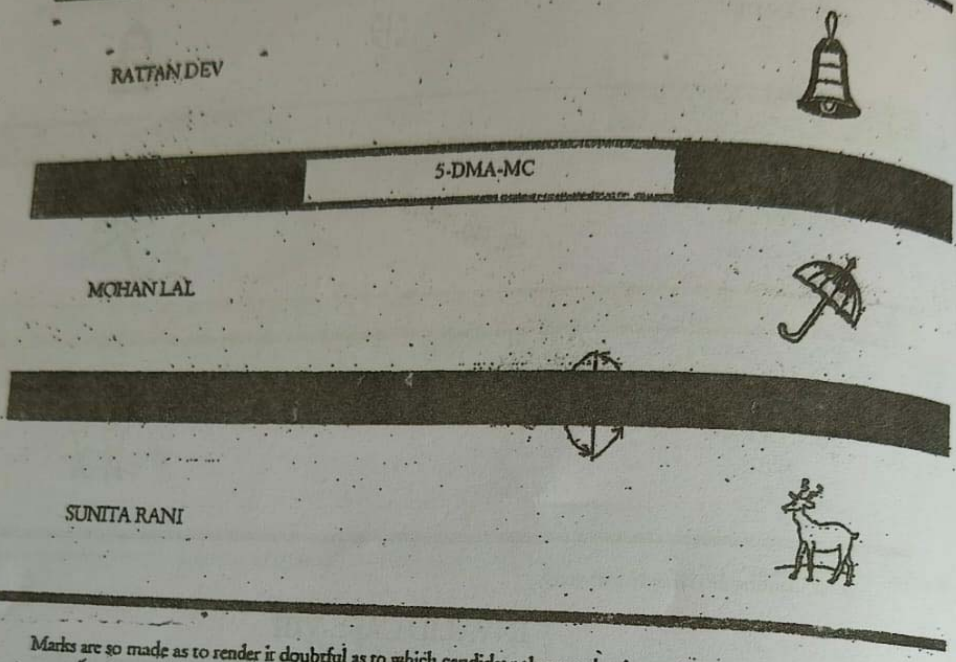

9. Marks are so made as to render it doubtful as to which candidate the vote has been given.

INVALID CASE-X

This will be put in the "Doubtful" bundle by the Counting Party and Rejected by the Returning Officer.

No. 002759

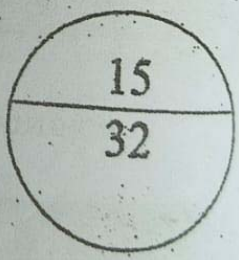

10. The mark is at the back of the ballot paper.

अनुलग्नक / Annexure-XV

Election Matter
Important

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला.171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

No. SEC(F)1-PRIs-1/19-593-604 *Dated 23rd May, 2020*

To

All the District Election Officers,
(Panchayat)-*cum*-Deputy Commissioners,
Himachal Pradesh.

Subject.— Lump-sum payment to the staff deputed on election duty in lieu of Travelling Expenses.

Madam/Sir,

As you are aware that the general elections to Panchayati Raj Institutions are due in this year. In these elections thousands of employees are deputed on election duty. After the conduct of elections, these employees submit T.A. claims through their Head of Offices. Thereafter, these bills are sent to the B.D.O's after verification of basic pay, which are further sent to the respective District Panchayat Officers for payment. In order to simplify the procedures and to save the resources of the Government such as manpower, stationery, postage and duplication of efforts and for early disbursement of claims, the State Election Commission had taken up the matter with Finance Department to pay lump-sum amount to the staff deputed on election duty in lieu of Travelling Expenses.

Now the Finance Department has approved following rates to pay a lump-sum amount to the staff deputed on election duty in lieu of Travelling Expenses:—

Assistant Returning Officers	Presiding Officer	Polling Officer	Assistant Returning Officers (Reserve)	Presiding Officer (Reserve for all three phases)	Polling Officer (Reserve for all three phases)
3500/-	700/- Per Phase	650/- Per Phase	2500/-	1200/-	1000/-

Keeping in view the above decision, the Block Development Officer while requisitioning the staff for election duty will also procure information with regard to bank details from the

concerned official on the annexure enclosed herewith. The details mentioned in annexure are not exhaustive and the District Election Officer (Panchayat) and Block Development Officer may also seek any additional information which may help them to keep the accounts of lump-sum payment in transparent and convenient manner. After compiling all the claims the Block Development Officer will forward the claims to District Election Officer (P) so that lump-sum amount may be deposited in the account of the official deputed on election duty or kept as reserve staff. In case, where an official deputed on election duty is relieved in middle of the election duty due to unavoidable circumstances he will be paid proportionate payment.

Yours faithfully,

Sd/-
Secretary,
State Election Commission,
Himachal Pradesh.

No. SEC(F)1-PRIs-1/19-605-695 Dated: 23rd May, 2020

Copy to:-

1. All the Assistant District Election Officers Himachal Pradesh for information and necessary compliance.
2. All the Block Development Officers Himachal Pradesh for information and necessary compliance.

Sd/-
Secretary,
State Election Commission,
Himachal Pradesh.

Sd/-
Secretary
State Election Commission
Himachal Pradesh

अनुलग्नक/Annexure-XVI

निजि ध्यानार्थ
चुनाव सम्बन्धी
अति–आवश्यक

राज्य निर्वाचनआयोगहिमाचलप्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल,शिमला.171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

रा0नि0आ0 (एफ) 1-45/2024 **दिनांकः ....., 2024**

सेवा में

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)–एवं–उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के मतपत्रों की गणना बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K, के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के अर्न्तगत आयोग में निहित है, पंचायती राज संस्थाओं के मतपत्रों की गणना हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी करता हैः–

- ग्राम पंचायत के मतगणना केन्द्रों को स्थापित करने से पूर्व सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद मतगणना केन्द्रों को स्थापित करने से पूर्व सम्बन्धित उप–मण्डलाधिकारी (ना0) मतगणना केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।

- खण्ड विकास अधिकारी/उप–मण्डलाधिकारी (ना0) यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केन्द्र मतगणना के लिए सुरक्षित है तथा केन्द्र में मतगणना को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए सुविधाऐं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

- वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केन्द्र में बिजली की व्यवस्था सही है तथा बिजली की विफलता की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गयी है।

- एक ग्राम पंचायत के लिए नियुक्त सभी मतदान कर्मी मतगणना के लिए सम्बन्धित केन्द्र पर एकत्रित होंगे तथा सहायक रिर्टनिंग अधिकारी, जंहा तक सम्भव हो केवल पीठासीन अधिकारियों को ही मतगणना दल में शामिल करेगा। यदि पीठासीन अधिकारियों से मतगणना सम्भव न हो तो मतदान अधिकारी–1 को भी मतगणना दल में शामिल किया जा सकता है।

- पंचायत समिति व जिला परिषद् की मतगणना के लिए अलग से मतगणना दलों की नियुक्तियां की जाएंगी। अतः आप मतगणना से एक सप्ताह पूर्व ही यह नियुक्तियां करनी सुनिश्चित करें तथा नियुक्त मतगणना दलों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें ।

- सभी मतगणना केन्द्रों पर CCTV कैमरा लगाए जाएँ तथा इन कैमरों को इस तरह से स्थापित किया जाए कि मतगणना केन्द्र का समस्त क्षेत्र व मतगणना एजैन्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे । सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिर्काडिंग को किसी स्टोरेज डिवाईस में कम से कम तीन माह तक स्टोर किया जाए, यदि राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो तो इन स्टोरेज उपकरणों को अन्य निर्वाचन अभिलेखों के साथ नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में सील बन्द कर रखा जाए। निर्धारित अवधि के उपरान्त यह स्टोरेज उपकरण सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को वापिस किए जाएंगे, ताकि भविष्य में इनका पुनः प्रयोग किया जा सके।

- मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए रिर्टनिंग अधिकारी /सहायक रिर्टनिंग अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक तक जो भी पोस्टल बैलेट पेपर प्राप्त होते हैं उन्हें बिना गणना के उस पद के मतपत्रों के साथ मिश्रित कर दिया जाए जिस पद के लिए पोस्टल बैलेट पेपर प्राप्त हुआ है।

- ग्राम पंचायतों के लिए स्थापित मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए केवल उसी वार्ड सदस्य के मतगणना एजैन्ट को बैठने दिया जाए जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो । यद्यपि उप–प्रधान एवं प्रधान पदों के प्रत्याशियों के मतगणना एजैन्ट मतगणना कक्ष में बैठ सकते है। जैसे ही किसी एक पद की मतगणना पूर्ण हो जाए उस पद से सम्बन्धित मतगणना एजैन्ट को मतगणना कक्ष छोड़ने के लिए कहा जाए। इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद की मतगणना के लिए स्थापित मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए पंचायत समिति से सम्बन्धित वार्ड के मतगणना एजैन्ट को बैठने दिया जाए जिन वार्डों की मतगणना हो रही हो जबकि जिला परिषद् वार्ड के मतगणना एजैन्ट समस्त मतगणना में उपस्थित रह सकते हैं।

- ग्राम पंचायतों के लिए सर्वप्रथम मतगणना वार्ड न0 1 के पद से प्रारम्भ कर के क्रमानुसार की जाएगी। यदि किसी वार्ड में वार्ड सदस्य का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में अगले क्रम के वार्ड सदस्य के लिए मतगणना की जाएगी । यदि किसी ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य के सभी पदों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका हो तो मतगणना उप–प्रधान पद से आरम्भ की जाएगी ।

- जैसा कि आपको विदित है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए प्रयोग की गयी मतपेटी में 3 पदों यतः वार्ड सदस्य, उप–प्रधान एवं प्रधान के मतपत्र होते है और ये तीनों मतपत्र भिन्न–2 रंग के होते है । अतः सर्वप्रथम रंग के आधार पर तीनों पदों अर्थात वार्ड सदस्य, उप–प्रधान एवं प्रधान के मतपत्र अलग किए जांए तथा इन मतपत्रों को बिना खोले इनकी गणना केवल उस वार्ड के मतपत्र लेखा के मिलान के लिए की जाए। तत्पश्चात उप–प्रधान एवं प्रधान पदों के मतपत्र अलग–2 टोकरी/बाक्स में रखे जाएँ तथा इस टोकरी/बाक्स को मतगणना टेबल पर ही रखा जाएँ ताकि सभी मतगणना एजैन्ट इन्हे दूर से देख सकें। इसके पश्चात वार्ड सदस्य के पदों की मतगणना आरम्भ करें । प्रत्याशी के पक्ष में पड़े 25–25 मतपत्रों के बण्डल बनाए जाए। जबकि अन्तिम वण्डल शेष मतपत्रो का बनाय जाए। किसी भी स्थिति में जब तक सभी वार्ड सदस्य के पदों की मतगणना पूर्ण न हो जाए तब तक उप–प्रधान एवं प्रधान के पदों की गणना न की जाए।

- वार्ड सदस्य की मतगणना के पश्चात् उप–प्रधान एवं प्रधान के मतपत्रों की गणना की जाए ।

- सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद् के निर्वाचन के लिए भी मतपत्र एक ही बैलेट बाक्स में डाले जाते है परन्तु मतपत्र भिन्न–2 रंग के होते है । अतः सर्वप्रथम रंग के आधार पर दोनों पदों के मतपत्र पृथक किए जांए तथा इन मतपत्रों को बिना खोले गिन कर उस वार्ड के मतपत्र लेखा से मिलान किया जाए। तत्पश्चात् सदस्य पंचायत समिति के एक वार्ड के सभी मतपेटियों से प्राप्त मतपत्रों को मिश्रित (Mix) करने के उपरान्त मतगणना आरम्भ करें । प्रत्याशी के पक्ष में पड़े 25–25 मतपत्रों के बण्डल बनाए जाए तथा अन्तिम वण्डल शेष मतपत्रो का बनाय जाए।

  पंचायत समिति के एक वार्ड में जिला परिषद् के एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं अतः जिला परिषद् के मतपत्रों को अलग से रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक जिला परिषद् वार्ड के सभी मतपत्र एक ही टोकरी/बाक्स में जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला परिषद् के मतपत्रों की टोकरियां/टब आदि मतगणना टेबल पर इस तरह से रखा जाए कि उन पर सभी मतगणना एजैंन्ट प्रत्याशी दूर से नजर रख सकें।

- पंचायत समिति की मतगणना के पश्चात् जिला परिषद् के मतपत्रों की गणना की जाए। प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में प्राप्त 25–25 मतपत्रों के बण्डल बनाए जाए अन्तिम वण्डल शेष मतपत्रो का बनाय जाए।

- रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारी मतगणना पूर्ण हाने के पश्चात प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या की घोषणा करेंगे तथा लगभग 10 से 15 मिनट का समय प्रत्याशी/मतगणना या निर्वाचन अभिकर्ता को पुनःगणना का आवेदन करने हेतु देंगे। यदि कोई प्रत्याशी या उनका मतगणना एजैंट पुनःगणना का अनुरोध करता है तो उनसे लिखित आवेदन लिया जाए तथा निर्वाचन का परिणाम घोषित करने से पूर्व आगामी पैराग्राफ में वर्णित प्रकियानुसार कार्यवाही की जाए।

- यदि पुनःगणना हेतु कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर परिणाम की घोषणा कर देगें। परिणाम की घोषणा होने के उपरान्त पुनःगणना का कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

- यदि पुनःगणना हेतु लिखित आवेदन प्राप्त होता है तो रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारी उस आवेदन पर निर्णय लेगा तथा आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा या आवेदन को आंशिक रूप से भी स्वीकृत कर सकता है ।

- यदि पुनःगणना का आवेदन स्वीकृत या आंशिक रूप से भी स्वीकृत होता है और पुनःगणना के पश्चात यदि परिणाम सूची में बदलाव आवश्यक हो तो तदानुसार परिणाम सूची को संशोधित किया जाएगा।
- सामान्यतः पुर्नगणना का अवसर एक प्रत्याशी को एक ही बार दिया जाए।यद्यपि विशेष परिस्थितियों में, जंहा हार–जीत का अन्तर मामूली हों तथा प्रत्याशी लगभग बराबर मत प्राप्त कर रहें हों तो रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारी विवेकानुसार तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत एक से अधिक बार भी पुर्नगणना करवाने का निणर्य ले सकता है लेकिन पुर्नगणना अन्तहीन समय तक नहीं चल सकती है।

- यदि पुनःगणना हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारी आवेदन को अस्वीकृत करने के स्पष्ट आदेश लिखित रूप से जारी करेगा।

- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 व 79 में क्रमशः मतगणना व पुनःगणना हेतु प्रावधान वर्णित हैं। अतः आप मतगणना से पूर्व इन नियमों का गहराई से अध्ययन करें ताकि गलती की सम्भावना न रहें।

- मतगणना के पश्चात् मतपत्रों व अन्य चुनाव प्रारूपों/कागजातों का जब तक यथोचित स्थान पर संग्रहण नहीं हो जाता है तब तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हो सकती है। इसके लिए आयोग द्वारा पत्र संख्या रा0नि0आ0 (एफ) 10–21/2020–780–926 दिनांक 22 मार्च, 2022 के अर्न्तगत विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, अतः दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहने के भी निर्देश हुए हैं कि इन दिशा–निर्देर्शों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाए क्योंकि मतगणना कार्य में की गयी कोई भी लापरवाही चुनाव प्रक्रिया को बाधित/दूषित कर सकती है तथा यह चुनाव पश्चात् चुनाव याचिकाओं में अनावश्यक वृद्वि का कारण भी बनती है । यदि आयोग के संज्ञान में यह आता है कि इन दिशा–निर्देर्शों की अवहेलना की गयी है तो दोषियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

भवदीय,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
हिमाचल प्रदेश।

रा0नि0आ0 (एफ)10–21/2020– **दिनांकः....., 2024**

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. समस्त उप–मण्डलाधिकारी (ना0) हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी–एवं–जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
हिमाचल प्रदेश।

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––1202–निर्वाचन/2025–27–12–2025––4500 पुस्तकें।